खण्ड-340, अंक-7
शुक्रवार, 18 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(8 जून, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 340 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	879–882
प्रश्नोत्तर	..	883–920
नव निर्वाचित सदस्य, श्री सूर्यनाथ उपाध्याय द्वारा शपथ ग्रहण	..	920
मथुरा जिले के वृन्दावन में सीवरेज की समस्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	920 921
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से कतिपय कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की आशंका के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	921
कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा एम० काम० परीक्षा के लिए एक ही केन्द्र रखे जाने से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	921–922
शाहजहांपुर के गेहूं क्रय केन्द्रों पर करनालबंट से ग्रसित गेहूं की खरीद न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	.	922–923
लखनऊ के सआदतगंज थाने के इंस्पेक्टर श्री आर० डी० मिश्र द्वारा मौलाना मुफ्ती अतीक मियां के घर घुस कर औरतों की बेइज्जती करन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	923–924
सीतापुर जिले की मिश्रिख तहसील के ग्राम अयोध्या में हो रही चकबन्दी में हरिजनों एवं गरीब किसानों के साथ घोर अन्याय के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	924
सुल्तानपुर जनपद की तहसील पीपरपुर के मौजा नगरडीह में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	.	924–925
प्रदेश में सी० टी० प्रशिक्षण प्राप्त एक हजार नवयुवकों की बेकारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	925
इटावा जिले में बिजली की अव्यवस्था के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	925–926
देवरिया जिले की कप्तानगंज चीनी मिल के मैनेजर द्वारा भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष, मंत्री तथा संयुक्त मंत्री की सेवाएं समाप्त किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	926
कानपुर के ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा ईंटों के मूल्य में वृद्धि के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	926–927

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री प्रकाश कुमार गुप्त, महामंत्री व्यापार मंडल, फैजाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	.. 927—928
फैजाबाद व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना को प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	.. 928
विद्युत् मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	.. 928—930
प्रदेश में गेहूं के खरीद में शिथिलता तथा धांधली के सम्बन्ध में वक्तव्य	.. 930—935
मानिकपुर, बाँदा में पीने के पानी के अभाव के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	.. 935—936
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	.. 936—937
नैनीताल में पुलिस-छात्र संघर्ष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	.. 937—942
प्रदेश के प्रशासन तंत्र को कुशल उपयोगी एवं जनतांत्रिक बनाने हेतु एक समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत)	.. 942—953
समान कार्य के लिये समान वेतन तथा अन्य समाजवादी कदम उठाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	.. 953—983
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	.. 983—984
लखनऊ में परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य	.. 984
प्रदेश में हथकरघा उद्योग पर तथाकथित भारी संकट आ जाने से बुनकर परिवारों में बेरोजगारी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	.. 984—994
जौनपुर जनपद में गश्त कर रहे दो कानिस्टेबिलों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	.. 994—996
लाल बहादुर शास्त्री जन प्रशासन संस्थान को मंसूरी से न हटाये जाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	996-1004

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 8 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 11 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 294

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मुन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री

चन्द्रसेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटेलाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बीरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह, भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
प्रेम सिंह चौहान, श्री
पूनिहाल सिंह, श्री
रन चन्द्र, श्री
रत्न लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पबान', श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने बाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुबाँठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बैजू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर विधे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री

मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मौअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल बर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज नरायन, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
रा अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्याशंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री

शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिवदास, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरी मिशन
हरि कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हाफिज रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

इसके अतिरिक्त सदन में हरिजन समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार 8 जून, 1979

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से लिया गया ओवर ड्राफ्ट

**1--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल) तथा श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 31 मार्च, 1979 तक सरकार ने 'ओवर ड्राफ्ट' के रूप में सीमा से इतनी अधिक धनराशि रिजर्व बैंक से ले ली है कि प्रति वर्ष सरकार को लाखों रुपया ऋण पर सूद देना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो इस व्यय भार को कम करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? इस सम्बन्ध में सही स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

ओवर ड्राफ्ट की कोई सीमा निर्धारित नहीं है । अतः सीमा से अधिक धनराशि लेने का प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकार का ओवर ड्राफ्ट बहुत लम्बे अर्से से चला आ रहा था किन्तु गत वर्ष भारत सरकार से पुराने ओवर ड्राफ्ट को समाप्त करने के लिए कुल 175·18 करोड़ रुपये की सहायता मध्यकालीन ऋण के रूप में प्राप्त हुयी है । इसके अतिरिक्त शासन ने गत वर्ष में ही यह निर्णय भी लिया है कि प्रदेश के समस्त राज्याधीन निगम/परिषद्, जिला परिषद्, राज्य मंडी परिषद् एवं जल निगम व्यवहारिक सीमा से अधिक अवशेष व अप्रयुक्त धनराशियों (जो राज्य सरकार से प्राप्त हो) को राज्य के कोषागारों में रखेंगे । आशा है उक्त उपायों के फलस्वरूप तथा राजकीय प्राप्तियों एवं व्यय की स्थिति में संतुलन बनाये रखकर भविष्य में यथा सम्भव ओवर ड्राफ्ट की स्थिति से बचा जा सकेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त ओवर ड्राफ्ट की धनराशि कितनी थी और सरकार को गत वर्ष इस पर कितना सूद और कितना ऋण के वास्ते पेमेन्ट करना पड़ा ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यह तो जवाब में ही है कि 175.18 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट था और ब्याज का लगभग 6·49 करोड़ रुपया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उनके उत्तर में उल्लेख है कि सीमा से अधिक अवशेष व अप्रयुक्त धन कोषागारों में रखेंगे, इस तरह के आदेश निगम/परिषद आदि को दिये गये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि

क्या इसकी जानकारी है कि कौन-कौन से संस्थान हैं जिन्होंने सरकार के निर्देश को अवहेलना करके धन को बैंकों और अन्य संस्थाओं में जमा किया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उन्होंने निर्देश दिया है कि निगम/परिषद आदि अवशेष धन को कोषागार में जमा करें, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस निर्देश का पालन हुआ कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने प्रश्न को संशोधित कर दिया । पहले आपने उनके नाम पूछे थे जो तफसील का सवाल है ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यह व्यवस्था अभी इधर की गयी है और इस प्रकार का धन जमा भी हो रहा है । इस पूरी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है कि किसने अवहेलना की है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जो आदेश शासन ने दिया है कि समस्त राज्याधीन निगम/परिषद जिला परिषद, राज्य मंडी परिषद जल निगम आदि का जो सीमा से अधिक अवशेष है, उसको कोषागारों में जमा करें, तो इस आदेश से राज्य को नुकसान होगा चूंकि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मिलने में जो बैंक सहायता देते हैं उसमें कठिनाई होगी । निगम खासतौर से इसलिये बनाये गये हैं ताकि बैंक फाइनेंस मिल सके । क्योंकि इंस्टटीयूशनल फाइनेंस स्टेट गवर्नमेन्ट को नाम मात्र का मिलता है । तो इस कठिनाई को देखते हुये क्या इस पर पुनः विचार करेंगे और ऐसा कानून बनायेंगे कि हर हालत में उनको कोषागार में ही रुपया जमा करना पड़े ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, जैसा नेता विरोधी दल कहते हैं, तो वह स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है । यह जरूर है कि बैंकों द्वारा इस प्रकार का प्रश्न उठाया जाता है । लेकिन यह तो अवशेष धन के बारे में मैंने आदेश दिये हैं । इससे हमको वित्तीय कठिनाइयों को रोकने में, ओवर ड्राफ्ट की स्थिति को ठीक रखने में सुविधा होगी । लेकिन जो रोज मर्रा के काम हैं वह तो होंगे ही । पिछले दिनों आप देखें कि विभिन्न निगमों को जो पैसा दिया गया है, वहां बैंकों में जमा करके और ऋण प्राप्त करके उसका उपयोग विकास में कर सकते थे लेकिन जब उसका उल्टा असर होने लगा, तो अवशेष धन को कोषागार में रखने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री रामदत्त जोशी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोषागार से 175,18 करोड़ रु० किस वर्ष मिला है । चूंकि आपने लिखा है कि काफी लम्बे अर्से से ओवरड्राफ्ट चला आ रहा है, तो कब से चला आ रहा है ।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, ओवरड्राफ्ट की स्थिति तो 1971-72 से चली आ रही है जो कि निम्नप्रकार है—

	रु०
1971-72 में	53.53 करोड़
1972-73 में	37·56
1973-74 में	40·85
1974-75 में	119·35
1975-76 में	157.18
1976-77 में	115.71
1977-78	175.18 करोड़ रु० हो गया ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

मान्यवर, जो भारत सरकार से ऋण मिला था उसकी क्या शर्तें थीं और उस पर ब्याज आपको कितना देना पड़ा ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, शर्तें तो यहां हैं नही ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1979 तक 175.18 करोड़ रुपया ओवर ड्राफ्ट का था, तो इस पर सरकार को कितना ब्याज देना पड़ता है और वह किस दर से ?

श्री मधुलर दिघे—

मान्यवर, हर तारीख को इक्जैक्टली बताना कठिन है लेकिन जो हर साल का ब्याज होता है उसको मैं बता रहा हूं । 1971-72 में हमने ·05 करोड़ रु० 1972-73 में .41 करोड़, 1973-74 में .44 करोड़, 1974-75 में 2 करोड़, 1975-76 में 4.73 करोड़, 1976-77 में 6.69 करोड़, 1977-78 में 6.54 करोड़ और 1978-79 में 6·49 करोड़ रुपया ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दिया था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भारत सरकार से जो ऋण मिला है, शर्तें तो आपको मालूम नहीं हैं, लेकिन ब्याज जो गत वर्ष देना पड़ा है, तो वह प्रति वष कितना देना पड़ा है ?

श्री मधुकर दिघे—

यह तो गत वर्ष से मिला है । अब इस वर्ष से ब्याज लगेगा ?

अचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कोषागार में जो आदेश आपने धन जमा करने का किया है मंडी समिति या किसी और भी निगम या संस्था का तो कोषागार में जमा करने में इन संस्थाओं को कितना ब्याज मिलेगा ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह जो धन जमा होगा इस पर ब्याज को छोड़ कर इनको वही सुविधायें मिलेंगी, जो बैंकों द्वारा मिलती हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, हमको यह बता दें कि क्या रेट आफ इन्टरेस्ट मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वित मंत्री जी आपके पास रेट आफ इन्टरेस्ट के बारे में सूचना है या नहीं ?

श्री मधुकर दिघे—

अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, अभी मैं यह कैसे बता सकता हूं ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

जब कहीं भी पैसा जमा करने के लिये आदेश दिया जाता है तो यह देख लिया जाता है कि कितने इन्टरेस्ट पर रुपया जमा होगा ? यह तो पहले से निश्चित होगा । मंत्री जो उसे छिपाना चाहते हैं । आप उन्हें संरक्षण मत दीजिये ?

श्री देव बहादुर सिंह—

जो आदेश इन्होंने मंडी समितियों और संस्थाओं को भेजा है, वही पढ़वा दें । उसी में लिखा होगा कि इनको क्या इन्टरेस्ट मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

वित मंत्री जी, आपने जो पत्र इनको लिखा है उसमें रेट आफ इन्टरेस्ट के बारे में लिखा है ?

श्री मधुकर दिघे—

इसमें है नहीं, इसीलिये मैंने कहा है कि हमारे पास वह आंकड़े नहीं है ।

अचार्य धर्मदत्त वैद्य—

यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हम जिससे ऋण ले या दे रहे हैं वह हमें कितना ऋण देगा और हम उससे कितना ऋण लेंगे ?

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि विभिन्न निगमों, जिला परिषदों और मंडी समितियों द्वारा कितना धन कोषागार में जमा किया गया है और यह जमा करने के आदेश कब दिये गये हैं ? क्या यह प्रश्न होने के बाद आदेश प्रसारित किये गये हैं ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह आदेश 6 मार्च, 1979 को वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा दिये गये । इस वक्त तक कितना धन जमा हुआ है, यह मैं नहीं बता सकता ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा को प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अनुसूचित जाति में शामिल की गयी गोंड तथा कोरी जाति

*1--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में गौड़ और कोरी जाति अब अनुसूचित जाति में शामिल कर ली गयी है जिससे 1971 की जन-गणना के अनुसार अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की संख्या 25 प्रतिशत बढ़ गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार आरक्षण 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)--

प्रदेश में अनुसूचित जनतियों की सूची में गोंड़ तथा कोरी जातियों को शामिल कर लिये जाने पर भी 1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 20.9 प्रतिशत ही होती है तथा अनुसूचित जनजतियों का अनुपात 0.2 प्रतिशत है। इस प्रकार उक्त दोनों जातियों की कुल जनसंख्या अभी 25 प्रतिशत से बहुत कम है।

जनगणना 1981 के उपरान्त ही अनुसूचित जाति व जनजातियों का सही अनुपात मालूम हो सकेगा। इसलिए जनगणना के उपरान्त ही आरक्षण बढ़ाने पर बिचार करना उपयुक्त होगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 25 प्रतिशत नहीं बढ़ा लेकिन 20.9 प्रतिशत को बढ़ोत्तरी अनुसूचित जाति में बताई गयी है। क्या माननीय मंत्री जी 20.9 प्रतिशत आरक्षण करने की तुरन्त कृपा करेंगे ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, 1971 की जनगणना ही अंतिम आथेन्टिक जनगणना है। अब 1981 की जनगणना से ही सही स्थिति ज्ञात हो सकेगी इसलिए 1981 की जनगणना के बाद ही आरक्षण बनाने पर विचार करना वांछनीय होगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश (जिला कानपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जन जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकार को कोई अधिकार है या इस के बारे में केन्द्र सरकार को अधिकार है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आरक्षण आप जातियों के आधार पर कर रहे है या अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर। यदि आप 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जन जाति को आरक्षण दें, तो गरीबी के आधार पर उन को कम से कम 80 प्रतिशत देना चाहिए। इस पर क्या विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष

प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दें ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, संविधान में यह स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि प्रदेश अपनी स्थिति को समझते हुये आरक्षण सम्बन्धी नीति पर निर्णय करें । दूसरी बात जो पूछो गयी कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए जाति के आधार पर नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो विवाद की बात है ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

संविधान की धारा 14 में स्पष्ट है कि हमारा उद्देश्यशैक्षिक और सामाजिक है उसी के आधार पर होगा ।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संविधान की धारा के अनुसार जाति शब्द को हटा कर गरीबो के आधार पर आरक्षण करने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता--

पिछड़े वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची का पुनरीक्षण

*2--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में 120 जातियों की सूची दी हुई है, किन्तु सरकार में जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण से सम्बन्धित आदेश दिनांक 20 अगस्त, 1977 को दिया है उसमें पिछड़े वर्ग में केवल 58 जातियों को ही गिनती की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार शेष जातियों को भी सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करेगी ?

श्री हरिकिशन श्रीवास्तव--

काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित पिछड़े वर्ग आयोग ने अपने प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश के लिये जातियों की जो सूची प्रस्तुत की थी वह अस्पष्ट एवं विवाद ग्रस्त होने के कारण राज्य सरकार ने उपलब्ध पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची को पुनरीक्षित करके एक सूची तैयार की जिसमें 37 हिन्दू और 21 मुस्लिम जातियां सम्मिलित थी शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 1977 में इन्ही जातियों के लिए आरक्षण का प्राविधान किया गया है ।

पिछड़े वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची को पुनरीक्षित करने का प्रश्न विचाराधीन है

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि काका कालेलकर आयोग की उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची है । यदि है, तो उसमें कितनी जातियां हैं और जो 58 प्रतिशत आरक्षण है इसमें शेष जातियां कौन-कौन सी आती हैं ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

यह प्रश्न यों नहीं उठता कि काका कालेलकर की रिपोर्ट भारत सरकार ने स्वयं स्वीकार नहीं की ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आप नहीं कह सकते। इसे हम निश्चित करते हैं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जो सूची उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत की है कहें तो पढ़ दूं और काका कालेलकर की सूची 120 जातियों की भी पढ़ दूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

120 जातियों को पढ़ने में काफी समय लगेगा । कोई सदस्य जाति विशेष के बारे में पूछना चाहते है, तो पूछ सकते है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

जो 37 जातियां पिछड़े वर्ग में सम्मिलित हैं उनमें क्या पटुआ जाति के लोग भी सम्मिलित हैं ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

पटुवा जाति इसमें नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

कड़हेरा जाति इसमें सम्मिलित है या नहीं ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

यह जाति सूची में नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बतलायेगी कि पिछड़ी जाति की सूची में तेली तथा राजगीर भी सम्मिलित हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो उनकी शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या उनको पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने की कृपा की जायगी ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जरूर विचार किया जायगा ।

श्री बाबूलाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)--

काका कालेलकर रिपोर्ट में गोड़ तथा कोरी जाति सम्मिलित हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप एक सूची माननीय सदस्यों को भेज दें ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

अच्छी बात है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कुछ जातियों का सर्वेक्षण करके आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों की सूची में उन्हें सम्मिलित करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम जाति जो है जो कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, उनको भी इस सूची में शामिल करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह एक आक्षेप है।

श्री नेम सिंह चौहान--

उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं, ब्राह्मण...हैं ब्राह्मण तो भीख मांगते हैं।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी एक सूची माननीय सदस्यों के पास भेज दें। जो काका कालेलकर की रिपोर्ट है उसके अनुसार पिछड़ी जाति की सूची सभी माननीय सदस्यों को भेज दें।

(व्यवधान)

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद जिले में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये स्वीकृत कथित अनुदान

*1--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में वर्ष 1978-79 का पिछड़े वर्ग के छात्रों को दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि जिला हरिजन अधिकारी ने वापस कर दी है ? यदि हां, तो इस अनुदान के वापस करने का आधार क्या था ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

फैजाबाद जनपद में वर्ष 1978-79 में पिछड़े वर्ग के छात्रों को अनुदान की योजना नहीं है। अतएव कोई धनराशि वापस करने का प्रश्न नहीं उठता।

मैनपुरी जिले की ग्राम सभा खेदिया शिकमी गोहाना की भूमि के पट्टे सम्बन्धी प्रस्ताव

*2--श्री जसवीर सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहाना की भूमि प्रबन्धक समिति ने सीरदारी पट्टा देने के लिए शासन के आदेशानुसार दिनांक 4 जून, 1976 को प्रस्ताव पास किये थे तथा प्रस्ताव को परगनाधिकारी की स्वीकृति को भेज दिया था ? यदि हां, तो परगनाधिकारी ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उप मुख्य मंत्री एवं राजस्व मंत्री (श्री नारायण सिंह)--

जी हां । प्रस्ताव नियमानुसार न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया ।

देवरिया जिले के विशुनपुरा विकास खंड तथा पडरौना विकास खंड के ग्रामों में बाढ़ का प्रकोप

*3--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले वर्ष प्रदेश में आई भीषण बाढ़ का सर्वाधिक प्रकोप पडरौना तहसील में रहा जिसके कारण उक्त तहसील के विशनपुरा विकास खंड तथा पडरौना विकास खंड में प्रलय लीला के कारण ग्राम अरनवहा, चिरवइहवा, माधो कोठिलवा, किन्नर पट्टी, जड़ार, जटहा, एकबर्हा, घूर छपरा, बलकुंड़िया तिलवा गोइती, मुजहिदा, चिरगोड़ा, मानिकोरा, सोनवल, पकड़िचार बाबूराम बेलवा, चक्कर छपरा, खजुरया नादह रक बलिया, पिपरा तिवारी, बतर डेरा, जिगना, दुश्मरनगर, सुगही, माधो विशुनपुरा, हनुमानगंज, कठकुइया सेमरा, हरदो भुजोली शुक्ला परगन मठिया, सखुई भटवलिया, जंगल जगदीशपुर, गाव बर्बाद हो गए ? यदि हां, तो बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित ग्राम समूह में युद्ध-स्तर पर आगामी पावस के पूर्व गांबों को ऊंचा करने (विलेज रेजिंग) की योजना त्वरित गति से लागू की जायगी ?

श्री नारायण सिंह--

गत वर्ष की भीषण बाढ़ से देवरिया जिले की तहसील पडरौना के 54 ग्राम प्रभावित हुये थे किन्तु उक्त तहसील के विकास खंड विशुनपुरा का कोई ग्राम प्रभावित नहीं हुआ था । विकास खंड पडरौना के केवल 3 ग्राम हनुमानगंज, पवरूझियां तथा लुअठहा बाढ़ से प्रभावित हुए थे । विकास खंड विशुनपुरा के 7 ग्राम अरनहवा, चिरईहवा, सिसवागाईती, चिरगोड़ा, सोनवल, बेलवाबाबूराम, परगना छपरा तथा विकास खंड पडरौना का ग्राम सेमराहर्दो जलप्लावन से प्रभावित हुये थे ।

आगामी पावस के पूर्व उक्त ग्रामों को फिलहाल ऊंचा करने की कोई योजना नहीं है ।

गोरखपुर जिले की ग्राम सभा सबया की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*4--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, ब्लाक सिसवा, ग्राम सभा सबया में 9·30 एकड़ ग्राम समाज की जो भूमि थी उसे 1359

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल]

फसली में श्री रामदयाल भगत, ग्राम प्रधान (तत्कालीन) ने अवैध तरीके से गांव समाज की भूमि को श्री यादवेन्द्र सिंह व श्री शिव कुमार सिंह आदि के नाम जानबूझ कर दिया जिस पर उक्त जमींदार का कब्जा हो गया है जबकि उक्त भूमि 1359 फसली के पहले के राजस्व अभिलेख में गाव समाज की सम्पत्ति वर्ज है ? इस तरह गाव समाज की भूमि का जो अपहरण किया गया है उस जमीन को राजस्व अभिलेख के आधार पर जाच कराकर वापस लेने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हा, तो कब तक ? यदि नही तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

सम्बन्धित अभिलेखों की जाच से कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया जिसमें गोरखपुर जिले की गांव सभा सबया की 9·30 एकड़ भूमि 1359 फसली में तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा अवध रूप से कुछ व्यक्तियों के नाम कर दी गई हो । प्रश्न में गाटा संख्या अथवा कोई अन्य विवरण न दिये जाने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य किस भूमि विशेष को इंगित कर रहे ह । 1359 फसली में ग्राम समाज का अस्तित्व नहीं था और न ही कोई भूमि गांव सभा में निहित हुई थी । अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम भिलावा, जिला लखनऊ के श्रीमती शान्ति त्रिपाठी तथा श्री चेतराम के नाम सीरदारी का अमलदरामद

*5--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भिलावा वार्ड, आलमबाग, लखनऊ के खसरा नम्बर 692/778, 316 व 317, जिसका कुल रकबा 7 बीघा है, श्रीमती शान्ति त्रिपाठी पुत्री श्री रुद्र प्रसाद त्रिपाठी व चेतराम (हरिजन) पुत्र श्री हरीराम के नाम (संयुक्त खाता) आवंटित है ? यदि हां, तो किसके आदेश से व किस आधार पर ? क्या इस सम्बन्ध म क्षेत्रीय जनता ने दिनाक 3/4 अप्रैल, 1979 को एक शिकायती पत्र सचिव, राजस्व विभाग, जिला अधिकारी, लखनऊ तथा तहसीलदार सदर, लखनऊ को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

ग्राम भिलावा में केवल खसरा नं० 692 और 778 पर मुकदमा संख्या 44/2 में पारित परगनाधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनांक 23 जनवरी, 1974 द्वारा श्रीमती शान्ति त्रिपाठी पुत्री श्री रुद्र प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री चेतराम (हरिजन) पुत्र श्री हरी राम के नाम सीरदार का अमलदरामद किया गया है। ग्राम भिलावा के खसरा नं० 316 व 317 इन व्यक्तियों के नाम नहीं ह । 3 अप्रैल, 1979 के क्षेत्रीय जनता के शिकायती-पत्र पर जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जांच करायी जा रही है ।

श्री नरेश चन्द (जिला खीरी)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस मुकदमें का उन्होंने उल्लेख किया है उसमें शान्ति त्रिपाठी को भूमि आवंटित करने के क्या आधार दिया गया है ?

श्री नारायण सिंह--

मान्यवर, मुकदमा तो खसरा नं० 692, 4 बीघे और 778, 1 बीघे, 9 बिस्वा 10 बिश्वांसी है । इस पर अदालत ने 23 जनवरी, 1974 को फैसला दे दिया ।

श्री नरेश चन्द्र--

मैंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर नहीं आया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रीमती शान्ति त्रिपाठी को सीरदार अमलदरामद घोषित करने का आधार क्या दिया गया है ?

श्री नारायण सिंह--

मान्यवर, मैंने फैसला तो मंगाया नहीं । अगर माननीय सदस्य कहेंगे, तो फैसला मंगा कर दिखा देगें ।

श्री मित्र सेन--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त आवंटित भूमि श्रीमती शान्ति त्रिपाठी को कैसे आवंटित की गई ? क्या वह पात्रता सूची में आती थी या नहीं ?

श्री नारायण सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि इसमें आवंटन का कहीं जिक्र नहीं है । माननीय सदस्य के दिमाग में कहा से यह बात आई उसकी जानकारी मुझे दे दें ।

शाहजहांपुर की गांव सभा, खुदागंज में चकबन्दी तथा भूमि के पट्टे

*6--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर की गांव सभा, खुदागंज (टाउन एरिया वर्तमान) में चकबन्दी आपरेशन के समय ब्लाक हेतु गाटा संख्या 45 रकबा 5·68 एकड़ खुदागंज बंजर भूमि सुरक्षित की गयी, इस भूमि पर दखल भी ब्लाक का करा दिया गया ? तो क्या उक्त भमि अभी सुरक्षित है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*7--श्री मुहम्मद रफी खां तथा श्री सत्य पाल सिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाटा संख्या 45 रकबा 5·68 एकड़ खुदागंज बागर में उस समय के प्रधान गांव सभा खुदागंज (वर्तमान टाउन एरिया) ने कई पट्टे किए ? क्या सभी पट्टे नियमित हैं और प्रधान को इस भूमि में कोई पट्टे करने का अधिकार था ? अगर नहीं, तो प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नैनीताल जिले के ग्राम फूलसुन्धा मौजा शिमला बहादुर में भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र

*8--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिय) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल जनपद के तहसील किच्छा के अन्तर्गत ग्राम फूलसुन्धा मौजा शिमला बहादुर के भूमिहीन हरिजनों को बचत की जमीन आवंटित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि अभी तक उक्त भूमि पर ग्राम प्रधान का ही कब्जा है ? क्या शासन को 22 सितम्बर, 1978 को इस सम्बन्ध में शिकायती-पत्र भी सोहन लाल, प्यारे लाल आदि का मिला था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां। इन व्यक्तियों को पट्टे अभी तक इस कारण नहीं दिये गये हैं कि श्री सोहन लाल आदि बार-बार शिकायत करते रहते हैं। इस गाँव तथा शिमला बहादुर में न तो सीलिंग से कोई भूमि उपलब्ध हुई और न चकबन्दी क्रियाओं के फलस्वरूप कोई भूमि बचत में उपलब्ध हुई। इन गाँवों में चकबन्दी नहीं हुई है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 117 की विज्ञप्ति जारी न होने के कारण भूमि ग्राम सभा में निहित नहीं हुई। बल्कि सीधे राज्य सरकार के नियन्त्रण में है। प्रश्नगत भूमि पर ग्राम प्रधान का कब्जा नहीं है बल्कि इस पर 27 व्यक्ति आबाद हैं तथा शेष भूमि रिक्त है और आवंटन हेतु उपलब्ध है। जी हां। जांच से विदित हुआ कि प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप सामान्य प्रकृति के थे अतः सही नहीं पाये गये। प्रार्थीगण वर्तमान में ग्राम शिमला बहादुर में किराये के मकानों में रहते हैं तथा मेहनत मजदूरी रुद्रपुर में करते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें या तो ग्राम शिमला बहादुर अथवा रुद्रपुर नगर में आवास हेतु भूमि आवंटित की जाये। परन्तु वहां भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रार्थियों को ग्राम फुलसुन्धा में जहां रिक्त भूमि उपलब्ध है आवास हेतु दी जानी प्रस्तावित की गई थी, परन्तु प्रार्थीगण उस स्थान पर भूमि लेने को सहमत नहीं हुये।

मेसर्स सारू स्मैल्टिंग प्राइवेट लि0, मेरठ पर बकाया बिक्री-कर

*9--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मे0 सारू स्मैल्टिंग प्रा0 लि0, मेरठ पर 433 लाख 76 हजार 768 रुपये 53 पैसे की बकाया बिक्री-कर की वसूली के प्रमाण-पत्रों को पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश (पुनरीक्षण) बिक्री-कर, मेरठ तथा उपायुक्त (अपील) कानपुर के स्थगन आदेशों को निरस्त कराने के लिए दिनांक 8 जून, 1978 तथा 5 जून, 1978 को जो प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित न्यायालयों को दिये गये थे, उन पर क्या निर्णय हुआ ? सरकार ने प्रार्थना-पत्र देने की तिथि से लेकर अब तक स्थगन आदेशों को निरस्त कराने तथा बकाया को वसूल कराने की क्या कार्यवाही की है ?

श्री मधुकर दिघे--

प्रश्न में उल्लिखित स्थगन आदेशों को निरस्त कराने हेतु दिनांक 8-6-78 तथा 5-6-78 को कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया था। प्रार्थना-पत्र दिनांक

8-6-78 तथा 5-6-78 क्रमशः न्यायाधीश (पुनरीक्षण) बिक्री-कर, लखनऊ तथा उपायुक्त (अपील) कानपुर को फर्म से सम्बन्धित अपीलों की शीघ्र सुनवाई हेतु दिये गये थ। फर्म पर बकाया धन राशि 33,76,768·53 रु0 में से 3,36,018·73 रु0 की बकाया न्यायाधीश (पुनरीक्षण) बिक्री-कर, लखनऊ द्वारा लिय गये निर्णय के फलस्वरूप समाप्त हो गई है। शेष 30,40,749·80 रु0 की वसूली उपायुक्त (अपील) बिक्री-कर, कानपुर द्वारा अभी भी स्थगित है। अपीलों की शीघ्र सुनवाई हेतु तत्कालीन बिक्री-कर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि, कानपुर द्वारा दिनांक 13-6-1978 को उपायुक्त (अपील) से अनुरोध किया गया था। पुनः दिनांक 17-4-79 तथा दिनांक 23-5-79 को उपायुक्त (अपील) कानपुर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु यह ज्ञात होने पर कि सुनवाई नियत की जा रही है, दिनांक 23-5-79 का प्रार्थना-पत्र वापस ले लिया गया। अब फर्म की समस्त अपीलों की सुनवाई दिनांक 28-6-79 को नियत है।

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट तथा उसकी मुख्य संस्तुतियां

*10--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--

विधान सभा के प्रथम-सत्र 1979 के दूसरे शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 1979 के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या (1) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और उसकी मुख्य संस्तुतियों को लागू करने का प्रश्न कब से शासन के विचाराधीन है और कब तक निश्चित रूप से इसके बारे में शासन द्वारा अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ? क्या सरकार आयोग की उक्त रिपोर्ट को स्वीकार करके आरक्षण की मौजूदा नीति में संशोधन करके सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को विशेष अवसर प्रदान करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और उसकी मुख्य संस्तुतियों को लागू करने का प्रश्न दिनांक 24-3-1978 से शासन के विचाराधीन है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। उक्त रिपोर्ट तथा संस्तुतियों पर निर्णय लेने के पश्चात ही आरक्षण की मौजूदा नीति में संशोधन करके सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को विशेष अवसर देने के सम्बन्ध में विचार करना सम्भव होगा।

भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ के वर्तमान प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*11---श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सांस्कृतिक कार्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भातखण्डे संगीत महाविद्यालय, लखनऊ के वर्तमान प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रधानाचार्य पद पर उनकी नियुक्ति के समय से अब तक भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण आदि के आरोप लगाते हुये शिकायतें की गई ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या-क्या हैं, अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

जी हां।

भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महा विद्यालय, लखनऊ के वर्तमान प्रधानाचार्य के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें की गई हैं---

[श्री राम आसरे वर्मा--]

1--उन्होंने पुराने प्रधानाचार्य को हटाने के लिये छात्रों को आर्थिक एवं नैतिक प्रोत्साहन दिया।

2--अपनी पत्नी के नृत्य प्रदर्शन के लिये महा विद्यालय की संगीतकर्त्ता श्रीमती अणिमा श्रीवास्तव को संगत के लिये बाध्य किया और श्री रंगनाथ मिश्र, श्री वनमाली सिन्हा, श्री राम शंकर द्विवेदी को पद से हटाने की धमकी दी।

3--महा विद्यालय के स्टोरकीपर श्री गुरु प्रसाद श्रीवास्तव को अपनी पत्नी के माध्यम से बीमा एजेन्ट का कार्य करने का दोषी पाया गया फिर भी उनके विरुद्ध प्रधानाचार्य द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

4--उन्होंने अपनी शिष्या से विवाह कर लिया।

5--वह अपने नाम के आगे 'डाक्टर' लिखते हैं जबकि उन्हें यह उपाधि प्राप्त नहीं है।

6--वह तथा प्रो० इलियास खां, श्री प्रेम सिंह किनोत, श्री मुकुन्द दास भट्टाचार्य तथा महाविद्यालय के स्टोरकीपर-कम-क्लर्क श्री गुरु प्रसाद श्रीवास्तव अनैतिक एवं भ्रष्ट कार्यों में व्यस्त रहते हैं और महा विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं का जीवन असुरक्षित है।

7--उन्होंने कुछ खास अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लखनऊ महोत्सव का कार्य करने हेतु वार्षिक मानदेय दिया।

8--उन्होंने अपनी पत्नी को कत्थक नृत्य में निपुण की अन्तिम परीक्षा में अपने जानकार व्यक्ति को परीक्षक नियक्त करके सर्वोच्च स्थान दिलाया और उक्त परीक्षक को विजिटिंग प्राध्यापक भी नियुक्त किया।

9--उन्होंने महा विद्यालय के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अनियमित रूप से सेवा से हटा दिया।

10--महा विद्यालय के एक कर्मचारी को सरकारी आवास भी दिया और मकान किराया भत्ता भी दिया।

11--महा विद्यालय के नृत्य कार्यक्रमों हेतु बहुमूल्य साड़ियों और आभूषण बिना कोटेशन के खरीदे गये।

12--महा विद्यालय की लगभग 5,000 रु० की कारी प्रधानाचार्य ने बेच दी।

13--महा विद्यालय का कमरा एक अन्य सहायक प्राध्यापक द्वारा किराये पर चलाया जा रहा है।

14--महा विद्यालय की नृत्य कक्षाओं के लिए 100 रु० मूल्य के शीशे 500 रु० मूल्य के बताकर खरीदे गये।

15--उन्होंने बिना अनुमति लिये देवा मेले में कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

16--अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक दलों के आदान-प्रदान योजना के अन्तर्गत वर्ष 1976 में राज्य के सांस्कृतिक दल की गोवा यात्रा में वह अपनी मां तथा भतीजे को सरकारी खर्चे पर गोवा ले गये।

इन शिकायतों के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य से तथ्यपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ मामलों में सहायक लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय से जांच करायी गयी । इससे यह स्पष्ट हुआ कि शिकायत संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 निराधार हैं । शिकायत संख्या 4 उनका निजी मामला है तथा शिकायत संख्या 10 का पता चलने पर सम्बन्धित विद्युत मिस्त्री से मोटर रूम, जिसे वह अपने आवास के रूप में प्रयोग कर रहा था, 23 फरवरी, 1979 को खाली करा लिया गया और उक्त अवधि के किराये की वसूली के आदेश 24 फरवरी, 1979 को जारी कर दिये गये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मन्त्री जी ने बताया कि प्रधानाचार्य से तथ्यपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त की गई तो जिसके खिलाफ आरोप लगाये गये, उसी से आप रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, और इसी के आधार पर यहां जवाब दे रहे हैं, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सही और उचित है ? क्या मन्त्री जी को यह भी पता है कि पिछली बार जिस समय उक्त विद्यालय में छात्र आन्दोलन चल रहा था तो आन्दोलन की समाप्ति के बाद इन प्रधानाचार्य ने स्वयं अपने सामने पुराने प्रधानाचार्य का पुतला जलवाया और छात्र नेताओं को माला पहनाई ? क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि प्रधानाचार्य के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में अतहर हुसैन बनाम पुरदधीचि नाम से एक मुकदमा कायम है, जिसमें इन पर धारा 419 के अन्तर्गत जालसाजी का मुकदमा चलाया गया है, जिसमें यह जमानत पर हैं और इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, गवाहियां होनी हैं और अगली सुनवाई की तारीख 12 है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिए आप मन्त्री जी को अलग से नोटिस दें, आप नई बात कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

वह अपने नाम के आगे डाक्टर लिखते हैं, जबकि उन्हें यह उपाधि प्राप्त नहीं है । इसी आधार पर अदालत में इनकी डाक्टर की उपाधि को चुनौती दी गई है, इतना गम्भीर चार्ज लगाने के बाद उन्हें इतने ख्याति प्राप्त विद्यालय में बने रहने का नतिक अधिकार नहीं है, तो क्या इसकी मन्त्री जी को जानकारी है ?

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि आरोपों के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य को लिखा गया, तो इस सम्बन्ध में आप आगे पढ़ लें, निर्णय उस पर नहीं लिया गया । यह एक प्रकार का स्पष्टीकरण था जो उनसे लिया गया, जिसकी जांच निदेशालय से कराई गई । उसके बाद यह उत्तर आपको दिया जा रहा है । मुकदमा कायम होने का जो सवाल है, वह एक इस्तगासा उनके खिलाफ कोई दायर हुआ है, जिसके सम्बन्ध में सम्मन हमारे विभाग में भी आया है ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

प्रधानाचार्य के विरुद्ध लगाये आरोपों की गम्भीरता को देखते हुये क्या उनकी जांच सी0आई0डी0 से कराने को मन्त्री जी तैयार हैं ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

कोई ऐसा आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है, जांच किस बात की कराई जाए।

श्री देव बहादुर सिंह--

इनके खिलाफ यह 16 आरोप किसने लगाये हैं, जिसका आरोप-पत्र था, जिस पर जांच की गई और जांच में क्या शिकायतकर्त्ता से भी कोई सम्पर्क स्थापित किया गया और उसे आरोप सिद्ध करने का मौका दिया गया ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को जान लेना चाहिये कि ये आरोप बिना हस्ताक्षर के भेजे गये जब एक-दो बार हस्ताक्षर से आये तो प्रयास किया गया कि उनसे सम्पर्क किया जाये, लेकिन कोई सामने नहीं आया। फिर भी इसके बावजूद, जैसा रामआसरे वर्मा ने कहा इतने बड़े विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध आरोप थे विभाग ने जांच कराना जनहित में समझा अतएव उसकी जांच विभाग ने पूरा करा ली और किसी में उनका दोष नहीं पाया जा रहा है। तो कार्यवाही किस बात की हो।

श्री मित्र सेन--

इसमें 19 आरोप हैं और सभी प्रधानाचार्य से सम्बन्धित हैं, तो अब तक जो जाँच कराई गई प्रधानाचार्य या उस विभाग के द्वारा क्या माननीय मन्त्री जी आरोपों की गम्भीरता को देखते हुये अन्य एजेन्सी से जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, माननीय सदस्य पुनः स्वयं आश्वस्त होकर कोई जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से जांच करा ली जायेगी।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि वह अपने को डाक्टर लिखते हैं, लेकिन डाक्टरेट की उपाधि नहीं है, क्या इसकी जांच करवायेंगे कि डाक्टरेट की उपाधि नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुये किसी दूसरे व्यक्ति से, सी0 आई0 डी0 से जांच कराने में मन्त्री जी को क्या आपत्ति है ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मुझे जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने यह कहा कि जो आरोप लगाये गये, पहले वे बिना नाम के आये शिकायतकर्त्ता कोई आये नहीं। फिर भी माननीय सदस्य को कोई जानकारी है या किसी माननीय सदस्य को जानकारी है तो वह स्वयं आश्वस्त हो कर मुझे लिख कर दें मैं उसकी पुनः जांच करवा लूंगा।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

इसका उत्तर नहीं आया। यह आरोप लगाया है कि वह डाक्टर नहीं है, इसका उत्तर दिलवा दीजिये कि डाक्टर हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप बता दें, अगर न जांच करवाई हो, तो जांच करवा लें कि डाक्टर हैं या नहीं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

इस आरोप की जाँच हुई है । 1978 में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से पी० एच० डी० की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि कोई जांच करने के बाद आरोप सही साबित नहीं पाया गया, यद्यपि माननीय मन्त्री ने उस आरोप को खुद कबूल किया है कि शिकायत संख्या 10 का पता चलने पर सम्बन्धित विद्युत् मन्त्री से मीटर रूम, जिसे वह अपने आवास के रूप में प्रयोग कर रहा था, 23 फरवरी, 1979 को खाली करा लिया गया और उक्त अवधि के किराये की वसूली के आदेश 24 फरवरी, 1979 को जारी कर दिए गए । आरोप संख्या 10 यह था महाविद्यालय के एक कर्मचारी को सरकारी आवास भी दिया और मकान किराया भत्ता दिया । मंत्री जी ने स्वयं इसको सही पाया । दूसरा आरोप अदालत में मुकदमा चल रहा है, इनकी डाक्टर की डिग्री को चुनौती देते हुए, 419 के मुलजिम भी हैं, जमानत पर छूटे हैं क्या इस विद्यालय की परिपाटी, माननीय मंत्री ने बना दिया है कि 419 का मुकदमा चले, मुलजिम बनें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने पहले अस्वीकार किया था । मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

अखबारों में निकल रहा है । यह हिन्दुस्तानी भात खंडे संगीत महाविद्यालय नहीं है, इश्क का अड्डा है । तमाम चीजें निकल रही हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी मैंने इजाजत नहीं दी ।

[दिनांक 8 जून, 1979 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सर्किल रामपुर जैसिंह, जिला फैजाबाद में स्थायी लेखपाल की अवकाश रिक्ति में नियुक्ति

*1--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या राजस्व मन्त्री को मालूम है कि राजस्व परिषद् के परिपत्र संख्या संख्या 8121 71-14-281/71, दिनांक 4 जून, 1977 के अन्तर्गत तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद की सरकिल रामपुर जैसिंह में प्रशिक्षित चकबन्दी लेखपालों की दिनांक 1 नवम्बर, 1978 से दिसम्बर, 1978 के बीच नियुक्ति रेगुलर लेखपालों के रिक्त पदों पर की गई थी और और उनको दो माह के पश्चात् हटा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

जी नहीं ।

सर्किल रामपुर जै सिंह में स्थायी लेखपाल की अवकाश रिक्ति में एक अप्रशिक्षित लेखपाल को अस्थायी नियुक्ति स्थानापन्न रूप से की गई थी जिसे प्रशिक्षित चकबन्दी लेखपाल की उपलब्धि पर हटा दिया गया था ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में । क्या यह सही है कि श्री राजेन्द्र नाथ ने चकबन्दी विभाग तथा राजस्व विभाग में मिला कर कुल लगभग 20 वर्ष तक लेखपाल के पद पर कार्य किया है तथा राजस्व परिषद् के आदेश संख्या 8121-71-14-281/77, दिनांक 4-6-77 के द्वारा रेगुलर लेखपाल पदों पर छटनी शुदा लेखपालों को ही पाये जाने के स्पष्ट आदेश हैं ? यदि हां, तो इस मामले में इस शासनादेश को न लागू करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह--

मान्यवर, अगर एक लेखपाल की जगह पर दूसरा रखा जाता है और वह टेम्परेरी होता है और अगर चकबन्दी में कोई लेखपाल है उसका 3 साल से अधिक का अनुभव है तो उसको प्रशिक्षण से मुक्त कर देते हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्री राजेन्द्र नाथ ने 15 वर्ष तक चकबन्दी लेखपाल की हैसियत से काम किया और 5 वर्ष तक राजस्व विभाग में काम किया । परशुराम ने केवल चकबन्दी विभाग में 3 वर्ष काम किया है । अगर मुकाबिला का सवाल था तो यह 20 वर्ष की सेवा कर चुके हैं और वह 3 वर्ष की सेवा किये हैं तो 20 साल वाले को प्रशिक्षित न मान कर 3 साल वाले को प्रशिक्षित माना गया, इसका क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह--

माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है शायद राजेन्द्र प्रताप, इनका नाम तो आपके सवाल में कहीं पर है नहीं जिससे मुझे जानकारी होती, ज्योतिष से ज्ञान हो जाता । खैर, सुरेन्द्र नारायण एक परमानेन्ट लेखपाल अवश्य थे । मेरी जानकारी में शुरू में एक साल 6 महीने का चार्ज मिला था और जिस समय सुरेन्द्र नाथ की मृत्यु हो गयी इसके बाद जो चकबन्दी में लेखपाल श्री परशुराम थे और जो 3 साल तक काम कर चुके थे, उनको रखा गया था । अगर माननीय सदस्य को जानकारी है कि 20 साल किसी को हो गये हैं तो वह उसकी सूचना मुझे दे दें । मैं स्वयं इसकी तहकीकात करूंगा ।

तहसील सफीपुर में बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ गेहूं वितरण में गोलमाल

*2--जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या राजस्व मन्त्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद में तहसील सफीपुर के बाढ़ पीड़ितों को सहायतार्थ गत वर्ष भेजे गये गेहूं वितरण में भारी गोलमाल किया गया है और तहसीलदार सफीपुर ने एक ट्रक गेहूं गंगाघाट में बेचवा दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गम्भीर मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण सिंह--

तहसीलदार सफीपुर, जिला उन्नाव के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं खाद्यान योजना के गेहूं में से एक ट्रक गेहूं बेचवाने की शिकायत केवल फतेहपुर के

साप्तहिक 'पैगाम' दिनांक 22-3-79 में प्रकाशित समाचार एवं माननीय सदस्य के शिकायती-पत्र दिनांक 16-5-79 के अतिरिक्त अन्य किसी स्तर से नहीं प्राप्त हुई है । शिकायतों की जांच परगनाधिकारी सफीपुर द्वारा की जा रही है । जांच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक ट्रक गेहूं बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ उन्नाव की सफीपुर तहसील में भेजा गया था लेकिन वह गंगाघाट में बेचवा लिया गया, यह मेरा प्रश्न था । परन्तु माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि खाद्यान्न योजना का एक ट्रक गेहूं भेजा गया था । मैंने माननीय मंत्री जी को जो पत्र लिखा था कि कपड़ा, कम्बल और गेहूं किस किस स्थान पर रखा है । मैंने इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा मांग की थी जिससे कि यह मामला सामने आ सके परन्तु उत्तर में कहा गया कि परगनाधिकारी सफीपुर द्वारा जांच करायी जा रही है । इतना गम्भीर मामला है और परगनाधिकारी स्वयं पहले तहसीलदार थे । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह सी०आई०डी० से जांच करवाने में क्यों कतराते हैं ?

श्री नारायण सिंह--

माननीय सदस्य क्या एक ही जवाब चाहते हैं कि सी० आई० डी० से जांच करवायी जायेगी अथवा नहीं । मैंने बताया कि परगनाधिकारी जांच कर रहे हैं और अगर इस किस्म के तथ्य आ जाते हैं कि सी० आई० डी० से जांच होनी चाहिए तो अवश्य होगी ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मैंने अपने पत्र में लिखा था कि माल रखा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जैसा उत्तर से स्पष्ट है कि 23-3-79 को दैनिक पैगाम में समाचार प्रकाशित हुआ उससे मालून हुआ कि बाढ़ में जो सामान बंटने के लिए भेजा गया था वह परगनाधिकारी के माध्यम से वितरित होना था । तो कौन से कारण हैं कि उसकी जांच परगना अधिकारी से ही क्यों करा रहे हैं ? कोई सूची होगी उन व्यक्तियों की जिनको गेहूं बांटा गया होगा तो जांच कराने के लिए सब से सुगम साधन वह सूची है । उनमें से 4-5 आदमियों को बुला कर पूछ लेना चाहिए, इसमें देर क्यों हो रही है ?

श्री नारायण सिंह--

वर्ष 1978 की बाढ़ में इस जिले को 900 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया था जिसमें से 475 मी० टन सफीपुर तहसील में ही दिया गया । सफीपुर में 207 ग्रामों के 1 लाख 24 हजार 210 आदमियों में बांटा गया । साप्ताहिक "पैगाम" दिनांक 22-3-79 में जो समाचार प्रकाशित हुआ था उसके आधार पर जांच जिलाधिकारी को दे दी गयी और अगर 207 ग्रामों में गेहूं बंटने की बात गलत पायी जायेगी तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न जो है वह बाढ़ पीड़ितों को सहायतार्थ गेहूं बांटने के बारे में है और जवाब आया है खाद्यान्न योजना के गेहूं में से एक ट्रक गेहूं बेचवाने के सम्बन्ध

[श्री उपाध्यक्ष]

में जांच जो आपने करायी, उसके बारे में है । तो आप कह सकते थे कि बाढ़ पीड़ितों को सहायतार्थ गेहूं के वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है । खाद्यान्न योजना का जो जवाब आया है, वह असंगत है, प्रश्नकर्ता ने जो उत्तर चाहा है वह यह नहीं है ।

श्री नारायण सिंह—

आपने सही कहा है । सवाल में तो वाकई बाढ़ पीड़ितों के बारे में है । जवाब में जो खाद्यान्न योजना के गेहूं का जिक्र है वह भी बाढ़ पीड़ितों के लिए है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी जब तक आप जांच न करा लें सही पता नहीं हो सकता है । या आपके पास जो पत्रावली है उसको देखलें कि कहीं गलती से बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ के स्थान पर खाद्यान्न योजना तो नहीं लिख दिया गया ? यदि हां, तो ठीक है, अन्यथा आप इसकी जांच करा लें ?

श्री नारायण सिंह—

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ितों को अनाज भी बांटा है । मेरे उत्तर की मंशा बिल्कुल साफ है कि अनाज बाढ़ पीड़ितों में बांटा गया था ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मान्यवर, खाद्यान्न योजना का गेहूं अलग है । मेरा प्रश्न बाढ़ पीड़ितों को सहायतार्थ गेहू वितरण से सम्बन्धित है । जो शिकायत दी गयी थी उसमें साफ बताया गया था कि कहां पर कपड़ा है, कहां पर कम्बल है और कहां पर गेहूं पड़ा है, और उसके लिए परगनाधिकारी को ही जांच करने के लिए कहा गया है जो गेहूं वितरण करता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित किए देता हूं, इसकी आप जांच करा लें और अगले सप्ताह आप इसका उत्तर दे दें ।

*3—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

*4—श्री मित्रसेन—

[8वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राम नेवाज सरोज, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल के विरुद्ध आरोप

*5—गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ लिपिक जिला कार्यालय नैनीताल (श्री नारायण दत्त तिवारी) ने क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायत नैनीताल (श्री राम नेवाज सरोज) के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र दिनांक 4 मार्च, 1978 मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

को भेजा था ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और उसकी कोई जांच की गई ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन शिकायतें सही पाई गई तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मधुकर दिघे--

श्री नारायण दत्त तिवारी, ज्येष्ठ लिपिक कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल ने मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, को सम्बोधित एक शिकायती-पत्र दिनांक 4-3-78 प्रस्तुत किया था जिसमें श्री राम नेवाज सरोज, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें नैनीताल के विरुद्ध भी आरोप हैं ।

श्री राम नेवाज सरोज, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल के विरुद्ध श्री नारायण वत्त तिवारी के अवशेष देयकों के निस्तारण में विलम्ब, उन्हें वेतन रहित असाधारण अवकाश स्वीकृत करने, दिनांक 27-2-78 को अपशब्दों का प्रयोग करने, श्री तिवारी पर कुर्सी फेंक कर मारने, उनकी अलमारी का ताला तोड़वाकर नव पत्रावलियां गायब कराने तथा दौरे पर आये हुये उच्चाधिकारियों से न मिलने देने के आरोप हैं ।

शिकायती-पत्र पर जांच में श्री राम नेवाज सरोज, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । अतः श्री राम नेवाज सरोज, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, के अधीन जनपद नैनीताल में कर्मचारियों का रोका गया वेतन

*6--श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ के शासनाधीन नैनीताल जनपद में कितने कर्मचारियों का गत फरवरी, मार्च, अप्रैल व अगस्त, 1978 का वेतन रोका और क्यों ?

श्री मधुकर दिघे--

जनपद नैनीताल में किसी भी कर्मचारी का वेतन माह फरवरी, मार्च, अप्रैल व अगस्त, 1978 में नहीं रोका गया है किन्तु जो कर्मचारी माह फरवरी, मार्च, अप्रैल व अगस्त, 1978 में जिस अवधि के लिए अवकाश पर थे उनको उस अवधि के अवकाश वेतन का भुगतान सक्षम अधिकारी की अवकाश स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण नहीं किया जा सका। ऐसे कर्मचारियों की संख्या माह मार्च 1978 में दो, माह अप्रैल, 1978 में तीन तथा माह अगस्त, 1978 में तीन है ।

माह फरवरी, 1978 में एक कर्मचारी के वेतन में से उन्हें पूर्व में दिये गये रु० 100·05 पैसे के अनियमित भुगतान की कटौती भी की गयी ।

श्री गुलाब सेहरा--

स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण क्या थे ?

श्री मधुकर दिघे—

वे अलग-अलग थे । इनमें एक नारायणदत्त तिवारी थे .... (हंसी) ज्येष्ठ लिपिक, इन्होंने अनियमित रूप से अवकाश के लिये अपना प्रार्थना-पत्र दिया था इसलिये वह स्वीकार नहीं हुआ । इसके बाद पुनः उन्होंने बिना स्वीकृति के अवकाश ले लिया । एक दूसरे हैं जिन्होंने अपने प्रमाण-पत्र वगैरह दिये, पहले स्वीकृत नहीं हुआ था, फिर प्रमाण पत्र आदि देख कर स्वीकृति मिल गयी । श्री सतीश चन्द्र आर्य थे उनको अवकाश देय नहीं था, इसी तरह के कारण हैं ।

श्री गुलाब सेहरा—

किसी ने छुट्टी की एप्लीकेशन दी और वह मंजूर नहीं हुई तो उसमें अनियमितता क्या हुई ?

श्री मधुकर दिघे—

जो सूचना है वह इस प्रकार है कि श्री नारायण दत्त तिवारी ने... (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

कौन से नारायणदत्त तिवारी के लिए आप कह रहे हैं ?

(हंसी)

श्री मधुकर दिघे—

(हंसी के बीच) श्रीमन्, यह ज्येष्ठ लिपिक हैं । यह नैनीताल के रहने वाले है ।

श्री देव बहादुर सिंह—

यह (नेता विरोधी दल) भी नैनीताल के ही रहने वाले हैं । उसकी जांच करने वाले कहीं मधुकर दिघे जी तो नहीं हैं ?

(हंसी)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र अवकाश के लिये 14-2-77 को दिया, फिर एक 19-2-77 को दिया जो स्वीकार नहीं हुआ । बिना स्वीकार हुये उन्होने अवकाश ले लिया इसलिये कटौती हुई । बाद को एक और दिया है जिस पर विचार हो रहा है ।

चकबन्दी विभाग के उप संचालक द्वारा संस्था के नाम पर अनियमित रिजर्व भूमि

*7—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद में तहसील हंडिया के अन्तर्गत ग्राम लोकमनपुर में कोई रजिस्टर्ड संस्था जनहित कार्यकारिणी सेवा समिति, लोकमनपुर नहीं है परन्तु चकबन्दी विभाग के उप सचालक ने अनियमित

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

ढंग से तीन बीघा 11 बिस्वा 17 धुर जमीन उक्त संस्था के नाम रिजर्व कर दिया है ? यदि हां, तो वह किस नियम के आधार पर किया गया है ?

श्री नारायण सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*8--श्रीमती रामरति देवी--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित] ।

गोरखपुर जिले के शंकर शुगर मिल, कप्तानगंज (देवरिया) द्वारा भूमि हड़पने सम्बन्धी शिकायती पत्र

*9--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र वर्ष 1978 में गोरखपुर जिले के महावन खोर उर्फ बड़हरा गांव में शंकर शुगर मिल, कप्तानगंज (देवरिया) द्वारा करीब 60 एकड़ सीलिंग की भूमि हड़पने के सम्बन्ध में शासन को मिला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां। माननीय प्रश्न कर्ता महोदय के प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-9-78 तथा 19-11-78 प्राप्त होने पर इस मामले की जांच कराई गयी। सीलिंग अधिनियम के अधीन 18.04 एकड़ प्रयोज्य अधिक रकबा जोत देते हुए शंकर शुगर मिल की 49.94 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी है। खातेदार ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में समादेश याचिका प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए थे। समादेश याचिका सं0 3896 (सी)/77 माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19-3-79 द्वारा प्रति-प्रेषित (रिमान्ड) कर दी गयी है तथा मामला न्यायिक होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भविष्य में इस मामले में कार्यवाही की जावेगी ।

सिंचाई कर्मचारी संघ का शिष्ट मंडल तथा मांगे

*10--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 26 अप्रैल, 1979 को सिंचाई कर्मचारी संघ का कोई शिष्ट मंडल उनसे मिला और अपनी मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगे क्या हैं तथा सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री मधुकर दिघे--

जी हां, सिंचाई कर्मचारी संघ का शिष्ट मंडल 26-4-79 को मुझसे मिला था और ज्ञापन दिया था जिसमें यह मांग की गई थी कि सींचपाल व कूप चालक के पुराने वेतनमान 175-3-205-4-225-5-250 की तुलना में पुनरीक्षित वेतनमान 185-3-215-4-235-6-265 रु0 में वेतन निर्धारण में जिन स्तरों पर हानि होती है उस हानि को दूर कर दिया जाय। रु0 175-250 से 185-265 का वेतनमान उच्च है। यदि वेतन वृद्धि की दरों में अन्तर के कारण किसी कर्मचारी को तत्काल लाभ के स्थान पर हानि हो तो वह नये वेतनमान का चयन वेतन

बृद्धि को उस तिथि से कर सकता है जब उसे लाभ होने लगें। अतः वेतन मान उच्च किये जाने के कारण हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील डुमरियागंज के कतिपय ग्रामों में सम्पत्ति हड़पे जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र

*11--श्री शिवनाथ पांडेय (जिला बस्ती)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के तहसील डुमरियागंज के अन्तर्गत ग्राम कठेला धोबहा तथा बारिकपार में ग्राम समाज की सम्पत्ति नाजायज तरीके से हड़पे जाने के आरोप से सम्बन्धित ग्रामवासियों ने कोई आवेदन-पत्र माह नवम्बर, दिसम्बर, 1978 में परगनाधिकारी, डुमरियागंज को दिया था ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की और परिणाम क्या हुआ ?

श्री नारायण सिंह--

जी नहीं। किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

*12--श्री अजीत सिंह सेठी--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

एटा जिले के ग्राम गोहना के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध आबंटियों की अनुमोदन सूची प्रपत्र 57-ख न प्राप्त होने सम्बन्धी शिकायत

*13--श्री जसवीर सिंह--

दिनांक 8 सितम्बर, 1978 तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि भूतपूर्व प्रधान से वर्तमान प्रधान को आबंटियों की अनुमोदन सूची प्रपत्र ज0 वि0 57 ख प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम हुआ ? क्या राजस्व मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि भूतपूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान हकीकी भाई हैं और उक्त प्रपत्र साजिश से छिपाया जा रहा है।

श्री नारायण सिंह--

यह सही है कि जनपद मैनपुरी की जसराना तहसील के ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना के भू0 पू0 प्रधान से वर्तमान प्रधान को आवंटियों की अनुमोदन सूची प्रपत्र 57-ख प्राप्त नहीं हुई। भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध थाना फरिहा में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई है और मामला पुलिस के विवेचनाधीन है। यह सही है कि भूतपूर्व प्रधान श्री एदल सिंह व वर्तमान प्रधान श्री मोहर सिंह सगे भाई हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रपत्र 57-ख किसकी साजिश से छिपाया गया है। यह स्थिति पुलिस जांच से ही स्पष्ट हो सकेगी।

*14--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*15--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी तथा श्री राम रतन सिंह--

[4थे सोमवार 4-6-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील कैराना, जिला मुजफ्फरनगर में बाढ़ सहायार्थ सामग्री के वितरण में अनियमितता

*16--श्री बशीर अहमद (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कैराना, मुजफ्फरनगर में सन् 1978 में बाढ़ सहायता की गेहूं, दूध, पाउडर, कम्बल, धनराशि में लाखों रुपए का गोल-माल हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और अब तक शासन ने सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायण सिंह--

तहसील कैराना, जिला मुजफ्फरनगर में बाढ़ सहायता सामग्री के वितरण में कतिपय कथित अनियमितताओं के आधार पर तहसीलदार, कैराना को निलम्बित किया जा चुका है तथा मामले में राजस्व परिषद् के अधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

*17--श्री राम सिंह--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित] ।

* 18--श्री कन्हैया लाल गुप्त--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

लखनऊ में घनी आबादी वाले मुहल्लों में विचाराधीन सिनेमा गृह का निर्माण

*19--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि लखनऊ शहर की घनी आबादी वाले मुहल्लों में या नरही मार्ग पर सिनेमा गृह खोलने की अनुमति देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इससे प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं एवं हलचल आदि को ध्यान में रखते हुये ऐसे आदेशों को तुरन्त रोका जायेगा । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोंडा जनपद के मनकापुर चकबन्दी इकाई में चकों एवं चकरोडों की पुनः पैमाइश तथा अनधिकृत कब्जे हटाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*20--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोन्डा)--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गोन्डा जनपद की मनकापुर चकबन्दी इकाई में स्थित ग्राम मझरेटी के कृषकों द्वारा एक सामूहिक प्रार्थना-पत्र अक्तूबर, 1978 में चकों की पुनः पैमाइश तथा चक रोड आदि पर से अनधिकृत कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां । ग्राम मझरेटी के कृषकों का दिनांक 25-10-1978 का एक सामूहिक प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था ? इस पर एक चकबन्दीकर्ता उक्त ग्राम की पुनः पैमाइश के लिये दिनांक 20-11-1978 को वहां गया था किन्तु काश्तकारों ने स्वयं एक प्रस्ताव चकबन्दीकर्ता को इस आशय का दिया कि चकों एवं चकरोडों की पैमाइश रबी की फसल कटने के बाद की जावे । रबी की फसल कट जाने के बाद इस ग्राम के सभी चकों एवं चकरोडों की स्थल पर पुनः पैमाइश करा दी गई है तथा अनधिकृत कब्जे भी हटवा दिये गये हैं ।

चकबन्दी अधिकारी, बढ़या द्वारा श्री विन्दवासिनी अग्रवाल की चक आउट की गई भूमि

*21--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा, बढ़या, ब्लाक निचलौल, तहसील महराजगंज, गोरखपुर के तत्कालीन जमींदार श्री विन्दवासिनी प्रसाद अग्रवाल, की खेतिहर 40 एकड़ जमीन को ऊबड़ खाबड़ बाग दिखाकर चकबन्दी अधिकारी, बढ़या ने वर्ष 1975-76 व 1976-77 में चक आउट कर दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त 40 एकड़ जमीन, जो चक आउट की गई है, उसमें खेती हो रही है ? यदि हां, तो उसे सरकार पुनः चकबन्दी कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण सिंह--

जो नहीं । ग्राम सभा बढ़या, ब्लाक निचलौल, तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर, के अन्तर्गत 4 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के भू अभिलेखों में श्री बिन्द-वासिनी प्रसाद अग्रवाल के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त ग्रामों में 40 एकड़ भूमि को ऊबड़ खाबड़ बाग दिखाकर चक आउट करने या उस पर खेती करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्री-कर (संग्रह) विभाग, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

*22--बिन्दू लाल (जिला गोंडा)--

क्या सरकार को जानकारी है कि बिक्री-कर (संग्रह) विभाग लखनऊ में कार्यरत कर्मचारी, जो चार या चार साल से अधिक वर्षों से कार्यरत हैं अभी तक नियमित एवं स्थायी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में शीघ्र एवं ठोस कदम उठायेगी ?

श्री मधुकर दिघे--

जी हां ।

बिक्री-कर (संग्रह) विभाग, लखनऊ में चार या चार वर्षों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 38 है । इनमें से 35 कर्मचारी राजस्व विभाग के हैं तथा 3 कर्मचारी बिक्री-कर विभाग के हैं । बिक्री-कर विभाग के 3 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी तदर्थ आधार पर दिनांक 1-1-77 के पूर्व नियुक्त हुआ था जिसके विनियमितीकरण की कार्यवाही 14 मई, 1979 को कार्मिक विभाग की नियमावली

के अन्तर्गत विचाराधीन है । शेष दो कर्मचारियों के पदों को स्थायी घोषित करने के लिए शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है । राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सूचना अभी जिलाधिकारी, लखनऊ से एकत्र की जा रही है ।

तहसील बिन्दकी, जिला फतेहपुर के मृतक चकबन्दी लेखपालों की सामान्य भविष्य निधि का भुगतान

*23--श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर की तहसील बिन्दकी में वर्ष 1974 में मृतक चकबन्दी लेखपालों के आश्रितों को पारिवारिक पेन्शन, ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि आदि देयों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री नारायण सिंह--

जिला फतेहपुर की तहसील बिन्दकी में वर्ष 1974 में दो मृतक चकबन्दी लेखपालों में से एक के सामान्य भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान हो चुका है तथा दूसरे की सामान्य भविष्य निधि में कोई धन राशि संचित नहीं थी । इन दोनों मृतक लेखपालों के पारिवारिक पेन्शन व ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु सेवा अभिलेखों को पूर्ण करके अग्रिम कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है । इन देयों के भुगतान के लिए कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है क्योंकि एक मृतक की विधवा से पेन्शन प्रपत्र पूर्ण करके अभी जिलाधिकारी को प्राप्त नहीं हुये हैं ।

24-25--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

आर्ट कालेज, लखनऊ के आन्दोलनकारियों की मांगें

*26--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि आर्ट कालेज, लखनऊ के 50 शिक्षकों, 80 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा 40 छात्रों ने गत 6 मार्च, 1979 को आन्दोलन प्रारम्भ किया था ? यदि हां, तो आन्दोलन कब तक चला, उनकी मांगें क्या थीं और शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जी हां, परन्तु भाग लेने वालों की संख्या कितनी थी, ज्ञात नहीं है ।

आन्दोलन 21 अप्रैल, 1979 तक चला ।

आन्दोलनकारियों की प्रमुख मांगें थी :--

1--महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, श्री कुंवर सिंह बिष्ट के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने वाले थाना हसनगंज के दो सब-इन्स्पेक्टर्स का निलम्बन,

2--राजकीय वास्तुकला विद्यालय को अन्यत्र हटा कर उसके क्रीड़ास्थल तथा भवन की वापसी,

3--एम० एफ० ए० के पाठ्यक्रम का आरम्भ,

4--महाविद्यालय के अनुदान में वृद्धि, और

5--कर्मचारियों के वेतनमान में असंगति दूर करना ।

मांगों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है:--

1--दुर्व्यहार के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जांच कराई जा रही है,

2--राजकीय वास्तुकला विद्यालय को अन्यत्र हटा कर उसके क्रीड़ास्थल तथा भवन की वांछनीयता का कोई औचित्य नहीं पाया गया, क्रीड़ास्थल के उपयोग की सुविधा महाविद्यालय के छात्रों को 6 माह/व्यवस्था होने तक जो भी पहले घटित हो, दे दी गयी,

3--ए० एफ० ए० पाठ्यक्रम आरम्भ करने के प्रस्ताव पर पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था होने पर विचार किया जायेगा,

4--अनुदान की धनराशि में वृद्धि विभाग की योजनाओं के लिए निर्धारित परिव्यय पर आधारित रहती है । परिव्यय बढ़ने पर महाविद्यालय का अनुदान बढ़ाने पर विचार किया जायेगा, और

5--वेतनमान में असंगति मिलने पर उनका निराकरण किया जायगा ।

श्री कृष्ण सिंह बिष्ट को स्वीकृत स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन की धनराशि

*27--श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री इन्द्र देव मिश्र (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भारत सरकार के गृह मन्त्रालय का पत्र सं0 8/27/76-एफ0 एफ0 (पी) दिनांक 10 दिसम्बर, 1976, जो मुख्य सचिव को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है, जिसमें यह लिखा है कि भारत सरकार द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को स्वीकृत पेन्शन की धनराशि में से प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत पेन्शन की धनराशि न घटाई जाय ? यदि हां, तो श्रीकृष्ण सिंह बिष्ट पुत्र, श्री मधो सिंह बिष्ट, स्वतन्त्रत संग्राम सेनानी, निवासी ग्राम व पो0 बानपुर, जिला नैनीताल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत पेन्शन की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पेन्शन की धनराशि में से घटा कर दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कब से ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जी हां ।

श्री कृष्ण सिंह बिष्ट को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की धनराशि में से प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन की धनराशि न घटायी जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा ही पुनरीक्षित आदेश जारी किया जाना था । जिलाधिकारी, नैनीताल से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कृष्ण सिंह बिष्ट को राज्य सरकार द्वारा पेंशन के अतिरिक्त 1 अक्तूबर, 1976 से 200 रु0 प्रति की दर से केन्द्रीय पेंशन का भुगतान करने के लिए महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से दिनांक 5 दिसम्बर, 1978 को अथारिटी प्राप्त हो गयी थी । फलस्वरूप अब उन्हें 200 रु0 रु0 प्रति माह की दर से केन्द्रीय पेंशन तथा 60 रु० प्रति माह की दर से राज्य पेंशन का भुगतान किया जा रहा है तथा पेंशन की बकाया धनराशि का भुगतान भी उन्हें 8 जनवरी, 1979 को कर दिया गया है ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन बढ़ाने की मांग

*28--श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने महंगाई के कारण अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग गत वर्ष की है ? अगर हां, तो क्या सरकार उनकी मांगों की प्रार्थना पर विचार कर रही है ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

जी हां, गोरखपुर मंडलीय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं है ।

राज्य में राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर व्यय एवं हरिजन तथा पिछड़ी जाति का कोटा

*29--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

प्रश्नकर्ता के विधान सभा के 20 मार्च, 1979 को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है, जो वांछित सूचना सरकार को प्रेषित करने में असमर्थ हैं ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मूल प्रश्न में माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना इतनी व्यापक थी कि उसे प्रदेश भर के सम्बन्धित विभागों से समय के अन्दर एकत्र करना सम्भव नहीं हो सका । अतः सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है । फिर भी शासन द्वारा समस्त सचिवों को एक सामान्य परिपत्र भेजा गया है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ विभागों एवं अधिकारियों को यह निर्देश दें कि भविष्य में प्रश्नों के उत्तर के लिए अपेक्षित पूर्ण सूचना शासन को समय से उपलब्ध कराई जाय तथा इसमें किसी प्रकार की उदासीनता अथवा ढिलाई न बरती जाय ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री गनेशी लाल चौधरी--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल में अनुसूचित जाति के कर्मचारी तथा उनका नियमितीकरण व पदोन्नति

2--श्री बरफिया लाल जुआंठा (जिला उत्तर काशी)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल में अनुसूचित जाति के कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो सन् 1968-69 से लगातार नायब तहसीलदारों का कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं परन्तु उनका अभी तक न तो नियमितीकरण किया गया और न पदोन्नति ही ? क्या शासन का आदेश है कि कोई भी अनुसूचित जाति का कर्मचारी या अधिकारी कम से कम तीन वर्ष तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष की सेवा करने के बाद पदोन्नति पाने का पात्र है ? यदि हां, तो इस ओर अभी तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह--

कुमायूं मण्डल में अनुसूचित जाति के एक नायब तहसीलदार, श्री राम प्रसाद सागर हैं, जो सितम्बर, 1969 से नायब तहसीलदार के पद पर स्थायी हैं परन्तु तहसीलदार पद पर प्रोन्नति हेतु राजस्व परिषद् द्वारा गठित चयन समिति ने उन्हें प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया । गढ़वाल मण्डल में ऐसा कोई अनुसूचित जाति का नायब तहसीलदार नहीं ह । शासन के ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि अनुसूचित जाति के कर्मचारी या अधिकारी कम से कम 3 वर्ष तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष की सेवा करने के बाद प्रोन्नति पाने के पात्र हो जाते हैं ।

जनपद बाराबंकी के ग्राम तिन्धुवासिनी में चकबन्दी

3--श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम तिन्धुवासिनी की भूमि की चकबन्दी कराने में सरकार द्वारा देरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

इस नाम का कोई ग्राम जनपद बाराबंकी में नहीं है ।

जनपद इलाहाबाद के अछोला प्राइमरी पाठशाला की जमीन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

4--डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 19 जनवरी, 1979 को प्रधान, गांव सभा अछोला, तहसील मेजा, विकास खंड, उसवा, जनपद इलाहाबाद का अछोला प्राइमरी पाठशाला के जमीन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से चकबन्दी विभाग को कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां, चकबन्दी अधिकारी से स्थल निरीक्षण कराकर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी (मेजा) ने अपने न्यायालय में दिनांक 4-4-79 को पक्षों को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था परन्तु तीन विपक्षी उपस्थित नहीं हुए जिन्हें पुनः नोटिस दिया गया है । प्रधान, गांव सभा के पत्र पर सुनवाई के लिए 26-6-79 की तिथि अब निर्धारित है ।

किसानों को प्रदिष्ट चक में लगाया गया विकास कर

5--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में चकबन्दी से किसानों को जो चक प्रदिष्ट किए गए हैं उन पर विकास कर पुरानी खतौनी के आधार पर लगाया गया है जबकि चकबन्दी में प्रति एकड़ 5 डिस्मिल के लगभग जमीन कटौती की गई है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण सिंह--

1 जुलाई, 1977 से विकास कर समाप्त कर दिया गया है । इसके पहले चकबन्दी के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में चकों के अन्तिम रूप से प्रदिष्ट कर दिए

जाने के बाद विकास कर का निर्धारण नए बने खातों के आधार पर किया जाता था। अन्तिम रूप से चक प्रदिष्ट होने के पहले की अवधि में पुरानी खतौनी के आधार पर ही विकास कर लगाया जाता था।

देवरिया जिले के ग्राम विन्ध्याचलपुर एवं शाहपुर को विधिवत बसाने की योजना

6--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विकास खंड, खड्डा के बड़ी गंडक नदी के बाय किनारे के विन्ध्याचलपुर, शाहपुर आदि 16 ग्राम, जो बड़ी गंडक नदी की धारा में विलीन हो गए हैं, उन लोगों को स्थायी रूप से किसी वन विभाग की भूमि या सुरक्षित स्थान पर विधिवत बसाने (आबाद करने) की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

ग्राम विन्ध्याचलपुर एवं शाहपुर के 167 प्रभावित परिवार लक्ष्मीपुर और नीतार जंगल में सुरक्षित स्थानों पर बसा दिए गए हैं। वन विभाग की किसी भूमि पर बसाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि प्रभावित व्यक्ति सुरक्षित स्थानों पर बसा दिए गए ह जहां उनकी कृषि भूमि पहले से ही है। आवश्यकतानुसार ग्राम सभा की भूमि भी इस कार्य के लिए ली गयी है। अन्य जो 14 ग्राम पहले के विलीन हो चुके थे वे भी अन्य टीलों पर बस चुके हैं, उनके पुनर्वास की कोई समस्या अवशेष नहीं ह।

7--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित।]

प्रदेश तथा फर्मों के ऊपर बकाया बिक्री-कर

8--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1979 तक बिक्री-कर का कितना धन प्रदेश पर बकाया है एवं ऐसी कितनी फर्म हैं जिन पर एक लाख रुपए से अधिक बकाया है ?

श्री मधुकर दिघे--

बिक्री-कर का दिनांक 1 मार्च, 1979 तक 82.41 करोड़ रुपया का धन प्रदेश पर बकाया है एवं मार्च 1979 में प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी 487 फर्में हैं जिन पर एक लाख रुपये से अधिक बकाया है।

9--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित।]

बोट जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

10--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बोट जातियों को पिछड़ी जातियों में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र अप्रैल अथवा मई

1978 में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो बीट जातियों को पिछड़ी जाति में अब तक सम्मिलित न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हां ।

1 मई, 1978 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है । पिछड़ी जातियों की समस्याएं शासन के विचाराधीन है । यथासमय बीट जाति के सम्बन्ध में भी विचार किया जायगा ।

11--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

12--श्री बाबू लाल वर्मा--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

जनपद एटा के भूमि आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा

13--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)--

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि ग्राम अगोली, परगना बिलराम, तहसील कासगंज, जनपद एटा के भूमि आवंटियों को आवंटित भूमि पर आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया है, जबकि वह हरिजन व भूमिहीन आवंटियों के नाम सरकारी कागजात में दर्ज है और वे कई वर्ष से लगान दे रहे ह ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को कब तक आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जायेगा ?

श्री नारायण सिंह--

ग्राम अगौली किरामई, परगना बिलराम, तहसील कासगंज, जिला एटा में वर्ष 1976 में कुल 68 पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया था । इनमें से 9 व्यक्तियों को सुरक्षित तथा सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि के पट्टे कर दिए गए थे जिनको निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है । शेष 59 आवंटियों को तहसील कर्मचारियों द्वारा मौके पर सीमांकन कराकर आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जा चुका है ।

प्रदेश में व्यापारियों को बिक्री-कर का रिफंड रुपया तथा बकाया

14--श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)--

क्या वित्त मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिक्री-कर देने वाले व्यापारियों को 31 मार्च, 1978 तक रिफन्ड का कितना रुपया वापस होना है तथा क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितना रुपया बिक्री-कर व्यापारियों से बकाया पाना है ?

श्री मधुकर बिघे--

प्रदेश में बिक्री-कर देने वाले व्यापारियों को दिनांक 31 मर्च, 1978 तक 74,33,864 रुपए रिफन्ड का वापस होना शेष था तथा कुल 91·26 करोड़ रुपए बिक्री-कर का व्यापारियों पर बकाया था ।

फैजाबाद के ग्राम तेदुवा माफी के मुहाल तोरां माफी खाता–1 सरकारी भूमि नम्बर 188 पर खेती तथा आमदनी

15––श्री मित्रसेन––

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के अन्तर्गत ग्राम तेदुवा माफी के मुहालतोरों माफी खाता–1 सरकारी भूमि नम्बर 188 रकबा 15 बीघा पर खेती होती है ? यदि हां, तो वह कृषि कार्य किसके माध्यम से होता है, इसकी आमदनी वर्ष 1978 के दोनों फसलों की क्या थी और कहां जमा की गयी है ? यदि नहीं, तो यह भूमि किसके उपयोग में है और क्यों ?

श्री नारायण सिंह––

जिला फैजाबाद के तहसील बीकापुर के ग्राम तेदुवा माफी के मुहालतोरो माफी खतौनी खाता संख्या 1 में अंकित भूमि नम्बर 188 रकबा 15 बीघा राजकीय अस्थान की भूमि अंकित है । इस भूमि के 4–5–15 क्षेत्रफल पर तहसीलदार नायब तहसीलदार का आवास, चपरासी लाइन तथा बाढ़ सहायता केन्द्र स्थित है । 6–12–5 भूमि परती एवं सहन के रूप में है । तहसीलदार के आवास से लगे हुए क्षेत्र 4–2–0 पर तहसीलदार द्वारा खरीफ रबी में फसल व तरकारियां बोवाई गई ह जो तहसीलदार के द्वारा उपयोग में लाई गयी है । शासनादेश संख्या यू० ओ० 1030/111–67 जो० ए० डी०, दिनांक 15–11–67 के अनुसर अधिकारी के आवास से संलग्न भूमि में खेती अधिकारी अपने खर्चे पर करेंगे और उसका लाभ अधिकारी लेंगे । पैदावार नगण्य थी लाभ सरकारी खजाने में नहीं जमा किया गया ।

जनपद लखनऊ में नायब तहसीलदार के वेतन का भुगतान तथा संग्रह अमीन द्वारा वापस लिया गया कार्यभार

16––श्री पुरुषोतम कौशिक––

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ जनपद में ऐसे कितने नायब तहसीलदार हैं, जिन्हें पिछले 3 माह से उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है तथा ऐसे संग्रह अमीन है जिन्हें पद का कार्यभार ग्रहण कर लेने के उपरान्त उनसे कार्य भार ले लिया गया है ? क्या उक्त विषय पर कोई प्रार्थना–पत्र मंत्री जी को जनवरी/फरवरी तथा 24/26 मार्च, 1979 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह––

लखनऊ जनपद में ऐसा कोई नायब तहसीलदार नहीं है, जिसे पिछले तीन मास से वेतन का भुगतान न हुआ हो । एक नायब तहसीलदार का नवम्बर, 1978 से 4 फरवरी, 1979 तक के वेतन का भुगतान होना शेष है । इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना–पत्र जनवरी, 1979 में प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कराने पर उक्त तथ्य प्रकाश में आया । अवशेष वेतन के भुगतान कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ जनपद में ऐसा कोई संग्रह अमीन नहीं है जिसके, उसके द्वारा कार्य–भार ग्रहण कर लिए जाने के बाद, कार्य–भार ले लिया गया हो । इस सम्बन्ध म एक अमीन, श्री कमल किशोर सिंह का शिकायती–पत्र दिनांक 26 मार्च, 1979 को

प्राप्त हुआ था जिसकी जांच की जा रही है। इसके बाद उस विषय में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

गोरखपुर मण्डल में असहाय वृद्धों विकलांगों तथा बिधवाओंपर व्यय धन

17--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर मण्डल में पिछले दो वर्षों में असहाय वृद्धों, विधवाओं तथा विकलांगों पर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से वित्तीय वर्ष 1977-78 एवं वर्ष 1978-79 में असहाय विधवाओं पर रु० 2,84,102 तथा विकलांगों पर 3,09,624 रु० गोरखपुर मंडल में व्यय किये गये। असहाय वृद्धों पर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई धन नहीं व्यय किया गया।

गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों को गेहूं का वितरण

18--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1978 के बाढ़ पीड़ितों में वितरित करने के लिए सरकार द्वारा गोरखपुर में कुल कितना गेहूं दिया गया था ? क्या कुछ गेहूं वितरित नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्यों ? इसकी जांच कराकर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायण सिंह--

वर्ष 1978 की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क वितरण हेतु शासन द्वारा जिला गोरखपुर को समय-समय पर कुल 3050 मी०टन गेहू आवंटित किया गया था जिसमें से 27.9 मी० टन गेहूं खाद्य निगम के गोदाम से तहसीलदार सदर द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सका था जिसके लिए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार 3022.1 मी० टन उपलब्ध गेहूं में से 2650 मी० टन गेहूं वितरित किया जा चुका है। श्रम के बदले गेहूं देने की योजना लागू होने तथा राजस्व देयों की वसूली आदि में कर्मचारियों के व्यस्त होने तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में अन्य आवश्यक कार्य के कारण गेहूं का वितरण शेष रह गया था और अब अवशेष गेहूं का वितरण अन्य दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को किया जा रहा है।

बांदा जिले के ग्राम मुखल में दिये गए भूमि के पट्टों की जांच

19--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बांदा जिले तहसील बबेरू के ग्राम की मुखल के लेखपाल ने ग्राम में अवैध किए गए पट्टों की सूचना तारीख 25 सितम्बर, 1978 को शासन को दी थी ? यदि हां, तो वह अवैधता क्या थी और उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां। उक्त सूचना में कहा गया था कि श्रीमती झुनियां को भूमि का पट्टा दिया गया है जब कि उसके पति के नाम पहले से ही भूमि थी। जांच के

पश्चात् सम्बन्धित पट्टे को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 (2) के अन्तर्गत निरस्त कराने हेतु जिलाधिकारी, बांदा के न्यायालय में रिपोर्ट कर दी गई है ।

मथुरा जनपद में वर्षा व बाढ़ से खरीफ की फसल को हानि

20--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद में वर्ष 1977-78 में कितने एकड़ भूमि में भारी वर्षा व बाढ़ से खरीफ की फसल को हानि हुई तथा जिन किसानों को बाढ़ से हानि हुई उन्हें सरकार द्वारा कितनी क्या-क्या सुविधा प्रदान की गई ? क्या सरकार मथुरा जनपद के वर्षा, बाढ़ से पीड़ित किसानों के स्थगित लगान व सिंचाई-कर को माफ करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह--

मथुरा जनपद में वर्ष 1977-78 में भारी वर्षा व बाढ़ से खरीफ की फसल का 1.78 लाख एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित हुआ ।

बाढ़ व अत्यधिक वर्षा से प्रभावित व्यक्तियों को निम्नलिखित सहायता दी गई :--

1--अहेतुक सहायता	2.10 लाख रुपया
2--गृह निर्माण अनुदान	21.50 लाख रुपया
3--विशेष सहायता	2.40 लाख रुपया
4--कृषकों को खाद व बीज के वितरण हेतु	2.86 लाख रुपया
5--निःशुल्क गेहूं का वितरण	1050 मी०टन

इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों में जहां फसली 1385 में खरीफ फसल को 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति बाढ़ से हुई है, वहां अग्रिम आदेशों तक सभी कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई ।

लगान माफी के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुये हैं जिस पर यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम कुंडा व चकदौलत की भूमि को आबादी के रूप में दर्ज करना

21--श्री अठई राम तथा श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में तहसील हंडिया के अन्तर्गत ग्राम कुंडा में अराजी नं० 524 व 118 क्रमशः ग्राम कुंडा व चकदौलत में मौके पर आबादी है परन्तु कागजात में बाग में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार मौके की स्थिति के अनुसार इन्द्राज दर्ज करने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण सिंह--

इलाहाबाद जनपद में तहसील हंडिया में ग्राम कुंडा में, जो चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है, भूमि संख्या 524 पर न तो बाग है और न आबादी ही है । वह

खातेदारों की चकों की भूमि है। ग्राम चकदौलत में भूमि संख्या 118 का 16 बिस्वा क्षेत्रफल आबादी के रूप में अंकित है और शेष 10 बिस्वा क्षेत्रफल बाग दर्ज है। इस 10 बिस्वा भूमि पर जिन व्यक्तियों के मकान है वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के नहीं है तथा खेतिहर मजदूर की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, इसलिए नियमानुसार इस भूमि को आबादी के रूप म दर्ज करना सम्भव नहीं है।

विधान सभाई क्षेत्र, बलिया में गृह अनुदान

22--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद के विधान सभाई क्षेत्र, बलिया में वर्ष 1978-79 में 15 जनवरी सन् 1979 तक किन-किन गांवों में कितनी-कितनी राशि की गृह अहेतुक सहायता दी गयी है ? और उसका वितरण कब तक ही जायगा ?

श्री नारायण सिंह--

जनपद बलिया के विधान सभाई क्षेत्र, बलिया में वर्ष 1978-79 में 15 जनवरी, 1979 तक 13 ग्रामों के 866 पात्र व्यक्तियों को 100 रु० प्रति व्यक्ति की दर से 86,600 रु० गृह अनुदान वितरित किया गया। ग्रामवार विस्तृत विवरण संलग्न तालिका† में दिया गया है। इसी विधान सभाई क्षेत्र में दिनांक 15-1-79 तक अहेतुक सहायता के रूप में 66 ग्रामों के 20,707 परिवारों को 2060.32 कुन्तल गेहूं वितरित किया गया, जिसका ग्रामवार विस्तृत विवरण संलग्न तालिका--2† में दिया गया है। इसके अतिरिक्त 43 ग्रामों के 15,313 परिवारों को दिनांक 15-1-79 तक 86 कुंतल नमक, 7,534 लीटर मिट्टी का तेल तथा 13,272 दियासलाई का वितरण भी किया गया है जिसका विवरण संलग्न तालिका--3† दिया गया।

हरिजन बस्ती, सीतापुर में अग्निकांड

23--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 12 अप्रैल, 1979 को सीतापुर नगर स्थित हरिजन बस्ती म अग्निकाण्ड हो जाने के कारण प्रभावित लगभग 40 हरिजन परिवारों को क्या आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री नारायण सिंह--

दिनांक 12-4-79 को सीतापुर नगर स्थित हरिजन कालोनी में अलग लग जाने से 30 परिवार प्रभावित हुये। प्रत्येक परिवार को 100 रु० अहेतुक सहायता दी गई।

बहराइच जिले में काश्तकारों को अवितरित जोतबही

24--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन को यह जानकारी है कि बहराइच जिले में कई हजार काश्तकारों को जोतबही नहीं दी गयी है जिससे गल्ला बेचने व अन्य कार्यों में विशेष

---

†छापी नहीं गई।

कठिनाई उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो परगनावार किन-किन गांवों में जोतबही देनी अभी तक शेष रह गयी है और शेष सभी काश्तकारों को कब तक जोतबही उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री नारायण सिंह--

तहसील नानपारा में परगना, नानपारा, चरदा तथा धरमापुर में कुल मिलाकर 194 ग्रामों में जोतबही का वितरण शेष है । इनमें से 126 ग्रामों में चकबन्दी तथा 68 ग्रामों में अभिलेख क्रियायें प्रस्तावित हैं, जिनके सम्पन्न हो जाने के बाद ही जोतबही के वितरण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है । जिले की शेष तहसीलों में कुल 2,12,283 जोतवहियां वितरित की जा चुकी हैं ।

जनपद सीतापुर के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की जीविका के लिए योजना

25--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जनपद के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की जीविका के लिए कुछ कार्य प्रारम्भ कराए गए हैं ? यदि हां, तो वह कौन से कार्य हैं तथा किन-किन ब्लाकों में कार्य प्रारम्भ कराए गए ?

श्री नारायण सिंह--

सीतापुर जनपद के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों को जीविका के लियें "श्रम के बदले खाद्यान" योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग तथा नाले का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है । सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य विकास खंड सकरन, रेउसा, बेहटा तथा रामपुर मथुरा में कराया जा रहा है तथा जल निष्कासन हेतु नाले का निर्माण कार्य केवल विकास खण्ड रामपुर मथुरा में कराया जा रहा है ।

तुलसी बाल विद्या मन्दिर, बस्ती को समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान

26--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला अन्तर्गत कप्तानगंज स्थित इन्दिरा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अन्दर चल रहे तुलसी बाल विद्यामन्दिर को शासन द्वारा दिए सहायता या अनुदान के घोटाले के सम्बन्ध में, प्रश्नकर्ता के दिनांक 20 मार्च, 1979 को जो पत्र मन्त्री जी को दिया था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1979 तक उपरोक्त तुलसी बाल विद्यामन्दिर को समाज कल्याण विभाग द्वारा किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि की सहायता दी गयी है ? क्या शासन उसका स्पेशल आडिट कराने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हां, माननीय सदस्य का संदर्भगत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जाँच कराने पर शासन को ज्ञात हुआ कि इस विद्यालय को सम्बन्धित अवधि में समाज कल्याण विभाग से कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है । अतएव उसका स्पेशल आडिट कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कार्यरत नेहरू युवक केन्द्र तथा उसमें केन्द्र व प्रदेश सरकार का अंशदान

27--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने नेहरू युवक केन्द्र कार्यरत हैं तथा वर्ष 1978 में इन केन्द्रों पर कुल कितना व्यय किया गया ? केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता दी तथा प्रदेश सरकार का कितना अंशदान हुआ ? इन केन्द्रों ने कौन-कौन से कार्य किए ?

श्री हरि किशन श्रीवास्तव--

भारत सरकार द्वारा इस प्रदेश में कुल 30 जनपदों के लिये नेहरू युवक केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से इस समय 28 जनपदों में ये केन्द्र कार्यरत हैं ।

यह पूर्णरूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित केन्द्रीय योजना है जिसके लिये वर्ष 1978-79 में भारत सरकार द्वारा कुल 17,72,941 रु0 स्वीकृत किया गया और 15,16,896 रु0 खर्च हुआ । इसमें अल्मोड़ा और मथुरा केन्द्रों से सूचना प्रतीक्षित है । इस योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती ।

इन केन्द्रों द्वारा इस अवधि में संचालित कार्य मुख्यत: निम्नवत् हैं-- विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, सांस्कृतिक एवं समाज सेवा कार्यक्रम, खेलकूद, युवक शिविर का आयोजन तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना ।

नव निर्वाचित सदस्य, श्री सूर्यनाथ उपाध्याय द्वारा शपथ ग्रहण

(श्री सूर्यनाथ उपाध्याय ने शपथ ग्रहण किया ।)

[कांग्रेस (आई0) के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं ।]

मथुरा जिले के वृन्दावन में सीवरेज की समस्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत वृन्दावन नगर की सीवरेज समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछली यमुना की भीषण बाढ़ से वृन्दावन नगर तीन ओर पानी से घिर गया था । इस बाढ़ का नगर की सीवरेज प्रणाली पर जिसके दोषपूर्ण निर्माण की वर्षों से शिकायत चली आ रही थी, गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वह अस्त व्यस्त हो गयी । सीवरेज के कवर अवरुद्ध हो गये, एवं-पथ-खराब हो गये । गन्दा पानी मेनहोल्स से उबल कर सड़कों पर बहने लगा । नगर के पश्चिम की ओर यमुना पर बने पुराने घाट इस गन्दे पानी मे ढक गये और वहाँ पर गन्दगी का साम्राज्य हो गया ।

जनपदीय जल निगम की ओर से समस्या की भीषणता के समाधान हेतु छः मास पूर्व एक योजना बनाई गयी थी परन्तु अभी तक उसके कार्यान्वयन की शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । फलतः एक ओर जहाँ सारा नगर और

उसमें आने वाले तीर्थयात्री भीषण कष्ट भोग रहे हैं, वहाँ करोड़ों रुपये के सुरम्य घाटों के पूर्णतः नष्ट हो जाने का भयावह आशंका उपस्थित हो गयी ह । वर्षा समीप है । श्रावण मास में देश के कौन-कौन से लाखों यात्री यहां आते हैं । यदि तुरन्त इस योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया तो नगर का जनजीवन दूभर हो जावेगा । साथ ही बीमारी फैलने की भी आशंका है । आशा है शासन इस पर अविलम्ब कार्यवाही करेगा ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से कतिपय कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की आशंका के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय, उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 14 मई, 1979 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 1 जनवरी, 1977 के पूर्व तदर्थ (एडहाक) रूप से नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है । इसी अधिसूचना के नियम 8 के अनुसार 1 जनवरी, 1977 या उसके बाद तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवायें उनकी अर्हतायें कार्य या चरित्र पंजिकाओं पर बिना विचार किये हुए तत्काल समाप्त करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय से कई हजार तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्तियों जिनमें से कुछ की सेवायें लगभग ढाई वर्ष तक होने को है, को अपने रोजी-रोटी से हाथ धोना पड़ेगा, शासन की पूर्व घोषित नीति यह है कि तदर्थ नियुक्तियां कदापि न की जाय और यदि जनहित में अपरिहार्य और करनी ही पड़े तो वे किसी भी दशा में एक वर्ष से अधिक नहीं चलनी चाहिए । यदि इस एक वर्ष की अवधि में उक्त तदर्थ नियुक्ति के स्थान पर नियमित चयन नहीं करा लिया जाता तो उसे समाप्त कर दिया जाय और पुनः उस पर तदर्थ नियुक्ति किसी भी दशा में न की जाय । इस नीति के प्रभावी रहते हुए भी तदर्थ नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक चलती रहीं और उनके विरुद्ध नियमित चयन नहीं कराया गया । ऐसी स्थिति में आगे हजारों व्यक्तियों, जो तदर्थ रूप से नियुक्त हैं, की सेवाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाये गये हैं, जिससे उन्हें भविष्य के प्रति निराशा एवं क्षोभ व्याप्त है । फलस्वरूप एक विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है ।

अतः आज माननीय सदन में आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए 1 जनवरी, 1977 एवं इसके बाद तदर्थ नियुक्त सभी व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करने की मांग करता हूं ।

कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा एम0 काम0 परीक्षा के लिए एक ही केन्द्र रखे जाने से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फरुखाबाद)—

माननीय, कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम0 काम0 में सम्मिलित होने वाले हजारों व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए पूरे विश्वविद्यालय में केवल एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी]

हा परीक्षा केन्द्र डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर रखने से परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों के सामने घोर कठिनाई उत्पन्न हो गई है। कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न जनपदों के अनेक विद्यालयों में एम0 काम की कक्षायें चलती हैं और उनके संस्थागत परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र भी उक्त विद्यालयों म रखे गये हैं। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को भी क्षेत्र के अनुसार इन परीक्षा केन्द्रों पर, संस्थागत परीक्षार्थियों के साथ आसानी से समायोजित किया जा सकता है किन्तु ऐसा न होने से इस प्रकार के हजारों छात्रों का डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर में ही परीक्षा केन्द्र होने से न तो रहने की ही सुविधा मिल पा रही है और न खाने-पीने एवम् अध्ययन की। दूर-दूर से आने की असुविधा, कठिनाई एवं व्यय भी असंतोष के कारण हैं।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए, अविलम्ब अन्य परीक्षा केन्द्रों को व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये भी मान्य किये जाने की मांग करता हूं।

शाहजहांपुर के गेहूं क्रय केन्द्रों पर करनालबट से ग्रसित गेहूं की खरीद न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)--

मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाने के लिए नियम 301 के अन्तर्गत उपाध्यक्ष महोदय की अनुज्ञा चाहता हू।

1--शाहजहांपुर जनपद में रबी खाद्यान्न केन्द्र करनालबट रोग से ग्रसित गेहूं को नहीं खरीद रहे हैं, जो लाखों टन की मात्रा में है। इस बार उत्तरी भारत म काफी मात्रा में गेहूं उपरोक्त रोग से ग्रसित हुआ ह। पंजाब तथा हरियाणा में उपरोक्त प्रकार का गेहूं क्रय किया जा रहा ह।

2--शाहजहांपुर जनपद के किसानों ने उपरोक्त समस्या दिनांक 23 अप्रैल, 1979 को खाद्य मंत्री के सम्मुख उनके शाहजहांपुर प्रयास के समय रखी थी तथा खाद्य मंत्री ने उपरोक्त गेहू की खरीद का आश्वासन भी दिया था परन्तु क्रय केन्द्रों के प्रभारियों ने फिर भी गेहूं नहीं खरीदा।

3--किसानों में अत्यधिक बेचैनी है, क्योंकि उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है तथा उनके बैंक, सहकारी भंडार, भूमि विकास बैंक आदि में ऋण जमा करने हैं।

4--उपरोक्त मांग को लेकर फार्मर्स यूनियन, शाहजहांपुर ने दिनांक 4 जून, 1979 से कचेहरी प्रांगण में अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी है जिससे आन्दोलन का वातावरण बन रहा है।

यूनियन को सरकार से मांग है कि वह तुरन्त इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर ध्यान दे तथा किसानों के गेहूं के खरीदने का प्रबन्ध करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज माननीय मंत्री जी गेहूं खरीदने के सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देश दें कि वे इस समस्या को भी स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है।

लखनऊ के सआदतगंज थाने के इंस्पेक्टर, श्री आर0 डी0 मिश्र द्वारा मौलाना मुफ्ती अतीक मियां के घर घुस कर औरतों की बेइज्जती करने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)---

मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 5 जून, 1979 को लगभग 11 बजे दिन में पश्चिम लखनऊ, थाना सआदतगंज के सब-इन्स्पेक्टर श्री आर0 डी0 मिश्रा और उनके साथ दस-बारह सिपाहियों ने भारत मशहूर उलमा-ए-अदीब और मुसलमानों के धार्मिक नेता, मरहूम मौलाना मुफ्ती अतीक मियां साहब, फिरंगी महल के पुत्र और जानिशीन हजरत मौलाना मुफ्ती हबीबुल हलीम साहब फिरंगी महल के साथ दुर्व्यवहार और गाली गुफ्तार किया और उनके घर में घुसकर पर्दानशीन औरतों तथा लड़कियों की बेइज्जती की जिससे जनता में दुःख और क्रोध की भावना फैल गई है जिसके फलस्वरूप दिनांक 5 जून, 1979 चौक, लखनऊ के सभी बाजार बन्द कर दिये गये थे।

दिनांक 5 जून, 1979 को 11 बजे दिन में थानेदार मौलाना के घर पहुंचा और बगैर इजाजत घर में घुसकर घर की तलाशी ली और जनानखाने में घुसकर मौलाना के मना करने के बावजूद औरतों और लड़कियों की बेइज्जती की। इसके पश्चात् मौलाना ने एस0 पी0 सिटी से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की लेकिन इन्सपेक्टर ने उनका और उनकी छोटी लड़की का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। यह देखकर बहुत बड़ा मजमा इक्ट्ठा हो गया। मौलाना की शान में उसने अश्लील शब्द इस्तेमाल किये और उनको थाने ले जाने के लिये मजबूर किया। इन हालात में मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दरोगा को तुरन्त निलम्बित किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, यह महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा हो यदि इसमें शासन की तरफ से वक्तव्य आये। इसमें हमारी ओर से भी प्रश्न हो रहा है। इसमें अलग से नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य आना चाहिये।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)---

मैं माननीय तिवारी जी की बात मानता हूं। जो आरोप लगाये हैं वह बहुत वाजिब है, मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जांच करा लेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

13 तारीख तक वक्तव्य दे दें । इतना महत्वपूर्ण विषय है । आप आदेश दें तो दे देंगे वक्तव्य ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है । माननीय मुख्य मंत्री जी सत्र समाप्त होने से पहले ही वक्तव्य दे देंग ।

सीतापुर जिले की मिश्रिख तहसील के ग्राम अयोध्या में हो रही चकबन्दी में हरिजनों एवं गरीब किसानों के साथ घोर अन्याय के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

महोदय, आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय राजस्व मंत्री तथा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जनपद सीतापुर तहसील मिश्रिख, परगना औरगाबाद, ग्राम अयोध्या मजरा भैरमपुर की हो रही चकबन्दी में हरिजनों एवं गरीब किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है ।

यह कि ग्राम भैरमपुर में हरिजन एवं गरीब किसान जो आराजी हमेशा से जोतते बोते चले आ रहे हैं तथा जिसकी मालगुजारी काश्तकार स्वयं सरकार को अदा करते चले आ रहे हैं ।

यह कि वहां के जबरदस्त सोहरेपोस्ट, श्री देव कुमार, पुत्र राजकुमार एवं गया प्रसाद निवासी-नैमीसारण्य जनपद सीतापुर के फर्जी पट्टे करवा करके तथा चकबन्दी अधिकारियों से सांठ-गांठ करके हरिजन एवं गरीब किसानों की भूमि अपने तथा अपने परिवार के लोगों के नाम कराके चक कटवाते जा रहे हैं । इससे वहां के हरिजनों एवं गरीब किसानों में बड़ा ही भय, असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है । अतः मान्यवर, आप से तथा सदन से निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को ध्यान में रखकर माननीय राजस्व मंत्री को निर्देश दें कि माननीय राजस्व मंत्री जी सदन को इस मामले की वस्तुस्थिति से अवगत करावें जिससे जन आक्रोश तथा व्याप्त भय एवं असंतोष दूर हो सके और किसी तरह की अप्रिय घटना होने का अंदेशा दूर हो सके ।

सुल्तानपुर जनपद की तहसील, पोखरपुर के मौजा नगरडीह में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरि चरण यादव (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महोदय, मौजा नगरडीह, थाना पीपरपुर तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर में दिनांक 19 मई, 1979 को भीषण अग्निकांड से तमाम घर जलकर स्वाहा हो गये । इसमें से श्री राम अवतार, सुत गंगई, बिहारी सुत दबू, महराजदीन सुत रामपियारे, रतू सुत झरी, रामदीन सुत राम हरख की अपूर्णनीय क्षति हुई है । रहने के लिये मकान, पहनने के लिये कपड़ा तथा खाने के लिये अन्न नहीं है । यह सभी हरिजन भूमिहीन तथा खेतिहर मजदूर हैं । बरसात सन्निकट है । पेड़ के नीचे भी गुजर नहीं होगी । बहुत ही दयनीय दशा है ।

अतः मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल उपरोक्त पीड़ित लोगों की आर्थिक सहायता की जाय ।

प्रदेश में सी० टी० प्रशिक्षण प्राप्त एक हजार नवयुवकों की बेकारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

मान्यवर, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सी० टी० प्रशिक्षण प्राप्त एक हजार नवयुवकों की बेकारी की तरफ सरकार तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सी० टी० प्रशिक्षण प्राप्त एक हजार नवयुवक गत 4-5 वर्षों से बेकार हैं, शासन ने भी अब सी० टी० का प्रशिक्षण देना समाप्त कर दिया है एवं सी० टी० के वेतन क्रम में बी० टी० सी० शिक्षण प्राप्त युवकों को भी भर्ती किया जाता है । जिसका परिणाम यह होता है कि बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त नवयुवकों की नियुक्तियां हो जाती हैं एवं सी० टी० के प्रशिक्षण पाये नवयुवक पूरे प्रदेश में लगभग एक हजार युवक बेकार हैं । यह बेकार युवक कई ज्ञापन माननीय शिक्षा मंत्री को भेज चुके हैं पर कोई परिणाम नहीं निकल रहा है । अतएव मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि सी० टी० वेतन क्रम में पहिले सी० टी० प्रशिक्षण प्राप्त नवयुवकों को स्थान दें, जो गत कई वर्षों से बेकार हैं, उसके बाद बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को सेवा क स्थान दिया जाय ।

इटावा जिले में बिजली की अव्यवस्था के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री औसान सिंह (जिला इटावा)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इटावा जनपद में बिजली की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, इटावा जनपद के सैकड़ों नलकूप सरकारी व व्यक्तिगत बिजली के न मिलने से बन्द पड़े हैं तथा ग्रामीण अंचलों में बिजली का घोर संकट है । रठगांव-नगलातुला-बदनपुर पुरवा जैन, शैदपुर, भिखारा, भारामल आदि दर्जनों ग्रामों के नलकूप बन्द पड़े हैं, मान्यवर वैसे, ही ओला वृष्टि से क्षेत्र में अकाल की स्थिति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री औसान सिंह---]

हैं । खरीफ की फसल की बुवाई व धान की नरसरी तैयार करने, मक्का, धान आदि फसलों बोने का समय है । ऐसे समय पर बिजली का न मिलना कृषकों के लिये मृत्यु तुल्य है । मान्यवर, यही नहीं, बेला, विधूना, बेल'-हार, सहायत, विधूना, ऐखा, अछल्दा, मुहम्मदाबाद, ऐखा-असकाहार आदि विद्युत लाइनें जिन पर कृषकों का पेशगी रुपया पावर तथा प्रकाश हेतु कनेक्शन लेने के लिये धन 2-2, 3-3 वर्षों से जमा है परन्तु खेद है कि उक्त लाइनों पर खम्भा तार लगने के बाद भी लाइनें मृत पड़ी हैं और विद्युत सप्लाई नहीं की जा रही है ।

अतः इस सुनिश्चित लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि विद्युत मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें और अविलम्ब विद्युत व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, विद्युत मंत्री मौजूद हैं । इस पर वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह जांच कर लेंगे और देखेंगे, जो व्यवस्था हो सकती है, जो ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं, वहाँ बिजली पहुंचाने की कोशिश करेंगे ।

देवरिया जिले की कप्तानगंज चीनी मिल के मैनेजर द्वारा भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष, मंत्री तथा संयुक्त मंत्री की सेवाएं समाप्त किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)---

मान्यवर, देवरिया जिले के चीनी मिल, कप्तानगंज के मैनेजर ने भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष, मंत्री तथा संयुक्त मंत्री के खिलाफ आरोप लगाकर अपने सहायक मैनेजर से उसकी पुष्टि कराकर उनकी सेवायें समाप्त कर दी है जो हरगिज न्याय संगत नहीं है । अध्यक्ष और मंत्री मजदूरों में वरिष्ट हैं । उनकी एक मर्यादा है । इनकी सेवायें भी पूरी होने वाली हैं । दो वर्षों में ही अवकाश ग्रहण करने वाले हैं । मिल मैनेजर ने इनके सी० एफ० तथा ग्रेचुटी के पैसे हड़प लेने के गरज से ही ऐसी गैर कानूनी कार्यवाही की है, जिससे मजदूरों तथा आम लोगों में भीषण रोष एवं असंतोष व्याप्त है ।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उसके अनुपालन के लिये अपने प्रभाव का प्रयोग करें ताकि न्याय मिल सके ।

कानपुर के ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा ईंटों के मूल्य में वृद्धि के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मौजीलाल कुरील (जिला कानपुर)---

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान जनपद कानपुर के ईंट भट्ठा मालिकों ने ईंटों के भाव में इतनी बढ़ोत्तरी कर दी है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिससे सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। जिन ठेकेदारों ने सम्पर्क मार्गों पर ईंट का खड़ंजा लगाने का ठेका लिया था, उस समय ईंट का रेट 110 रुपया प्रति हजार था अब इस समय ईंट 155 रुपया प्रति हजार बेची जा रही है। ईंट की ढुलाई का चार्ज अलग से 30 रुपया प्रति हजार देना पड़ता है। जिन ठेकेदारों ने पुलियां, नालियां, ट्यूबवेल व हौज आदि बनाने का ठेका लिया था, ईंटों की महंगाई के कारण सारा काम बन्द हो गया है। पूरे जिले के निर्माण कार्य ठप्प हो गये हैं। यहां तक कि हरिजन कूपों का भी निर्माण कार्यबन्द है। निकट बरसात आ रही है, जिससे सभी अधूरे कुयें गिर कर नष्ट हो जायेंगे।

पुलिया व नाली न बनाये जाने से बरसात का पानी जहां का तहां रुका रहेगा। पानी का निकलना बन्द हो जायेगा, जिससे भीषण बाढ़ आ जाने का खतरा पैदा हो गया है। इससे जनजीवन त्रस्त हो जायेगा। लोग भूखों मरने की स्थिति में आ जायेंगे।

अस्तु आप के माध्यम से मैं माननीय खाद्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे ईंटों का भाव निश्चित करें, जिससे जन साधारण को ईंट मिल सके और बरसात के पहले सभी निर्माण कार्य चालू हो कर आगे आने वाले संकटों से छुटकारा मिल सके।

श्री प्रकाश कुमार गुप्त, महा मंत्री, व्यापार मंडल, फैजाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

श्री भगवती सिंह, श्री अवधेश प्रसाद, श्री श्रीराम द्विवेदी, श्री हरीराम वर्मा, सदस्यगण, विधान सभा ने श्री प्रकाश कुमार गुप्त, महामंत्री, व्यापार मंडल, फैजाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है और उक्त श्री प्रकाश कुमार गुप्त द्वारा माननीय श्री भगवतीसिंह, माननीय श्री अवधेश प्रसाद और माननीय श्री श्रीराम द्विवेदी को सम्बोधित पत्र संलग्न करके भेजे हैं। इन पत्रों में कहा गया है कि विधान सभा के बजट सत्र में बिक्रीकर हटाने के लिये अपने विचार प्रकट करें और सरकार पर दबाव डालें कि वह अपने वादे के अनुसार बिक्रीकर हटा कर उसकी पूर्ति अन्य विकल्प द्वारा करें। पत्र में उक्त माननीय सदस्यों को यह धमकी भी दी गयी है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो व्यापार मंडल के निर्णय के अनुसार उनका सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा और उनके विरुद्ध प्रचार किया जायेगा।

सदस्यों को सदस्य के रूप में किये जाने वाले कार्यों में प्रभावित करना या सदन या उसकी किसी समिति के सामने विचार के लिये आने या रखे जाने वाले विषय या बात के समर्थन या विरोध करने के लिये दबाव डालन विशेषाधिकार की अवहेलना है। श्री महेश्वर नाथ कौल तथा श्यामलाल शकधर की पुस्तक संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के पृष्ठ 257 के अनुसार किसी सदस्य को तर्क के अतिरिक्त और किसी ढंग से प्रभावित करने की चेष्टा, जिसका उद्देश्य उसके अपने कर्त्तव्य का पालन करने से रोकना हो, विशेषाधिकार भंग है। अतः सदस्यों को उनके संसदीय आचरण में प्रभावित करने के लिये धमकी देकर डराने की चेष्टा भी विशेषाधिकार भंग है।

अतः मैं उक्त माननीय सदस्यों द्वारा श्री प्रकाश कुमार गुप्त, महामंत्री, व्यापार मंडल, फैजाबाद के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न

[श्री उपाध्यक्ष---]

को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 66 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन लिये निर्दिष्ट करता हूं ।

फैजाबाद व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार का अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष---

श्री राम आसरे वर्मा ने विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना फैजाबाद व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के विरुद्ध दी है, जिसमें यह कहा गया है कि माननीय श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा को धमकी दी गयी है कि विक्री कर के प्रश्न पर उनका घेराव तथा सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा । इस सूचना के साथ कोई ऐसा प्रमाण संलग्न नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि माननीय श्री मित्रसेन को अपने कर्त्तव्य पालन से रोकने का कोई प्रयास किया गया है अथवा उन्हें संसदीय आचरण में प्रभावित करने के लिये धमकी देकर डराने की चेष्टा की गयी है । अतः मैं श्री राम आसरे वर्मा द्वारा दी गयी सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

विद्युत् मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष---

दिनांक 5 जून, 1979 को सदन में माननीय सदस्य श्री श्यामधर मिश्र द्वारा एक औचित्य का प्रश्न उठाया गया था । उसमें दिनांक 4 जून, 1979 को माननीय विद्युत् मंत्री द्वारा एक प्रेस कान्फ्रेंस में विद्युत् की दरों के (टेरिफ) बढ़ाये जाने तथा उससे 30 करोड़ रुपये की आमदनी के सम्बन्ध में वक्तव्य का उल्लेख करते हुये यह कहा गया था कि यह सदन का अपमान है क्योंकि माननीय मंत्री जी द्वारा न तो इस प्रकार की सूचना जब विद्युत् सम्बन्धी अनुदान प्रस्तुत हुये थे, उस समय दी गयी थी और न ही 4 जून, 1979 को जब सदन की बैठक हो रही थी उस समय इस प्रकार की सूचना सदन को दी गयी । इस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल, माननीय श्री गोविन्द सिंह नेगी, माननीय श्री सोहनवीर सिंह तोमर, माननीय श्री राधेश्याम शर्मा एवं माननीय श्री देव बहादुर सिंह और माननीय श्री गनेशी लाल चौधरी ने अपने विचार सदन में दिनांक 5 जून, 1979 को व्यक्त किये । इसके अतिरिक्त माननीय विद्युत् मंत्री एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किये । इस पर मैंने अपना निर्णय बाद में देने को कहा था ।

इस सम्बन्ध में सदन में जो विचार व्यक्त किये गये और जो प्रश्न सदन में उठाये गये, वे मुख्यतः इस आधार पर थे कि उक्त टेरिफ की बढ़ोत्तरी शासन द्वारा की गयी है और उसकी बढ़ोत्तरी से जो धन उपलब्ध होगा वह शासन को उपलब्ध होगा । सरकारी पक्ष की ओर से माननीय मंत्रियों द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किया गया, वह यह था कि टेरिफ बढ़ाने का अधिकार केवल विद्युत् परिषद् को है । उसमें शासन को कोई अधिकार नहीं है और इससे उत्पन्न आमदनी विद्युत् परिषद् की होगी ।

विद्युत् परिषद् की स्वायत्तता तथा माननीय वित्त मंत्री द्वारा उक्त बयान दिये जाने के संदर्भ में यह प्रश्न मुख्य रूप से उठाये गये जब कि विज्ञप्ति 25-5-79

को विद्युत परिषद् द्वारा जारी की गई तो उस सम्बन्ध में निर्णय पहले ले लिया गया होगा और 24-5-79 को विद्युत सम्बन्धी अनुदान पर इसकी चर्चा की जानी चाहिये थी तथा विद्युत परिषद् द्वारा 25-5-79 को जारी की गई विज्ञप्ति के सम्बन्ध में घोषणा 4 जून, 1979 को क्यों की गई। इसका माननीय मंत्री द्वारा जवाब भी दिया गया था। लेकिन इस प्रश्न पर वर्तमान औचित्य के प्रश्न पर निर्णय देने हेतु विचार करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं क्योंकि इस औचित्य के प्रश्न पर निर्णय हेतु यह देखना है कि टैरिफ बढ़ाने का जो निणय किया गया वह शासन द्वारा नीति निर्धारण के प्रश्न के अन्तर्गत आता है या नहीं। यदि आता है तो निश्चय ही इसकी घोषणा सदन में उसका अधिवेशन होने की दशा में की जानी चाहिये थी।

इलेक्ट्रिक (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 49 में कानूनन यह अधिकार विद्युत परिषद् को ही है कि वह टैरिफ, उस धारा में दिये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, बढ़ाये। इसमें शासन की पूर्व स्वीकृति या अनुमति अपेक्षित नहीं है। विद्युत परिषद् द्वारा बढ़ाये गये उक्त टैरिफ से प्राप्त आय राज्य की संचित नीधि का भाग न होकर राज्य विद्युत परिषद् की अय होगी। इस प्रकार, जो यह तर्क उपस्थित किया गया था कि उससे वर्तमान में प्रस्तुत बजट का संतुलन भिन्न हो जायगा, यह सही नहीं है। इस प्रकार कानूनन यह शासन की नीति का प्रश्न नहीं है। प्रचलित परम्परा के अनुसार शासन की नीति विषयक घोषणा ही जब सदन का अधिवेशन हो रहा हो, माननीय मंत्रियों द्वारा सदन में ही करना अपेक्षित है। अतएव, बिना इस प्रश्न पर अपना मत व्यक्त किये हुए कि, विद्युत परिषद् को विज्ञप्ति कब जारी हुई और माननीय विद्युत मंत्री ने इस सम्बन्ध में 4 जून, 1979 को विद्युत परिषद् के स्थान पर स्वयं प्रेस कांफ्रेस में इसकी घोषणा क्यों कि मैं उपर्युक्त कारणों से इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

इसमें आपने अपना निर्णय नहीं दिया कि इनको नीति की घोषणा सदन में करनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो मैं कह चुका हूं। यह विद्युत परिषद् का अधिकार है, इसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। न तो वह पूर्व स्वीकृति लेते हैं और न निर्णय लेने के बाद उसकी सूचना शासन को देते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मंत्री जो अब आ गये हैं, उस दिन नहीं थे। यह जो यूनिट का रेट बढ़ाया गया, विद्युत मंत्री ने कह दिया कि शासन के सामने नहीं आया। विद्युत परिषद् जब इस तरह के फैसले लेते हैं तो शासन से अनुमति लेते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो यह पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ है कि विद्युत परिषद् ने बिना शासन से अनुमति लिये हुए विद्युत का रेट बढ़ा दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर विशेषाधिकार की भी सूचना मेरे पास आई है। जब हम उस पर विचार करेंगे तो इसे भी देख लेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

अब हमको मालूम होगा नहीं कि कब आप उस पर निर्णय लेंगे । आप तो निर्णय घोषित कर देंगे । आप पहले हम लोगों को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

विशेषाधिकार की सूचना आती है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सुना जाता है । ऐसी मिसाल तो नहीं है कि नहीं सुना गया हो ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मौनम् 'स्वीकृति लक्षणं' मुख्य मंत्री जी चुप हैं इसका मतलब स्वीकृति ली गयी ।

(श्री हरिराम वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपकी सूचना आदेश के साथ भेज दूंगा । आप कृपया बैठें ।

प्रदेश में गेहूं की खरीद में शिथिलता तथा धांधली के सम्बन्ध में वक्तव्य

(खाद्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

महोदय, हम लोगों को वक्तव्य की कापी नहीं मिली ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी प्राप्त हुई है...।

श्री मोहन सिंह--

पहले बंटवा दीजिए उसके बाद पढ़ा जाय नहीं तो प्रश्न कैसे पूछ सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है बंटवा दिये जायं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, वक्तव्य की कापी का वही हाल है जैसा बोरों का है क्रय केन्द्रों पर । बोरे भी वहां उपलब्ध नहीं हो रहे हैं वैसे ही वक्तव्य यहां उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री मलखान सिंह)--

चालू रबी मारकेटिंग वर्ष 1979-80 में सीधे उत्पादकों से मूल्य समर्थन योजना के अधीन गेहूं की खरीद की जा रही है तथा खरीद हेतु 5 विभिन्न राजकीय एजेन्सियां, अर्थात् भारतीय खाद्य निगम, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, राज्य सरकार की मारकेटिंग शाखा, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य तथा आवश्यक वस्तु निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम कार्यरत हैं । इस वर्ष गेहूं की खरीद हेतु समस्त आवश्यक प्रबन्ध किये गये तथा खरीद संतोषजनक ढंग से चल रही है । मुख्यालय पर प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-6-79 को समाप्त होने

वाले पक्ष में प्रदेश में विभिन्न क्रय एजेन्सियों द्वारा गेहूं की खरीद का दैनिक औसत 30.721 मी० टन था। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में खरीद का दैनिक औसत 28.486 मी० टन था। इस वर्ष दिनांक 7-6-79 तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में कुल 12,34.572 मी० टन गेहूं की खरीद हो चुकी है जब कि गत वर्ष पूरे सीजन में 11.64 लाख मी० टन गेहूं की खरीद हुयी थी।

2--वर्तमान रबी खरीदारी सीजन के प्रारम्भ से ही शासन का यह प्रयत्न रहा है कि मूल्य समर्थन योजना का पूर्ण लाभ केवल प्रदेश के किसानों को दिलाया जाय तथा बिचौलिये इस अनुचित लाभ न उठाने पायें। अतः गेहूं खरीद योजना से बिचौलियों को समाप्त किये जाने हेतु समय-समय पर निर्देश भेजे गये तथा विभिन्न जिलों में क्रय केन्द्रों पर अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण भी किया गया, जिसके फलस्वरूप क्रय केन्द्र स्टाफ एवं बिचौलियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है तथा जांच बराबर जारी है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार मैनपुरी जनपद में 2 बिचौलियों को पकड़ा गया और शाहजहांपुर जनपद में 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें बिचौलिये भी सम्मिलित हैं तथा उनके विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करायी गई। मैनपुरी जनपद में उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के दो अधीक्षकों तथा मारकेटिंग विभाग के एक इन्सपेक्टर को निलम्बित किया गया। जिला मैनपुरी में ही एक हैण्डलिंग एजेन्ट का ठेका समाप्त किया गया। एटा जनपद में 310 क्विंटल, शाहजहांपुर जनपद में 324 क्विंटल तथा मुरादाबाद जनपद में 700 क्विंटल अर्थात् कुल 1334 क्विंटल अवैध गेहूं पकड़ा गया।

3--क्रय केन्द्रों पर प्रयोग होने वाले कांटे तथा बांटों की जांच किये जाने हेतु भी शासन द्वारा निर्देश भेजे गये थे ताकि गलत कांटे तथा बांट के प्रयोग से किसानों को किसी प्रकार की हानि न हो। इस सम्बन्ध में जांच के पश्चात् विभिन्न जिलों में 67 क्रय केन्द्रों पर अनियमितायें पायी गयीं जिसके लिए उनके चालान किये गये हैं व अन्य आवश्यक कार्यवाही की गई है।

गेहूं खरीद में बोरों की कमी की ओर भी शासन का ध्यान समय-समय पर आकृष्ट किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बोरों की उचित व्यवस्था हेतु शासन बराबर प्रयत्नशील है और बोरों की कमी के कारण कोई भी क्रय केन्द्र बन्द होने नहीं दिया जायेगा। बोरों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अब तक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त बोरों की संख्या 131 लाख है जिसमें से 123 लाख बोरे गेहूं की खरीद में प्रयोग हुये हैं। इस प्रकार अब भी 8 लाख बोरे अवशेष हैं। इसके अतिरिक्त डी०जी०एस०डी० द्वारा कलकत्ते से की गई व्यवस्था के अन्तर्गत 26 लाख बोरे और प्राप्त होने हैं जिसमें से 10 लाख बोरे डिस्पैच होकर रास्ते में हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ ने गेहूं खरीद हेतु 32 लाख बोरे क्रय किये हैं जिसमें से 2 लाख बोरे प्राप्त हो चुके हैं तथा 11 लाख बोरे शीघ्र आ जाने की आशा है। शेष के भी शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने बंगला देश से बोरे आयात किये हैं जिसमें से 51 लाख बोरे इस प्रदेश को आवंटित हुए हैं। बंगला देश से बोरों के जहाज कलकत्ता पहुंच गये हैं और पोर्ट पर उतारे जा रहे हैं तथा क्यू०टी० एस० वैगनों द्वारा डिस्पैच करने की व्यवस्था की गयी है। आशा है कि शीघ्र ही वहां से इस प्रदेश को बोरे डिस्पैच हो जायेंगे। इस प्रकार विदित होगा कि यद्यपि जूट मिलों में हड़ताल हो जाने के फलस्वरूप पूरी संख्या में बोरे आयात करने में कुछ विलम्ब हुआ है तथापि गेहूं की खरीद हेतु बोरों की उपलब्धता में कमी न हो, इसका भरसक प्रयास किया गया है और किया जा रहा है।

[श्री मलिखान सिंह--]

उत्पादकों को उनके खाद्यान्न का मूल्य समय से भुगतान न होने की भी शासन को यदा कदा शिकायतें प्राप्त हुयी थीं। अतः शासन द्वारा यह निर्देश भेजे गये हैं कि उत्पादकों को न केवल चेक उसी दिन ही जारी हों बल्कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि उनको चेकों का भुगतान तीन दिन के अन्दर अवश्य मिल जाये।

श्री मोहन सिंह--

एक-दो बातें स्पष्ट करनी हैं। यह सही है कि यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आज तक की स्थिति जो थी वह बतला दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, अधिकांश क्रय केन्द्र बन्द हैं। बोरों के अभाव में उनको हम बन्द नहीं रहने देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

वह व्यवस्था कर रहे हैं (कई सदस्य खड़े हो गये तथा बोलने लगे)।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री देव बहादुर सिंह--

15 दिन से हमारे यहां क्रय केन्द्र बन्द पड़े हैं। किसान परेशान हो रहे हैं और भूखों मर रहे हैं।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

हम लोगों को क्षेत्रों में जाना असम्भव हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर कई मर्तबे चर्चा हो चुकी है...(व्यवधान)। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय था...

श्री देव बहादुर सिंह--

तो उससे क्या उपलब्धि हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

इस पर अलग से चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

तो कार्य मंत्रणा समिति के सामने इस मामले को लायें ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

अगर आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो इसे कार्य मंत्रणा समिति के सामने भेजें... (व्यवधान) अब किसी का भाषण नहीं लिखा जायेगा । इस तरह स किसी की समझ में भी नहीं आयेगा । इस विषय पर दो मर्तबा चर्चा हो चुकी है । काय मंत्रणा समिति के सामने जब यह जायेगा तब उसमें निश्चय हो जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरा प्रस्ताव यह है कि आज शाम को 5 बजे इसे ले लें । इस बारे में मैं समझता हूं कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

आज की स्थिति के बारे में तो उन्होंने वक्तव्य दे दिया । जिलों से विवरण मंगाना है । आज तो यह नहीं हो पायेगा । अगले सप्ताह के लिये हो सकता है ।

श्री मलिखान सिंह--

अगर आप डिवेट के लिये भी चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है । जो तथ्य थे वह मैंने सामने रख दिये । सब सदस्य जानते हैं कि बोरों की कमी जनवरी फरवरी में रही...

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, आप स्वतः देखें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला लेंगे और उसमें तय कर लेंगे । आज यह सम्भव नहीं है । कई वक्तव्य आज हैं ।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)

मान्यवर, शाहजहांपुर में गेहूं की खरीद के बारे में मैंने नियम 301 में लिखकर दिया था कि माननीय मन्त्री जी का मत स्पष्ट कर दें कि वहां का गेहूं खरीदा जायेगा या नहीं, खरीदा जायेगा ? पंजाब में इस तरह का गेहूं भारी मात्रा में खरीदा गया है । वहां के किसानों ने इस सम्बन्ध में भूख हड़ताल कर रखी है...

श्री उपाध्यक्ष--

यह उनके पास आयेगा ही और वे बयान देंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

शाहजहांपुर में भूख हड़ताल हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष--

बिना इजाजत के बोलना ठीक नहीं हैं। यह माननीय सदस्य ने रख दिया है (व्यवधान) म इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

प्रदेश के अन्य सारे क्रय केन्द्रों पर खरीदा जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये, आपका विषय आ चुका है मैंने उसे भेज दिया है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

हमारे शाहजहांपुर में ही गेहूं न खरीदने का क्या कारण है जब कि दूसरी जगहों में खरीदा जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता (व्यवधान) अब आप जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा। यह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

कैसे सुन लें।

श्री सत्यपाल सिंह यादव--

[***]

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी, श्री राजमंगल पाण्डेय को बुला लि है।

श्री बहादुर सिंह--

वह विषय बन्द है इसलिए वह कहना चाहते हैं।

श्री उपा --

मैंने उनको मना किया फिर भी बोल रहे हैं। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैंने इजाजत नहीं दी और न दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

शाहजहांपुर में विशेष स्थिति है।

नोट--[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

(खाद्य मन्त्री के खड़े होने पर) जब तक मैं न पुकारूं तब तक आप जवाब नहीं देंगे । कृपया आप बैठें ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री और आपूर्ति मन्त्री यहां पर हैं, उनसे कहना चाहता हूं जितने बीज के काम का गेहूं है, जिसकी सप्लाई अलग विभाग करता है, बाकी जो गेहूं खाने लायक है उसको अगर वह रोगग्रस्त नहीं है, जब तक आपके स्पेशलिस्ट नहीं कहते हैं कि यह खाने के लायक नहीं है तब तक आप सब गेहूं को खरीदें । जब तक वह खाने के अयोग्य न हो खरीदना चाहिये । इससे बीज का कोई तालुक नहीं है तो उसको लेने में क्या एतराज है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय खाद्य मन्त्री जी एक सूचना 301 में आई थी श्री वेनी प्रसाद माधव जी की जो सहारनपुर के गेहूं के सम्बन्ध में है उसकी जांच करवा लें । वह कहते हैं कि गेहूं रोगग्रस्त है उसको खाने से रोग पैदा हो सकता है । इसकी आप जांच करवा लें ।

श्री देवबहादुर सिंह--

जिस का नाम करनाल बन्ट है और जगह वह खरीदा जा रहा है : इसकी जांच करवा लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप बैठें ।

मानिकपुर, बांदा में पीने के पानी के अभाव के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

हां आगे चलते हैं । एक पत्र आया है माननीय श्रम मन्त्री का जिसमें उन्होंने लिखा है कि "मानिकपुर, बांदा में पीने के पानी का भीषण अभाव से जन-जीवन का खतरे में पड़ जाने विषयक, कृपया अपने पत्र संख्या 2556, दिनांक 30 मई, 1979 का अवलोकन करें ।

चूंकि उक्त मामले में विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है जिसमें कुछ और समय लगने की सम्भावना है, अतः कृपया इसे एक माह बाद किसी अन्य तिथि इस के लिये निश्चित करने का कष्ट करें ।"

तो एक महीने में तो अधिवेशन समाप्त हो जायेगा इसलिए यह 14 तारीख के अन्दर ही हो जाय आप इसके लिए तैयार हो कर रहें । जितनी भी सूचना एकत्रित कर सकें आप कृपया इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें । 14 तारीख या उसके अन्दर निश्चित कर लें ।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

उसमें आदेश दे दिये गये हैं लेकिन सम्पूर्ण सूचना एकत्रित कर सदन को अवगत करने में थोड़ी देर लगेगी ।

श्री दे कुमार (जिला बाँदा)--

मान्यवर, केन नदी के पार के जो गाँव हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

इ तरह से नहीं बोलेंगे आप, जो कुछ मन्त्री जी से कहना चाहते हैं लिख कर दे दें।

श्री धुकर दिघे--

माननीय सदस्य लिख कर भेज दें, मैं आज ही उसे भेज दूंगा आवश्यक कार्यवाही के लिए।

श्री देव कुमार--

केन नदी के पार 50 गांव हैं जहाँ पानी नहीं जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आपको जानकारी हो, सूचना हो, वह कृपया लिखकर आप माननीय मन्त्री जी को भेज दें।

श्री देव कुमार--

वहाँ पर की पाइप लाइन दूसरी जगह डाल दी गयी इस वजह से उन पचासों गांवों में इस साल कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ग्रामीण प्यासे मर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर भेज दें, अभी 14 तारीख तक काफी समय है। सारे तथ्य वह सदन के सामने रख देंगे।

श्री मधुकर दिघे--

मैंने अभी निवेदन किया कार्यवाही जो होनी चाहिए, वह कार्यवाही तो हो रही है, लेकिन मांगी गयी सूचना एकत्र की जा रही है, उसमें समय लग रहा है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत हमें तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री नारायण दत्त तिवारी की जनपद नैनीताल में पुलिस-छात्र संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना है, और दूसरी और तीसरी सूचना क्रमशः श्री राम आसरे वर्मा और श्री रामकृष्ण उपाध्याय की एक ही विषय "उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के सचिवों द्वारा सविनय आज्ञा आन्दोलन" किये जाने के सम्बन्ध में है। इन तीनों को मैंने अस्वीकार किया है। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल की सूचना के विषय पर ही एक सूचना को मैंने नियम 51 में स्वीकार किया है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

(× × ×)

श्री उपाध्यक्ष--

जो आप बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जाएगा । आप बैठें ।

श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर)--

कोआपरेटिव मिनिस्टर के सामने सचिव आत्मदाह करने जा रहे हैं । इस पर विचार हो जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह मैं शासन को भेज दूंगा कार्यवाही के लिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

इसमें कम से कम हमें आप ग्राह्यता पर तो सुन लें ।

नैनीताल में पुलिस-छात्र संघर्ष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मेरा आपसे आग्रह है कि मैंने जो कामरेड को प्रस्ताव पेश किया था, उसका तात्कालिक महत्व है । वहां पर राज्यपाल साहब की यात्रा के सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों ने एक अनधिकृत व्यक्ति से ट्रक ड्राइव करवा दिया, जो उसे चलाना नहीं जानता था, जिससे एक छात्रा कुचल गई । परिणाम स्वरूप नैनीताल में एक तहलका मचा हुआ है । पुलिस ने लाठी चार्ज किये हैं, घरों में घुस कर लाठी चार्ज हुआ है । वह इतना बड़ा पर्यटक स्थल है, वह भी फंसे पड़े हुए हैं, उनका जीवन त्रस्त और अस्त-व्यस्त हो गया है । इसी कारण वहां पर पहली बार बुद्धिजीवियों ने इतना बड़ा जुलूस निकाला है । केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकार के तमाम लोग वहां जमा हैं, वहां मीटिंग चल रही हैं, लेकिन लोगों का जीवन आतंकित और त्रस्त है, सारा जनजीवन ठप है ।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अत्यन्त खेद का विषय है कि महामहिम राज्यपाल 6 तारीख को साढ़े 10 बजे हनुमानगढ़ी से वापस आ रहे थे, तल्लीताल बस स्टैन्ड के पास 100 के करीब फासले पर एक ट्रक खड़ा था । उससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया था । तो उस वक्त हेड कांस्टेबेल और एक कांस्टेबिल ने ड्राइवर को अनुपस्थित पाकर क्लीनर से कहा उस ट्रक को हटा दो । उसने हटाया, उसके हटाने में क्लीनर उस पर नियन्त्रण नहीं रख सका । और इस तरीके

नोट--(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसी दास--]

से एक लड़की, जो बी० ए० की छात्रा थी, बीना नैथानी उसको चोट लगी । जो प्राप्त सूचना है, उसके अनुसार 2 चोट सिम्पिल फ्रेक्चर की है और कुछ चोट मल्टीपिल फ्रैक्चर की उसकी जांघ पर आयीं और वह लड़की 6 तारीख को शाक की स्थिति म थी । लेकिन अब उसकी स्थिति ठीक है । इस पर वहां पर लड़के उत्तेजित हुए । उन्होंने राज्यपाल की कार को रोकना चाहा । तो एस्कोर्ट पुलिस ने उनको निकाल दिया । उसके बाद पथराव किया । भीड़ जमा हो गयी । पुलिस ने कुछ टियर गैस छोड़ी । उसके बाद कुछ लड़कों ने पथराव भी किया । यह लड़की नैनीताल के एक कर्मचारी की पुत्री है । उस से हड़ताल भी हुई । रोडवेज चालकों ने कार्य बन्द कर दिया । लेकिन साढ़े छः बजे समझाने बुझाने से उन्होंने कार्य शुरू किया । कलेक्टर ने तुरन्त ही हेड कान्स्टेबिल और कान्स्टेबिल जिन्होंने क्लीनर को ट्रक हटाने के लिए आदेश दिये थे उनको निलम्बित करके पुलिस खलासी लाइन भेज दिया और उसकी तुरन्त जांच ए० डी० एम० को दे दी । लेकिन उसकी जांच विस्तृत रूप से करने के आदेश मैंने वहां के कमिश्नर को दे दिये हैं और वहां पर स्थिति सामान्य है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

ठीक से उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय नेता विरोधी दल ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव इस समस्या के बारे में दिया । मने और चौधरी गनेशी लाल जी ने नियम 51 के अन्दर सूचना दी थी । आपने व्यवस्था दी थी कि नियम 51 म स्वीकार करेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सुन तो लीजिये ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा नारायण दत्त तिवारी साथ-साथ बोलने लगे ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बड़ा क्षोभ व्याप्त है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । या तो उस पर चर्चा करवा दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

जो कुछ भी वहां पर किया गया उसके विरोध स्वरूप हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री नारायण दत्त तिवारी तथा कांग्रेस (आई) दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

तीन चार दिन बीत जायेंगे तब पूरक प्रश्न पूछे जायेंगे, उसके ऊपर । नियम 51 पर आज ही चर्चा करवा दें, तब तक स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेंगे ।

श्री बनारसी दास––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम 56 में आपने लिया नहीं । 51 में आपने स्वीकार किया । क्योंकि नेता विरोधी दल चाहते थे, यह प्रश्न इतने महत्व का है इस लिए मैंने आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए सदन को अवगत कर दिया औ मैं समझता हूं कि इसमें कोई नियम के उल्लंघन का प्रश्न नहीं है । यदि माननीय सदस्य चूंकि नियम 51 में पुनः इस पर सूचना कोई आना सम्भव नहीं होगा और कोई माननीय सदस्य प्रश्न करना चाहें, आप अनुमति दे दें तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे––माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहते ह चेम्बर में पूछ लेंगे, माननीय सदन की गरिमा होती है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सहमत हूं कि इस सम्बन्ध में चर्चा होना अवश्यक है : समस्या इतनी गम्भीर है । मुझे निश्चित जानकारी मिली है । सीतामर से जिस गाड़ी से आ रहा था उसमें नैनीताल के बहुत सारे लोग आ रहे थ कि वहां पर जो पर्यटक जा रहे थे, उनकी कारें लौट रही थीं, वहां पर भगदड़ मच रही थी । ट्रेन म ऐसे लोग मिले, उन्होंने जानकारी दी कि वह लड़की ठीक जरूर हो रही है लेकिन उसके दोनों पैर काटना सुनिश्चत हो गया है । बड़ी गम्भीर स्थिति है । मैं जानना चाहता हूं कि उस लड़की के इलाज के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और साथ–साथ जिस पुलिस के कमचारियों ने जघन्य अपराध किया और क्लीनर से ट्रक चलवा दी, जिस के करण इतना गम्भीर कांड हुआ, उनके खिलाफ प्राइमफेसी केस है, उनको बंडित न करने का क्या कारण है, और लड़की की सेवा–सुश्रूवा के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष––

दो प्रश्न आपने एक साथ जोड़ दिये और कौन तीसरा प्रश्न जोड़ना चाहते हैं ?

श्री बनारसी दास––

श्रीमन्, मैंने तो पहले ही सूचित किया कि जिन पुलिस के कर्मचारियों–– हेड कानिस्टेबिल कान्सटेबिल ने अनधिकृत क्लीनर को ट्रक हटाने का आदेश दिया उनको निलम्बित कर दिया गया है और जहां तक उस लड़की का प्रश्न है, यह

[श्री बनारसी दास--]

सूचना गलत है कि उसके पैर काटने के आदेश दिए गये हैं। उसकी पूर्णतया चिकित्सा की जा रही है और आशा है कि वह लड़की ठीक होगी। फ्रैक्चर है दोनों घुटनों पर और साथ ही उसको एक जंघा पर मल्टीपिल फ्रैक्चर है। उसकी चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की जा रही है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो वहां पर लाठी चार्ज हुआ उससे कितने आदमियों को चोटें आई हैं और कितने आदमी घायल हुये हैं और क्या उसमें कोई आदमी मर भी गया है ?

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि कोई आदमी मरा नहीं है। पुलिस ने शुरू में केवल भीड़ को हटाने के लिए टियर गैस का प्रयोग किया और हल्का सा बल प्रयोग किया। वहां लोगों ने पथराव किया और उसके कारण एक दर्जन से अधिक सिपाहियों को चोटें आयीं और एक दो व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, अभी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ, टियर गैस का प्रयोग किया गया और पथराव भी हुआ, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वहां पर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, यदि गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उनकी संख्या क्या है ? यह कृपया बता दें।

श्री बनारसी दास--

अभी तक कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी है, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस लड़की के इलाज के लिए सरकार ने कितनी सहायता दी है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसका जवाब नहीं दिया, एक तो यह चीज माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करें तथा दूसरा प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं कि वहां पर कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमे कायम किए गये हैं।

श्री बनारसी दास--

इसकी जांच मैंने सुपुर्द कर दी है। इसकी सूचना बाद में मिल जायेगी।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि एक ट्रक सड़क पर रास्ते में खड़ा हुआ था, मगर ड्राइवर का पता नहीं था। इसीलिए हेड

कानिस्टिवेल को उसके क्लीनर से हटवाना पड़ा । माननीय, ट्रैफिक नियमों के अनुसार ड्राइवर पर क्या कार्यवाही की गयी जो रास्ते को अवरुद्ध किए हुए था, जिसके कारण यह घटना हुई ?

श्री बनारसी दास—

वह ड्राइवर वहां पर नहीं था और रास्ता साफ करने के लिए वहां पर केवल क्लीनर उपलब्ध था । अभी ड्राइवर नहीं मिला है । लड़की की चिकित्सा का पूरा इन्तजाम कर दिया गया है और सरकार पूरी तरह से उसकी चिकित्सा का जो भी व्यय होगा, उसको वहन करेगी ।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

जैसा अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि नैनीताल के रास्ते में यह दुर्घटना हुई और इसके परिणामस्वरूप नैनीताल में छात्र आन्दोलन की और अग्रसर हैं या नहीं और मुख्य मन्त्री जी ने उस लड़की को सहायता के रूप में कितनी धनराशि स्वीकार की है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले प्रश्न की इजाजत नहीं देता और दूसरे प्रश्न के बारे में भी वह कह चुके हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी कोई सूचना है कि कितनी धनराशि दी गयी है ?

श्री बनारसी दास—

मैंने अभी कहा कि उस लड़की की चिकित्सा की पूरी व्यवस्था कर दी गयी है । वह लड़की एक राज्य कर्मचारी की पुत्री है तो वैसे भी वह निःशुल्क चिकित्सा की पात्र है । जो भी उसकी चिकित्सा पर व्यय होगा वह सरकार वहन करेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, राजपाल की सवारी पुराना नवाबों वाला किस्सा हो गया और किसी छात्र को बलि चढ़ा दी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो वहां पर लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गयी, वह किसके आदेश पर हुआ और उसकी जांच कौन कर रहा है ?

श्री बनारसी दास—

मैंने शुरू में ही कहा कि उसकी जांच के लिए तत्काल वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मैजिस्टोरियल इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं । मैंने इसकी जांच कमिश्नर को दे दी है । कितने आदेश दिए और क्या हुआ, जांच के बाद जब रिपोर्ट आयेगी, तभी पता चलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि वहां पर कोई गिरफ्तारी हुयी या नहीं, इस स्तर पर उनको जानकारी नहीं है । तो मेरी सूचना को सही मान कर जो मुझे नैनीताल से आए हुए व्यक्तियों ने दी कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं । तो क्या वे कृपा करके आज ही नैनीताल से सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वहां पर गिरफ्तारी हुई हैं और

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

यदि शासन सूत्रों से भी इसकी पुष्टि होती है तो क्या उनको छुड़ाने की नियमानुकूल कार्यवाही करेंगे ?

श्री बनारसी दास--

सम्पर्क स्थापित करने के लिए आज भी आदेश दिए जा चुके हैं, सूचना मिलने के बाद ही पता चलेगा कि कोई गिरफ्तारी हुयी है या नहीं ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

गर्मियों की ऋतु में समितियों की बैठक पहाड़ों पर न हों, इसके लिए शासन के आदेश हैं क्योंकि इससे वित्तीय भार पड़ता है । तो क्या यह नियम महामहिम राज्यपाल के ऊपर भी लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आन्दोलन के संचालन में ननीताल के छात्र ही आन्दोलित हैं, या सामान्य जनता भी ? यदि हां, तो क्या इन छात्रों के आन्दोलन के दूसरे जिलों पर भी असर पड़ने वाला है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । यह लिखा नहीं जायेगा ।

प्रदेश के प्रशासन तंत्र को कुशल, उपयोगी एवं जनतांत्रिक बनाने हेतु एक समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प†

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें गर्व है कि संसार के देशों में जो प्रजातांत्रिक शासन की पद्धति है उसमें हमारे देश का गणतंत्र इस प्रकार का गणतंत्र है जिसकी दूसरे देशों ने भी प्रसंशा की है । इस प्रजातांत्रिक शासन को सक्षम बनाने के लिए, इसका कार्य सुचारुरूप से चले, इसके लिए यह आवश्यक है कि जो प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र है वह बहुत ही कर्मठ हो और बहुत ही कार्यशील हो । इस दृष्टि से यह संकल्प एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान

नोट--(×××) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†4 मई, 1979 की कार्यवाही से ।

रखता है। हमारे देश में जिस प्रकार की पद्धति है, उससे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर प्रशासनिक तंत्र का पूरा सहयोग मिले, तो यह देश और प्रदेश कल्याणकारी राज्य में निश्चित रूप से परिणत हो सकता है।

श्रीमन्, प्रशासन तंत्र को कुशल बनाने के लिए जब हम कुछ सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने वह सारी चीजें आ जायेंगी जो प्रजातान्त्रिक शासन को चलाने के लिए आवश्यक है। प्रजातान्त्रिक शासन तभी सुचारु रूप से चल सकता है जब सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो।

श्रीमन्, हमारे देश और प्रदेश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ। ग्राम सभा के स्तर से जिला परिषद् तक ऐसी पद्धति अपनायी गयी जिससे हम यह कह सकते हैं कि जनता के हाथों में शासनतन्त्र है। किसी भी प्रजातान्त्रिक प्रणाली के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि जनता का शासन हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा हो किन्तु प्रजातन्त्र की सफलता तभी हो सकती है जब शासनतंत्र का पूरा सहयोग प्राप्त हो। हमारे संबिधान के अनुसार ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों का गठन तो किया गया, पर आज इनका शासन जिस रूप से और जिस प्रकार से चल रहा है, उसकी मशीनरी उतनी उपयोगी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए थी।

श्रीमन्, प्रजातन्त्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ग्राम सभा का प्रधान एक सम्मानजनक व्यक्ति होता है, लेकिन आज के शासनतन्त्र से उस पद को ठेस लग रही है। ग्राम सभा का प्रधान आज एक कठपुतली बन गया है। पंचायत सेक्रेटरी और लेखपाल जिस तरह चाहते हैं उसे नचाते हैं। वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। उसे कोई अधिकार नहीं हैं। सारे कागजात पटवारी के पास ही रहते हैं। जो कार्यवाही होती है उसकी पत्रावली भी पंचायत सेक्रेटरी के पास रहती है। जब इस तरह का प्रशासन तन्त्र रहेगा तो जनतन्त्र कैसे सफल होगा। हमें देखना यह है कि क्या इस प्रशासनतन्त्र में इन संस्थाओं को जैसे अधिकारी दिए गए हैं, उससे वे जनता की सेवा कर सकें।

आज हमने सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करके भी सत्ता अधिकारियों के हाथों में ही सौंप दी है, सारे अधिकार अधिकारियों को ही हैं। अंग्रेजी शासन में जिलाधीश को जितने अधिकार थे, उससे कहीं ज्यादा अधिकार आज उसे हैं। प्रत्येक अधिकारी के पास अधिकारों का आडम्बर लगा हुआ है। वह मनमाने तरीके से काम करता है। विकेन्द्रीयकरण का वास्तव में सही उपयोग नहीं हुआ है। और श्रीमन्, किसी भी प्रजातान्त्रिक देश में यदि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होकर उसका जनता के हाथों से उपयोग नहीं होता है, तो श्रीमन् प्रजातांत्रिक शासन कभी सफल नहीं हो सकता। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं, अपनी सभाओं को, न्याय पंचायतों को, क्षेत्र समितियों को, जिला परिषदों को, तो श्रीमन् बड़े खर्च इस जनता के टैक्स से उनके ऊपर हो रहे हैं किन्तु जिला परिषद के पास क्या अधिकार रह गया है? प्रशासनिक तन्त्र ही सर्वे सर्वा है जिस समय वे कार्यरत थीं, उस समय की बात कह रहा हूं, उनके हाथ में कोई काम ही नहीं रह गया था, जो अधिकारी जिस प्रकार से चाहते थे, उसी प्रकार से कार्य होता था।

आज हमें विचार करना होगा कि हम ऐसे सुझाव इस कमेटी के द्वारा दें, जिससे कि हमारा प्रशासन अधिक सक्षम हो सके और उनके अन्दर जनसेवा की भावना पैदा हो सके। आज तो श्रीमन् यह कहने में बड़ा संकोच है, कि बहुत

[आचार्य धर्मदत्त वैद्य—]

अधिक संख्या में आज के अधिकारी सेवा की भावना से कार्य नहीं करते न वे अपने कर्त्तव्य पालन करने में यह नहीं सोचते कि हम जनता के सेवक हैं या जनता के द्वारा की जाने धनराशि से हमको वेतन मिलता है, इस प्रकार उनमें सेवक की भावना नहीं है। आज छोटा सा चौकीदार, सिपाही भी प्रधान के डंडे लगा देता है और कह देता है कि निकलो बाहर। अगर हमको प्रजातांत्रिक प्रणाली को वास्तव में मजबूत बनाना है और जनता के राज्य में इसे परिणत करना है, तो हमें अपने इस प्रशासनिक तन्त्र को आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम भले ही जनता के राज्य की दुहाई दें लेकिन श्रीमन्, प्रजातंत्र खतरे में है। मैं यह निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं श्रीमन् हमको उन सारी चीजों को जो नीचे की इकाई से ऊपर तक चलती है बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा। हम अपने प्रजा के चुने हुए व्यक्ति को सम्मान नहीं देंगे, अगर हमारा अधिकारी, हमारा प्रशासनिक तन्त्र उसका जो अधिकार है, उसको सही तरीके से नहीं समझेंगे, तो श्रीमन्, फिर अन्तर ही क्या रहेगा तानाशाही में और प्रजातन्त्र में। इस प्रकार से इस प्रजातन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए उसको एक सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि इस माननीय सदन की एक कमेटी बने और प्रशासनिक तन्त्र में अधिक क्षमता किस प्रकार से लाई जाय, इस पर वह समिति विचार करे और सुझाव दे। शासन की पद्धति में बड़ी भारी कमी है। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि उनका वह सम्मान, जो जन प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, वे चाहे ग्राम सभा के प्रधान हों, चाहे वे क्षेत्र समिति के सदस्य हों, चाहे वे जिला परिषद् के सदस्य हों, उनको वह नहीं मिलता है।

श्रीमन्, हमें यह भी विचार करना है, कि यह प्रजातांत्रिक सफलता की बात है। हमारे सामने सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात होती है, लेकिन जब हम योजना के द्वारा विकास की बात करते हैं, तो हमें अपने पूज्य नेता जवाहर लाल जी की याद आ जाती है, जनतन्त्र प्रणाली में सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होता है, जब हम प्लानिंग से योजनाबद्ध काम करेंगे तो हमें केन्द्रीयकरण भी करना पड़ेगा। उन्होंने दोनों को एक साथ रखकर हमारे देश में ऐसी प्रणाली चलाई और हम उसमें सफल हुए। लेकिन श्रीमन्, जो हमारी सफलता है, जिस किसी दिशा में, उसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व हमारे प्रशासनिक तन्त्र से है यह अवश्य है कि किसी भी देश में अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा प्रशासन तन्त्र अधिक सक्षम हो और जनतांत्रिक प्रणाली के अनुरूप काम करे तो जनता के प्रतिनिधियों को भी उसी के अनुसार काम करना चाहिए। आज हमारे देश में जितनी भी संस्थायें हैं, सब परोक्ष या अपरोक्ष रूप से राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं। आज कोई संस्था जनता को दिशा निदेश करने वाली नहीं है जिससे चरित्र का निर्माण हो सके, राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो और देश ही सर्वोपरि है, ऐसी भावना उत्पन्न कर सके। दूसरे विकसित देशों की भांति हम राष्ट्रीय बन पायें, इस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब हम प्रशासन तन्त्र पर सुझाव दें तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अधिकारी भी कुछ नियमों का पालन करें कि किस प्रकार हम इस प्रणाली को सफल बना सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है अगर हम इस कमेटी द्वारा माननीय सदस्यों के सुझावों से अपने प्रदेश के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया बना सकें जिससे प्रशासनतन्त्र में जो त्रुटियां हैं, दूर हों तो मैं समझता हूं कि 11 करोड़ से ऊपर जनसंख्या वाला प्रदेश, जो प्रत्येक प्रकार से सक्षम है और जिसकी भौगोलिक स्थिति में खनिज सम्पदा एवं अन्य उपलब्धियां हैं, पूरा लाभ न उठाकर प्रदेश को कल्याणकारी राज्य में परिणत कर सकते हैं।

श्रीमन्, बजट में प्रदेश का कितना बड़ा भाग वेतन में और कितना अंश जनता के कार्य में खर्च करते हैं, इसे भी विचारना पड़ेगा। ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों या जिला परिषदों द्वारा जो टैक्सों का भरमार है, उसके बोझ से जनता दबी जा रही है। मुझे स्मरण है कि 4-4, 6-6, 8-8 वर्ष के टैक्स जो वसूल किए हैं, वे ग्राम सभाओं के पास के बैंकों में पड़े हैं लेकिन वे निकल नहीं सकते। कभी लेखपाल, कभी सेक्रटरी उपलब्ध नहीं होते। जिसके कारण विकास कार्य नहीं हो पाता। श्रीमन्, मैं किसी निन्दा के विचार से, आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन मुझे कष्ट होता है जब हम यह देखते हैं कि गांधी जी का स्वप्न, जो पंचायती राज का था, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। गाँधी जी ने जिस प्रकार से पंचायती राज का विचार सामने रखा था, जिस प्रकार से कार्य पद्धति, संविधान और व्यवस्था चलती थी अगर हम सही तरीके से चलते और प्रशासन तन्त्र का सहयोग मिलता तो कोई कारण नहीं था कि हमारा प्रदेश विकसित न होता और हम अन्य प्रदेशों से आगे न होते। जो प्रशासन तन्त्र को चलाते हैं, उन अधिकारियों की बुद्धि की प्रशंसा करता हूं। किन्तु मैं यह भी समझता हूं कि उनमें से अधिकांश व्यक्ति यह नहीं सोचते कि इस प्रदेश की बहुत बड़ी धनराशि अगर केवल वेतन भत्ते पर खर्च होती रही, तो इसका विकास कैसे होगा और जो धनराशि विकास के लिए बचती है उसका सब उपयोग किस प्रकार हो। यही जो टैक्स का पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसका सही उपयोग हो सके, दुरुपयोग न हो, तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में बहुत से विकास के कार्य हो सकते हैं लेकिन श्रीमन् वह भी नहीं हो पाता। इसके अन्दर केवल मूल कारण एक ही है कि हमारे अधिकारियों में ऐसे लोगों का अभाव है जो अपने उत्तरदायित्व को देश के प्रति समझें और राष्ट्र की भावना से ओत-प्रोत होकर कार्य करने की बात करें। मैं यह चाहूंगा कि इस प्रकार का कमेटी बने और माननीय सदस्य उसमें सुझाव दें जिसके आधार पर हम इस प्रदेश की शासन पद्धति और प्रशासनिक तन्त्र है उसको अधिक उपयोगी और सक्षम बना सकें। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों के जो सुझाव आयेंगे उससे हमारा यह सदन लाभ उठायेगा और हम अपने प्रदेश में अच्छे और स्वस्थ प्रजातन्त्र की स्थापना कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस संकल्प को बहुमत से स्वीकार करें।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री देव बहादुर सिंह, वैद्य धर्म दत्त जी तथा सदन के अन्य सदस्यों का मैं अत्यन्त अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने एक बहुत ही उपयोगी और सामयिक प्रश्न की चर्चा की है। यह प्रश्न कि लोक तन्त्र किस तरह सक्षम, दक्ष तथा उपयोगी हो और जनता की सेवा का यह कारगर हथियार बन सके। प्रश्न यह है कि इसको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। यह कोई नया प्रश्न नहीं है। केन्द्र में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन बनाया गया जिसके अध्यक्ष वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री मोरार जी देसाई थे। श्री हनुमन्तैया ने उसमें विस्तार के साथ कहा कि लोकतंत्र के फ्रेम वर्क में क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। पंडित नेहरू ने प्रश्न पर रफिल वाईट को नियुक्त किया एक कमेटी बनाने को। और अभी हाल में केन्द्रीय सरकार ने श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसने कि पंचायती राज के पुनर्गठन और सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर गहन अध्ययन करके अपना प्रतिवेदन दिया। उस प्रतिवेदन पर पिछले महीने मुख्य मंत्रियों की दिल्ली में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास---]

आयोजित मीटिंग में विचार किया गया कि वर्तमान शासन को अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर सत्ता के विकेन्द्रीयकरण पर क्या मत है । एक प्रश्न आज जो अक्सर कहा जाता है नौकरशाही मशीनरी, जितनी कम राज्य की आबादी होती है उतनी कम नौकरशाही मशीनरी होती है ।

अंग्रेजी काल में जिसको हम पुलिस राज्य कहते थे तो उनका कार्य बहुत सीमित था । शिक्षा, चिकित्सा, लोगों को काम देना, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करना, विशाल पैमाने पर सड़कों का निर्माण करना उस सरकार के कार्यों में अत्यन्त गौण था । मुख्य कार्य, अंग्रेजी शासन का केवल राज्य को बनाए रखना होता था । इसलिए पहले मैजिस्ट्रेट और न्यायालयों की एक आवश्यकता होती थी । लेकिन आज लोक कल्याणकारी राज्य है और संसार के प्रगतिशील देशों में समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया है । सदन में रोज चर्चा होती है और आज भी अभी गेहूं की खरीद की चर्चा हुयी । यह चर्चायें इस बात का संकेत करती हैं कि सरकार का अधिक से अधिक जो हमारे, आर्थिक सामाजिक प्रश्न हैं उसमें एक दायित्व हो। जब हम कहते हैं कि कृषि उत्पादन का उचित मूल्य मिले तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि सरकार एक नियंत्रित अर्थनीति पर अमल करे । अगर ऐसी बात नहीं है तो सरकार को खरीदने की क्या आवश्यकता है । इस सदन में अभी ट्रेडर्स की हड़ताल को लेकर जिसकी चर्चा हुयी, हमारे सामने बैठे हुए मित्र जो अपने को सबसे प्रगतिशील लोगों की पंक्तियों में कहते हैं, हालांकि मैं तो यह समझता हूं कि कभी-कभी जैसा लेनिन ने जिस बात को कहा है कि वामपंथ की बात इनफैंटाइल लेफ्टिज्म होती है, वह कभी-कभी हानिकारक होती है । उनका कहना था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विस्तृत किया जाय तो जैसे-जैसे समाजवादी व्यवस्था आयेगी, अगर जमीन का राष्ट्रीयकरण किया जाय, ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण किया जाय और सभी उत्पादन वितरण के साधनों का अगर राष्ट्रीयकरण किया जाय तो और ज्यादा मशीनरी की आवश्यकता होगी । संसार के जितने साम्यवादी या समाजवादी मुल्क हैं वहा पर नौकरशाही बढ़ी है नौकरशाही घटी नहीं है ।

मान्यवर, धर्मदत्त जी ने जो ध्यान आकर्षित किया, आज भी हर साल के बजट में नौकरों की तादात बढ़ती है । जैसे-जैसे कार्य योजना का आकार बढ़ता है नौकरशाही भी बढ़ती है, कार्य क्षेत्र बढ़या है । अगर सड़कें अधिक बनानी हैं तो इंजीनियर अधिक रखने पड़ेगें । अगर आपकी परिकल्पना हर ग्राम में चिकित्सक को है तो चिकित्सकों को बढ़ाना पड़ेगा, मेडिकल परसोनेल बढ़ाने पड़ेगे । आप जानते हैं कि शिक्षक लोग अब तक ज्यादातर गैर सरकारी थे और आज भी हैं । लेकिन उत्तरोतर उनकी मांग थी कि हमारा राष्ट्रीयकरण किया जाय । नगर पालिकाओं में पहले कार्यकारी अधिकारी, लेखाधिकारी हेड एकाउटेंट सेनेटरी इंसपेक्टर, वह सब स्थानीय निकायों के कर्मचारी थे । लेकिन उत्तरोत्तर मांग थी और कांग्रेस सरकार ने ही उन सबका प्रांतीयकरण किया । आजकल सेनेटरी इंस्पेक्टर, एकाउटेंट, इक्जीक्यूटिव आफिसर, यह जितने पहले स्थानीय निकायों के अधीन थे उनका प्रांतीय करण किया । एक तरफ तो प्रवृत्ति है कि सरकारी कर्मचारियों का प्रांतीयकरण किया जाय । प्राइमरी अध्यापक थे उनकी हड़तालें हुई, उनकी मांग हुई कि हमारा नियंत्रण स्थानीय हाथों में रखने से हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं । उसमें अधिकांश राजनैतिक हस्तक्षेप होता है । इसलिए उन्होंने कहा प्राइमरी अध्यापकों का भी प्रान्तीयकरण किया जाय और पिछली सरकार ने किया भी । तो इतनी कमेटियां इस विषय पर हैं भी और स्वयं हमारे सचिवालय के अन्दर एक विभाग है

प्रशासकीय सुधार का, जो इस पर उत्तरोतर विचार करता है । सर्वप्रथम जिहां तक विकेन्द्रीयकरण का प्रश्न है अशोक मेहता की रिपोर्ट को ही अपनी परिस्थितयों के अनुसार यदि हम उसके अनुसार विकेन्द्रीयकरण कर सकें तो एक बहुत बड़ा कदम उठेगा । मैंने सदन में कहा था कि हमारा ऐसा विचार है कि प्राइमरी शिक्षा, ग्रामीणों के सम्पर्क मार्ग, वहां पशु चिकित्सा और खेती के उत्पादन, लघु उद्योग यह सब कार्य ब्लाकों के सुपुर्द कर दिये जायं । ब्लाकों को लेबी, सरचार्ज और कुछ कर लगाने का अधिकार हो तो इस पर हम विचार कर रहे हैं ।

श्रीमन्, लोकतंत्र कैसे सक्षम और सफल हो सकता है यह कानून के जरिये नहीं, यह सत्ता का हस्तक्षेप करने से नहीं बल्कि निर्भर करता है कि स्वायत्ता, स्वशासन की कितनी भावना है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे दूसरों को अनुशासित बनाने पर शासन किये बिना ऐसे ही भ्रामक है जैसे कि खिलौने का आम जो ऊपर से तो आकर्षित लगता है लेकिन अन्दर से वह खोखला और रस विहीन । तो पहली शर्त स्वाशासन के लिए और विकेन्द्रीकरण के लिए यह है कि हमारा स्वशासन हो । गांधी जी कल्पना करते थे एक ऐसे युग की जैसे कार्लमार्क्स कहते थे कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण तो गांधी जी और कार्लमार्क्स अलग-अलग रास्ते से चलकर, अन्त में एक बिन्दु पर पहुंच जाते थे । वह था सत्ता का विलोनीकरण । सत्ता का मतलब राज्य और राज्य का मतलब जिसमें दृढ़ शक्ति हो, सब लोग स्वशासित हों, स्वयं अनुसाशित हों और जो समाज के नियम हों उनका पालन करें । जिसकी कल्पना राम राज्य में तुलसी दास ने किया है और कहा है--

सब नर करें परस्पर प्रीति,
चलें धर्मः श्रुति रीति ।

यानि यह सब लोग श्रुति रीति के अनुसार चलें तो यहां धर्म की क्या आवश्यकता रहती है । लेकिन आप जहां विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं ऐसे देश में जो कि विकसित न हुआ हो और जहां पर बहुत लोग नौकरी के लिये और सम्पत्ति बढ़ाने के लिए सरकार पर आश्रित हों वहां पर विकेन्द्रीयकरण और यह अधिकार जिसको नौकरशाही कहते हैं उससे निकालकर के जन प्रतिनिधियों के हाथ में दे दें तो पता नहीं शायद कितने आयोगों की जरूरत होगी । समय कम है इसलिये विस्तार में नहीं जाऊंगा । शाह आयोग की रिपोर्ट आपके सामने है । उसके तथ्यों में नहीं जाऊंगा । तो श्रीमन्, सुधार का जहां तक सवाल है, प्रशासन के अन्दर, उस पर विचार होना चाहिये । लेकिन मेरा अपना अनुभव है किसी चीज को कमेटी के सुपुर्द करने का मतलब है उसको शीत गृह में रख दें । 1967 में हरियाणा ने रास्ता दिखाया--आया राम, गया राम । रोज वहां की विधान सभा के अन्दर लोग दल बदलते थे । तत्कालीन गृह मंत्री श्री यशवन्त राव चौहाण ने श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्री काल में वहाँ पर एक एंटी डिफेशन कमेटी बनाई । कमेटी बन गई जय प्रकाश नारायण जी भी उसमें थे, बड़े-बड़े विद्वान भी थे, 1967-71 में चुनाव हुआ, जो एन्टी डिफेक्शन बिल था वह पास नहीं हो पाया । 1971 का चुनाव हुआ । मैं 1972 में राज्य सभा में चुनकर गया । मैं, अटल जी, हमारे मित्र श्याम नन्दन जी, कम्युनिष्ट पार्टी के नेता भूपेश गुप्त, हम सब लोग उस कमेटी में थे । तीन साल तक तो हमारी कमेटी चली और 1975 में बैंगलोर में उस कमेटी की मीटिंग में हमारे कुछ साथी गिरफ्तार किये गये । 12 साल बीत गये लेकिन एन्टी डिफेक्शन कमेटी की रिपोर्ट में अभी तक कुछ हुआ नहीं । यही हाल इसका होगा ।

अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर आप जरा गहन अध्ययन कीजिये । उसमें सुझाव दीजिये । इस पर बड़े मूल्यवान विचार सदन में आए हैं और उससे हम भी

[श्री बनारसी दास---]

लाभान्वित होंगे । मैं भी अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर पृथक और सामूहिक रूप से भी विचार करूंगा जिससे हम यह देख सकें कि किस हद तक हम सत्ता का विकेन्द्रीयकरण कर सकते हैं । लेकिन उससे भी उपयोगी बात यह है कि एक लोकतन्त्र का वातावरण पैदा किया जाए । लोकतन्त्र का वातावरण एक उत्तेजना के वातावरण में नहीं हो सकता है । इतना बड़ा राज्य है । अभी हम लोग नैनीताल की घटना की चर्चा कर रहे थे, एक छोटी सी घटना ने वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया । यहां से तो कोई आदेश जा नहीं सकता कि हेड कांस्टेबिल या सब इंसपेक्टर कैसा व्यवहार करेंगे ? छोटी सी घटना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की थी । छोटी सी घटना हिन्दू और मुस्लिम पहलवानों की थी । जैसा महात्मा गांधी कहते थे, इससे बचने के लिए स्वशासन और आत्म संयम आवश्यक है । यह जो एक उत्तेजना का वातावरण मुल्क के अन्दर है कि जिस तरह से घी को अग्नि दिखलाई और घी द्रवित हो गया, यहां पर तो छोटी-छोटी चीजों से उत्तेजित होकर हमारा मतिष्क आन्दोलित हो जाता है । लोकतन्त्र में जब तक संयम और सहिष्णुता न हों, जब तक अपने से मतभेद रखने वाले के लिये हमारे दिल के अन्दर आदर न हो. . . .मैं जानता हूं देव कुमार जी का तो भारतीयकरण हो गया है । मैं जानता हूं आजकल जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वह तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वदेशी कम्युनिजम । वरना तो लोग कहते थे कि जो हमसे मतभेद रखता है वा तो वह धूर्त या मूर्ख है । लेकिन आजकल हमारी मनोवृत्ति इस प्रकार की है कि जो हमसे मतभेद रखते हैं. . . .मैंने तो यहां तक देखा कि मुख्य मंत्री आते हैं और चले जाते हैं । लेकिन मैं देखता हूं कि कहीं मैं जाऊं तो लोग कहते दिखाई पड़ते हैं कि किसी कांग्रेसी के यहां आपने चाय क्यों पी ? धर्मदत्त जी के यहां आपने खाना क्यों खा लिया ? आप फलां आदमी से क्यों मिल गये ? तो क्या यह स्वशासन और विकेन्द्रीयकरण का वातावरण है ? हमारी सेमिनार हो, संगोष्ठियां हों । लोकतन्त्र की क्या मान्यता है ? लोकतन्त्र की क्या आचार संहिता है, लोकतन्त्र में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, सरकार से हम क्या अपेक्षा करते हैं । लोकतन्त्र ऐसा नहीं है कि किसी कारखाने की तरीके से उसको लाकर के खड़ा कर दिया जाय । जैसा प्रि-फेबरिकेटेट मकान होता ह, ऐसा नहीं है मशीनों में बना हुआ मकान के तरीके का चौमंजिला, पंचमंजिला, दोमंजिला इमारत नहीं खड़ी की जा सकती । उसके लिए तो हमको विकास करना पड़ेगा, उसके लिए हमको परिस्थितियां पैदा करनी होंगी ।

तो रिपोर्ट्स बहुत हैं, उन्हें दीमक खा रहा है । एक रिपोर्ट और हो जायगी । और मैं जानता हूं कोई ज्यादा उपयोग नहीं है । विचार आपके हैं ही । इसके पीछे जो महान भावना है उसका मैं पूर्णतया आदर करता हूं । लेकिन मैं देव बहादुर जी से अनुरोध करूंगा कि आप का जो लक्ष्य था, आप का जो मकसद था कि इस विषय पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का, उसको इसके ऊपर जागरूक बनाने का, वह तो पूरा हो गया है और इस दिशा में जो भी सम्भव हो सकता है हम करेंगे । यह कोई दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है । शासन तो कन्टिन्यूइंग है । अब हम तो 77 से ही पहले नहीं थे । हम 67 में गवर्नमेंट में थे । इंगलैण्ड में मिसेज थेचर हैं पहले लेबर गवर्नमेंट थी । तो इसलिए इस दृष्टि से सोचें । शासन तो स्थायी है । उसका प्रभाव तो अनन्त तक चलेगा । इसमें कोई अवरोध होने वाला नहीं है । इस दृष्टि से मेरे विचार से सदन की समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा अनुरोध है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैं अनुग्रहीत हूं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किये और सबसे ज्यादा मैं अनुग्रहीत हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का और वैद्य जी का और मुख्य रूप से मुख्य मंत्री जी का कि इस संकल्प को उन्होंने समय की मांग की संज्ञा दी ।

मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि कौन सी मजबूरी माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने है संकल्प को मानने में । उनको कुछ भय सा लग रहा है, संकोच सा लग रहा है, इसलिए कि बहुत सी प्रशासनिक सुधार समितियां बनी और उनकी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी के शब्दों में कि दीमक खा रहा है । हो सकता है हम भी कुछ संस्तुति करें तो वह भी किसी ऐसे गुप्त स्थान पर रखी जाय कि ढूंढने पर न मिले । बड़ा भरोसा है इस माननीय सदन पर भरोसा है जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी कार्य कुशलता पर और मैं यह मानता हूं कि कमेटी बना दी जायगी तो निश्चित रूप से जो उसके सुझाव होंगे उसका लाभ माननीय मुख्य मंत्री जी को पहुंचेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी यह सही है कि जनतन्त्र की यह पद्धति है कि कभी कोई सत्ता में आयेगा, कभी कोई आयेगा और इसीलिए यह दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न इस बात का है कि किस प्रकार से हम प्रशासनिक तंत्र को सुधारें जिसमें आमूल चूल परिवर्तन हो, जो हमारे लोकतन्त्र के अनुकूल हो । उसमें ईमानदारी एवं दक्षता आये । यह सही है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उसी दिन इस प्रशासनिक तन्त्र को बदल देना चाहिए था क्योंकि यह अंग्रेजों की ही देन थी । किसी वजह से नहीं बदला । यह तन्त्र जो हमें अंग्रेजों से मिला इसका उद्देश्य केवल यह था कि किस प्रकार अंग्रेजों के राज्य को इस देश और प्रदेश में स्थायी बनाया जाय । हम लोग उसे नहीं बदल पाये जिसका दण्ड आज भी हम भुगत रहे हैं और इसीलिए मेरा यह संकल्प है कि देर आयद दुरस्त आयद आज तक नहीं बदला तो आज इस प्रशासनिक तन्त्र में आमूल चूल परिवर्तन करें ।

श्रीमन्, प्रशासन तन्त्र में आमूल चूल परिवर्तन करने के साथ-साथ जो प्रजातन्त्र का ढांचा है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा । हमारे यहां संसदीय प्रणाली है । चुनाव होते हैं । जो पार्टी बहुमत में आती है वह मंत्रिपरिषद् बनाती है और सरकार का काम करती है । मंत्रिपरिषद् से लेकर जिला इकाई या ब्लाक स्तर पर हम इस तरह का परिवर्तन करें जिससे लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हम प्रशासन तन्त्र को सुदृढ़ तथा व्यवस्थित कर सकें । माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत ज्ञाता तथा तजुर्बेकार हैं । तीस साल में जो अच्छाइयां या बुराइयां हुई हैं दोनों में मुख्य मन्त्री जी अच्छाई में भी और दोषों में भी श्रेय लेने के पात्र हैं । इसमें कोई झगड़ा नहीं है । हमने कुकर्म किया अथवा अच्छा काम किया दोनों में उनका हाथ रहा है । एक दूसरे के साथ सहयोग रहा है । मंत्रिपरिषद् बनी तो जैसा सुझाव आया यह मान्यता भी रही है कि 10 परसेंट से अधिक व्यक्ति मंत्रि परिषद् में न हों । मन्त्री ऐसे रखे जायं जिनमें राजनीतिक स्थिरता हो, निर्णय लेने की शक्ति हो, काम करने की क्षमता हो और संसदीय प्रणाली का ज्ञान हो यह उसके लिये अनिवार्यताएं हैं । अब मुख्य मंत्री जी पर मैं छोड़ता हूं कि इस कसौटी पर उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद् में कितने लोगों को रखा है । यदि सचमुच सबको इसी कसौटी पर कसने के बाद रखा गया है तब मैं मानता हूं कि उनकी शासन व्यवस्था अच्छी

[श्री देव बहादुर सिंह---]

तरह से चलनी चाहिये । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो कभी ये मान्यताएं रही हैं उन पर आप विचार करें, उसमें कोई त्रुटि हुई हो तो उसमें आप सुधार करें और लोकतन्त्र की जो मान्यताएं रही हैं उनको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें । मुख्य सचिव किस तरह का व्यक्ति हो । जो ज्येष्ठतम हो और उसके गुणावगुण पर विचार कर उसकी नियुक्ति हो, तीन-चार साल के लिये नियुक्ति हो । दुर्भाग्य यह है कि डेढ़-दो साल में मुख्य मंत्री बदल जाते हैं । स्थायी सरकार न होने से जो विकास के हमारे कार्य थे वे नहीं हो पाये । लेकिन मुख्य मंत्री, सचिव हमारा ऐसा नियुक्त हो जो सरकार की नीति हो उसे कार्य रूप में परिणत कर सके, समन्वय स्थापित कर सके, सारे विभागों में और कार्मिक विभाग मुख्य सचिव को दिया जाय तभी काम अच्छी तरह से चल सकता है । आप देखें कि आपकी जो फाइनेन्शियल हैंड बुक है कब से चली आ रही है । उसमें कोई भी हाथ डालते डरता है क्योंकि लोगों में आत्मविश्वास की कमी है । लिहाजा उस फायनेन्शियल हैंडबुक में कोई हाथ नहीं डालना चाहता । वित्त सचिव श्री टी० पी० तिवारी हैं । कभी दूसरे विभागों के सचिव थे । एक पैसा खर्च करने के लिये तरस उठते थे ।

आज वित्त सचिव होने के कारण उनकी अनुमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता । पर्वतीय क्षेत्र का विकास होना है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन जब तक वित्त मंत्रालय से पास न हो जाय तब तक सारी की सारी व्यवस्था ठप्प पड़ी रहती है । लिहाजा जब बजट पास करते हैं और हर विभाग के लिये बजट दे देते हैं तो उनसे हिसाब भले ही ले लें लेकिन सेक्शन न मिलने से वह खर्च न कर पायें तो वित्त विभाग बजाय उनकी मदद करने के एक प्रकार से रोड़ा अटकाने का काम करता है । लिहाजा फाइनेन्शियल हैंड बुक में परिवर्तन किये बिना शासनतन्त्र की गति में तेजी नहीं लाई जा सकती और अपनी आकांक्षाओं के अनुसार हम प्रगति को तेज नहीं कर सकते । अब कितने सचिव हों ? हमारे सचिवालय में होता क्या है ? मंत्रियों की तादाद बढ़ी तो सचिवों की तादाद भी बढ़ जाती है । विभाग बढ़ जाते हैं, जिससे खर्च बढ़ जाता है और अधिकारियों की कार्यकुशलता में बाधा पड़ जाती है । इससे स्थिति बिगड़ती जा रही है ।

मान्यवर, पिछली बार जब बट्ट साहब मुख्य सचिव थे तो उस समय प्रशासनिक तन्त्र में सुधार लाने की कार्यवाही की गई । लाल फीते की जगह हरा फीता कर दिया गया । मैं नहीं समझता कि इससे प्रशासनिक तन्त्र में सुधार हुआ है । चरित्र-पुस्तिकाओं में जो सीनियर आफीसर इन्ट्री करता है, उसमें ईमानदारी की बात है कि जो इंट्री होती है वह योग्यता के आधार पर नहीं होती है । इस बात पर होती है कि इन्ट्री करने वाला अधिकारी कितना खुश है या कितना नाराज है । यह आधार होना चाहिए था कि जिसकी कैरेक्टर रोल की इन्ट्री करनी हो उसने जो कार्य किए हों, उसके पूरे डेटाज इकठ्ठा किये जायं और तब इन्ट्री दी जाय । जब तक इस आधार पर आप इंट्री नहीं करेंगे तब तक खुशामद करने वालों की कमी नहीं रहेगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके लिये आप एक समिति बनायें और मेरे इस प्रस्ताव को मानें । मान्यवर, जवाहर लाल जी की कल्पना थी और संविधान में जो निर्देशित सिद्धान्त हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया जायगा । जवाहर लाल जी इसी सिद्धान्त पर यकीन भी करते थे । आप समझते हैं कि अगर विकेन्द्रीकरण कर दें तो कितने शाह आयोग बैठेंगे । शाह आयोग तो आपके ऊपर भी बैठ सकता है ।

हमारे जो म्युनिसिपेलटी के चेयरमैन हैं, ब्लाक प्रमुख हैं, गांव प्रधान हैं, उनको भी सत्ता में साझेदार बनायें। लेकिन इस सरकार में विश्वास की कमी है और इसीलिए विकेन्द्रीकरण करने में यह सरकार डर रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यदि आप जनतन्त्र को सुदृढ़ बनाना चाहते है तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण करें। जवाहर लाल जी चाहते थे कि जिला परिषद् के अध्यक्ष जिलाधीश का कैरेक्टर रोल लिखें और इसी से विकेन्द्रीकरण होगा। जो जिले का प्रशासन है, वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में आ जाये तो जो स्वेच्छाचारिता नौकरशाही में है वह हमेशा-हमेशा के लिए समूल नष्ट हो जाय। इसलिए मान्यवर, यह प्रस्ताव सब माननीय सदस्यों की तरफ से माना जाना चाहिये। क्योंकि सबकी भावना इसमें है। क्षेत्र समितियों में जो क्षेत्र विकास अधिकारी, सहायक क्षेत्र विकास अधिकारी है, परगना मजिस्ट्रेट है, इनका प्रशासन ब्लाक प्रमुखों और गांव प्रधानों के हाथ में दिया जाय और इस तरह की व्यवस्था की जाय। जिला परिषदों को जो अधिकार दिये गये थे वही नहीं रहे और हम विकेन्द्रीकरण करने की बात कर रहे हैं। वहां जो अध्यापक थ, उनकी व्यवस्था, वहां की सफाई की व्यवस्था, टाट पट्टी और भवनों की व्यवस्था आदि के बारे में आप देखें। एक छोटा सा रूप प्रशासन का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में था, वह नहीं रह गया है। बेसिक शिक्षा आपने परिषद् को दे दी, सड़क पी० डब्लू० डी० को, सिंचाई विभाग को, पेय जल जिला परिषद् के अधीन था, वह जल संस्थान के उनके पास झाड़ू के अलावा और कोई काम नहीं रह गया। यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण वह है कि जिसको आप सत्ता दें, उसके हाथ मे काम भी दें। श्रम अधिकार की बात नहीं कहते हैं। हम तो कहते हैं कि आप कर्तव्यों का बंटवारा करें और कर्तव्य निर्धारित करें। चाहे वह म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन ह, चाहे नोटिफाइड एरिया के अध्यक्ष हैं, या क्षेत्र समिति के चेयरमैन हैं या ब्लाक प्रमुख है, उन सब को किस-किस प्रकार सत्ता देनी चाहिये, इन सब बातों पर विचार करने के लिए मेरा संकल्प है कि इस सदन को एक कमेटी बना दी जाय, जो सुझाव दे कि यह जो प्रशासन तन्त्र है, उसमें कौन से परिवर्तन करें, जो सत्ता को विकेन्द्रित करे ताकि प्रशासन तन्त्र में लोगों का विश्वास जमे।

मान्यवर, परम्परा क्या है, मन्त्री लोग भी अधिकारियों को लिखते हैं कि कृपया हमसे बात करें। बात इसलिए करें कि उनमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि जब तक निर्णय लेने की शक्ति सब में नहीं होंगी, तब तक यह काम अच्छी तरह से नहीं चल सकता है और वह टालू बात रह जाती है। अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है कि पटवारी की रिपोर्ट सचिव तक आती है, लेकिन उसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए जो अधिकारी हैं, उनके दायित्व निश्चित कराइये कि यह काम तुमको करना है और जो भी काम है, उसके लिए अवधि निर्धारित हो। यही सब सुझाव देने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि सदन की एक समिति बनाई जाय, जो इस सारी बातों पर विचार करे और विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सदन में दे और सरकार उस पर कार्यवाही करे। इसलिए मैं प्रस्ताव करूंगा कि हमारे संकल्प को पास करें।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, श्री देव बहादुर सिंह जी ने मैं समझता हूं कि उत्तर देकर अपने प्रस्ताव को मजबूत नहीं किया बल्कि कुछ कमजोर किया है। जब उन्होंने पं० नेहरू का नाम लिया तो पं० नेहरू सन् 64 तक प्रधान मन्त्री रहे और जो ढांचा हमें मिला है। वह उन्हीं से विरासत में मिला है। जिला परिषद् के अध्यापकों को

[श्री बनारसी दास]

जिलाधिकारियों की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि करने का अधिकार दिया था, लेकिन उस अधिकार को वापस भी स्वयं उसी शासन ने ले लिया । आज मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

क्या आप चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन जिला परिषदों को सुपुर्द कर दिया जाय । आज की पालिटिक्स थानों पर इतनी केन्द्रित है कि थानेदारों के स्थानान्तरण करने की बात आती है तो उसमें क्या होता है तो उस वक्त क्या परिस्थिति होगी, जब उनको यह अधिकार मिलेगा । आपने यह कहा कि मुख्य मन्त्री सत्ता में हो या न हो तो वह आपकी रिपोर्ट से थोड़े होगा, यह तो राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करेगा । मुख्य सचिव के क्या कर्तव्य होंगे, वह आज भी परिभाषित है ....

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

अब हम 32 साल के पुराने लोक तन्त्र हो गये है । तो क्या हम सब दिन नाबालिग रहेंगे ।

श्री बनारसी दास--

संसार के किसी भी लोक तान्त्रिक देश की मान्यता यह है कि सरविसेज रेल की तरह रहती हैं और पार्टियां रेलवे के इंजन की तरह चाहे वह चितरंजन का इंजन हो या वर्मिंघम का हो (व्यवधान) हो चाहे बुलन्दशहर का हो या नैनीताल का हो । लेकिन सरविसेज तो रेलवे की तरह हैं । फ्रांस के अन्दर हर 6 महीने में शासन बदलता था, लेकिन फ्रांस के स्थायित्व का कारण वहां की स्थायी सरविसेज थी । शासन बदलने से उस पर कोई प्रभाव नहीं आता था । आपने कहा कि इंग्लैन्ड से विरासत में लिया है । तो मैं यह समझता हूं कि कम से कम हमारी जो परम्परा है, वह संकीर्ण नहीं है । हमारे नेता महात्मा गांधी कहते थे कि अंग्रेज से नफरत नहीं है अंग्रेजियत से नफरत है । वह कहते थे पापी से घृणा नहीं है पाप से घृणा है । यह लोकतन्त्र तो हम और आप रोज यहां कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट--पार्लियामेन्टों की जाननी है । यह जो आज हो रहा है--आप उधर बैठ गए हैं, यह सब ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की परम्परा है, जिसको हमने अपना लिया है । इसलिए कोई चीज हमें अंग्रेजों से मिली, इसीलिए वह बुरी नहीं हो जाती या मार्क्स जर्मनी में पैदा हो गया । तो जर्मन विचार पौरूष होता है । तो कोई देश या समाज समय या काल की सीमाओं से कभी सीमित नहीं हो सकता है । आखिर स्टीम इंजन का स्टीवेशन ने अविष्कार किया तो क्या हम रेल में नहीं बैठेंगे । या हवाई जहाज का क्वीक ने अविष्कार किया तो क्या हम उसमें नहीं बैठेंगे । तो आज राष्ट्रीय दीवारें, राष्ट्र की सीमायें, इस मान में टूट चुकी हैं । मेरा कहना तो यही था, आपका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा । कभी-कभी लोकतन्त्र की कुछ अपनी छवि हुआ करती है, एक अंदाज हुआ करता है, तो हमने कहा विकेन्द्रीकरण के लिए तमाम हिन्तुस्तान का एक ढांचा होगा । वह तो इसीलिए अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट हमारे विचाराधीन है और बलवन्त राय मेहता कमेटी के प्रस्तावों पर महाराष्ट्र व गुजरात आदि कुछ प्रदेशों में विचार हुआ । तो इसमें मैं कहूंगा कि हिमालय का पहाड़ खुद कच्चा है, विन्ध्याचल की तरह वहां पत्थर नहीं है, देव बहादुर जी तो मैदान में रहे हैं, तो उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है, वह पहाड़ का पत्थर नहीं होना चाहिये, उनको इस पर जिद नही करनी चाहिए । उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं और हम उनके विचारों से लाभान्वित होंगे । बजाए इसके कि हम दूसरी ओर जायं,

हम अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर लेंगे । लेकिन इस एक नई कमेटी के बन जाने से एक कमेटी और बढ़ जाएगी, उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है । इसलिए मेरा निश्चित मत है कि यह प्रस्ताव स्वीकार न होने योग्य है और यह मेरा अनुरोध है, मैंने आपकी बात को सुना है, अब आप कृपया इसको वापस ले लीजिए । यह कोई कटमोशन नहीं है कि आप जिद्द पर ही रहें और धर्मदत्त जी बैठे हैं, मैं समझता हूं कि वह सलाह देंगे वापस लेने की ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मैं तो यह समझ रहा था कि मुख्य मन्त्री जी खड़े होकर यह कहेंगे कि यह संकल्प हमको स्वीकार है । उन्होंने इंजन के बारे में कहा और कहा अंग्रेजों ने जनतन्त्र दिया हमको । श्रीमन्, आपने समाजवाद की बात स्वीकार की, वह चीज भी हमारे देश की नहीं है । लेकिन हमने गांधीवाद के आधार पर उसको अपनाने की बात मानी है ....

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह--

मुख्य मन्त्री जी ने एक दिन इस सदन में प्रशासन तन्त्र का सही रूप प्रस्तुत किया था, जब दादरी काण्ड पर यहां विचार हो रहा था । उन्होंने कहा था प्रशासन ने जो सूचना दी, वह यह है और वही प्रशासनतन्त्र था, जिसने इन्दिरा गांधी को सूचना दी थी कि चुनाव करा दिए जयं । (व्यवधान) तो आप उसी प्रशासनतन्त्र को आधार न मानें, जिससे सरकार को कोई धोखा हो । इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन हमारे संकल्प को स्वीकार करे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के प्रशासन तंत्र को कुशल, उपयोगी, एवं जनतान्त्रिक बनाने के लिए इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने का सुझाव देने के लिए सदन की एक समिति बनाई जाय, जिसमें ग्यारह सदस्य हों और जो अपनी संस्तुति छः माह के अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

समान कार्य के लिए समान वेतन तथा अन्य समतावादी कदम उठाने के सम्बन्ध में संकल्प

*डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं । इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन, समान शिक्षण-व्यवस्था, सरकारी सेवाओं में समानता, आय, व्यय और कीमतों की समरूपता, समान मानवाधिकार, संरक्षण एवं समरूप नागरिक कानून आदि समतावादी कदम उठा कर भारतीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डा० अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--]

संविधान, संस्कृति एवं मानवाधिकार द्वारा प्रतिपादित समता के अधिकारों, घोषणा-पत्रों को रक्षा करें ।

(इस समय 2 बजकर 11 मिनट पर अधिष्ठाता) श्री नेम सिंह चौहान पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इस संकल्प को प्रस्तुत करते हुए, आपके माध्यम से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज चाहे जितनी भी लोकतन्त्र की दुंदभी बजाई गई हो, चाहे जिस तरह से समाजवाद और गरीबी हटाओ का ढिंढोरा पीटा गया हो, लेकिन इसके बावजूद आज उत्तर प्रदेश और देश के जन जीवन में व्याप्त विषमताओं के कारण निश्चित रूप से सम्पूर्ण मानस त्रस्त है । सभी जानते हैं कि 30-32 साल बाद, संविधान लागू होने के बाद, इसके बावजूद कि प्रत्येक व्यक्ति ने समाजवाद की बात की, यह आंधी बढ़ती हुई चली गई । एक तरफ अमीरी का कैलाश बन गया और दूसरी तरफ गरीबी की खाई बढ़ती ही चली गयी । इस संकल्प को प्रस्तुत करने की मंशा यह है कि यह सदन संकल्प शक्ति को लेकर हम समतावादी समाज की ओर अग्रसर हों और जिस संविधान के प्रति हम सबके सब प्रतिबद्ध हैं, जिस संविधान की प्रस्तावना के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, जिस संविधान के अन्दर प्रदत्त मूल अधिकारों एवं समता के अधिकारों के प्रति हम सभी आबद्ध हैं, जो राज्य नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जिनका कार्यान्वयन आवश्यक है उसके प्रति हम सब जागरूकता का परिचय देते रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान के उन तत्वों के प्रति कम से कम एक बार तीस-बत्तीस साल के बाद दृष्टि निक्षेप कर लेते हैं। जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है, उसके दो पहलू हैं । एक नीति विषय समतावादी समाज की रचना होनी चाहिए और समता के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए । इसका दूसरा पहलू कार्यक्रमों से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत यह प्रस्तुत किया है कि हम से कम एक चार बड़े मोटे मुद्दे ले लें, जिनसे उत्तर प्रदेश के जन मानस में परिवर्तन की कहर दौड़े । जो वाजिब हैं, जो हम राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में कहते हैं, हम समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे । संविधान के अनुच्छेद 39(3) में हम कहते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो । 32 साल बीत गए सेक्रेटरिएट से लेकर जिला प्रशासन को चुस्त करने के लिए संकल्प किया जा रहा है और एक समिति के गठन की कल्पना की जा रही है, आज सेक्रेटरियट से लेकर जिला स्तर तक, ब्लाक स्तर तक, ग्राम स्तर तक कर्मचारियों को देखें एक तरह के काम करने वाले कर्मचारियों के अन्दर विभेद क्यों किया गया ? कितनी समितियां बनीं, उनकी रिपोर्ट्स आयीं जो पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया वित्त मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया और इसके साथ ही साथ जो मन्त्री रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है ।

मान्यवर, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 7 जून को तमाम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया । उनके अन्दर क्षोभ है और चिन्ता व्याप्त है । सभी लोग जानते हैं कि जो राज्य सरकार के विद्यालय हैं, वहां पर जो अध्यापक पढ़ाता है, उसको अधिक वेतन मिलता है और जो प्राइवेट कालेजों के अध्यापक हैं, उसको कम वेतन मिलता है । दोनों ही एक प्रकार का काम करते हैं, परन्तु उनके वेतन में असमानता है । मैं जानना चाहता हूं कि यह असमानता क्यों की जाती है । सभी को समान वेतन मिलना चाहिए जब वह एक समान कार्य करते हैं । मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मन्त्री दिल्ली गए थे और उनका बयान अखबारों में छपा था कि राष्ट्रीय वेतन नीति बनेगी, लेकिन इस संकल्प के द्वारा हम यह चाहते हैं कि राष्ट्रीय वेतन नीति

बने या आप कोई नीति बनावे और इस संकल्प के द्वारा राज्य वेतन मन्डल बन सके और स्टेट वेज बोर्ड बने, हम यह चाहते हैं। गांव में जो चौकीदार होता है, उसको नाम मात्र के लिए वेतन दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि 1 और 10 या 1 और 20 के अनुपात से अधिक गरीबी और अमीरी नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा असमानता लोगों में नहीं होनी चाहिए। आप तनख्वाहों को निश्चित कर दें। एक सचिवालय का कर्मचारी है और दूसरे जो कर्मचारी हैं, एक ही प्रकार का काम करते ह, लेकिन उनको समान वेतन नहीं दिया जाता है। जवाहर भवन में कर्मचारी काम करता है, उसका दूसरा वेतन होगा और जो सचिवालय में काम करेगा, उसका दूसरा वेतन होगा। यह असमानता क्यों की जाती है। जब कि उनकी योग्यता एक ही प्रकार की होती है। उनको अलग-अलग वेतन क्यों दिया जाता है।

मान्यवर, डाइरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(3) में दी हुई ह। समान कार्य क लिए समान वेतन दिया जायेगा और हमारे संकल्प की मन्शा भी यही हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान में समता के अधिकार दिए गए हैं जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। आज तक तमाम कन्वेन्शेन्स हुए हैं, उनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं और उनकी चर्चा इस सदन में करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। हरिजनों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है और पिछली सरकार ने और इस सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं, जिससे इन्सान इन्सान को बराबर समझे। जब हम इन्सान की बराबरी की बात करते हैं तो मान्यवर अधिकार की बात आती है, तो इस बात की चर्चा करने की आपत्ति नहीं है। आजादी मिलने के बाद ऐसी पद्धति चल गई, जिसके कारण इन्सान इन्सान के बीच बटवारा हो गया। कहीं पर हरिजन और अल्प संख्यक आयोग बन गया और तमाम दूसरे आयोग बन गए। मैं कहना चाहता हूं कि काश अगर एक मानव अधिकार आयोग बन गया होता तो जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं और जो पीड़ित और शोषित हैं, उनके सारे अधिकारों की रक्षा हो गई होती। किसी भी अल्प संख्यक या हरिजन अधिकारों की रक्षा की बात वह आयोग करता, जो शोषित और पीड़ित हैं, उनकी रक्षा होती। गांव का हरिजन त्रस्त है और जिसके लिए 20 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के आरक्षण की बात कही जाती है शायद वह प्रतिशत आज 80 या 90 प्रतिशत तक पहुंच जाता और हमारे चौधरी गणेशी लाल जी को रोज एक सवाल हरिजनों पर हुए अत्याचार के बारे में न करना होता। देश के नेताओं ने वोट पाने के लिए तमाम आयोग बनाये। और इस तरह से कमिशन्स के झंझटों झकेलों में कितने घातों, प्रतिघातों और संघातों में उत्तर प्रदेश के हरिजन आज भी उसी तरह से त्रस्त हैं जैसे कि 30-32 साल पहले थे। जब मैं कहता हूं कि उनके अधिकारों की रक्षा कीजिए आय व्यय और कीमतों की समरूपता कीजिए, समान मानवाधिकार संरक्षण एवं, समरूप नागरिक कानून बनाइये तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को लेकर गत 30-32 सालों में क्या हुआ है। राज कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आज 1 से 10 व्यक्तियों के पास 2 से 3 सम्पत्ति आ गई है और मोनोपोली कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर 75 बड़े घरानों के पास देश की 56 प्रतिशत एसेटस आ गये ह।

आप गांवों में जाकर देखिये। वहां पर 20 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनमें से किसी को 10 बिस्वे, 26 बिस्वे और एक बीघा जमीन मिली है जिसकी क्रान्ति की चिनगारियां शहरों की प्राचीरों में न टकराने पायें, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। आज हरिजनों के नाम पर उनको गांवों में पट्टे दिए गए एक बीघे के 2 बीघे के इससे उनको उलझा दिया गया है। आप अनिवार्य रूप से समग्रता का कानून

[डा0 अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

बना सकते है और जो 70 प्रतिशत निरक्षर लोग हैं और 69% गरीबी की रेखा के नीचे हैं, या जो 10 प्रतिशत अस्पृश्य लोग ह कि अगर वे हमको छू लेते ह तो हमें अहसास होने लगता है कि वे हमें छुएं नहीं । तो निश्चित् रूप से गरीबी के कानून की व्यवस्था की जा सकती थी और उनको एक पैरिटी पर लाने की कोशिश की जा सकती है, ऊंचे को नीचे और नीचे को ऊंचा उठाया जा सकत था । आज परिटी की बात कही गई है, जनता पार्टी का आर्थिक प्रस्ताव, आय नीति और मूल्य नीति में सामन्वय और समानता की बात कही गई है लेकिन जो गरीबी हटाने का डंका पीटा गया, उसे वे पीट कर चले बये । इन 2 सालों से जो डंका इस समय पीट रहे हैं वह टूटी थाली की आवाज के समान सुनाई दे रही है । इसलिए इस संकल्प में जो सरकारी सेवाओं में समानता की बात कही गई है इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी शोषित व्यक्ति को अवसर न मिले ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट की एक पंक्ति यहाँ पर पढ़ देता हूं । वह इस प्रकार से है :

"Government services are not for persons but are for the society and the country".

जब कोई सरकारी सेवा में आता है तो गरीबी के आधार पर उनको 80 प्रतिसत रिजर्वेशन कर दें लेकिन अगर कोई 20 साल से काम कर रहा हो 25 साल से काम कर रहा हो यह तो नहीं होना चाहिये कि 200 या 300 आदमियों को सुपरसीड करके एक आदमी को आप ऊपर बैठा दें । आप इसको बन्द कीजिए । यह मेरी अपनी बात नहीं है । प्रधान मंत्री कुछ कहते हैं, उप-प्रधान मंत्री जब उत्तर प्रदेश की सीमा में आते हैं, तो कुछ और ही कहते हैं । छागला साहब और अम्बेदकर साहब कुछ और ही कहते हैं ।.....

श्री अधिष्ठाता—

अभी-अभी आपने एक अंग्रेजी का कोटेशन दिया था उसे आप हिन्दी में बता दें ?

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

सरकारी सेवायें व्यक्तियों के लिए नहीं होती हैं, ये सेवायें देश और समाज के लिए होती हैं । मैं यह कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूं ।

जहां तक डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स की बात ह डाक्टर अम्बेदकर साहब ने कहा कि वे केवल संविधान के अनुच्छेद 35–50 के अनुकूल है, वचनबद्धता की बात नहीं है । मैं चाहूंगा कि संविधान की मर्यादाओं को ध्यान में रख कर देश से गरीबी को हटाया जाय और इसके साथ-साथ बेरोजगारी को भी हटाया जाये जिन लोगों ने समग्र क्रान्ति का ठेका ले रखा है, मैं उन समग्रक्रान्ति के ठेकेदारों से कहना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें और कोई फैसला लें । डा० अम्बेदकर ने जो कहा था उसी को करें । आखिर इस देश का गरीब, चाहे वह किसी भी जाति का हो, कब तक शोषित रहेगा । संविधान के डायरेक्टिव

प्रिन्सिपिल्स की बात को अगर हम छोड़ भी दें तो भी जो हमारे देश की संस्कृति है, जो अन्य देशों की संस्कृति है, उसे हमें नहीं भूलना होगा । अपने यहां भी ऋग्वेद में कहा है ।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ; सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

भाषण के बीच कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है, मुझे आप बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

माननीय सदस्य अगर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो उनको अवसर दे दीजिये, सुन तो लीजिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस तरह से अंग्रेजी यहां की भाषा नहीं है, इस सदन में अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती, उसका हिन्दी में अनुवाद ही पढ़ा जा सकता है, उसी तरह संस्कृत भी नहीं पढ़ना चाहिये, उसका अनुवाद करना चाहिये क्योंकि सदन की भाषा केवल हिन्दी ही है । माननीय सदस्य ने जो अभी संस्कृत का श्लोक पढ़ा कृपया उसको हिन्दी कर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया माननीय शतरुद्र प्रकाश जी को श्लोक का हिन्दी में अर्थ समझा दें ।

(व्यवधान)

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

क्या यहां पर अंग्रेजी का कोटेशन पढ़ने की भी मनाही है ? क्या उसका केवल हिन्दी में अनुवाद ही पढ़ा जा सकता है, मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अंग्रेजी में कोटेशन दिया जा सकता है पर उसका हिन्दी में अनुवाद कर देना चाहिये ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मैंने ऋग्वेद का कोटेशन दिया था । उस मंशा यह है कि हमारे यहां सर्वत्र समानता की बात कही गई है हम सब समानता की दृष्टि को लेकर चलते हैं और हम ज्यादा इसमें नहीं कहना चाहते हैं । सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ; सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्दुःखभाग् भवेत् । निश्चित रूप से हमारा

[डा० अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश]

भावनायें समता और साम्ययोग की हैं । अंग्रेजी विरासत में जो हमें मिला और जिसके लिए निश्चित रूप के हमारे कुछ चित्र जो दिल्ली और लखनऊ के तख्त ताऊस में रहे हैं, निश्चित रूप से वे पूंजीवादी, प्रक्रियावादी थ और उन्होंने शोषण किया, जिसकी वजह से हमारा बौद्धिक स्तर विधि विरुद्ध रचना करने लगा और उसके बावजूद सुस्पष्ट विचार को परिणत करने में अब तक असफल हैं । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति और सफलता के सम्वत् धरातल पर आधारित होता है, उसमें सुखिन: एक समतावाद या साम्ययोग है जिसके प्रति हमारे मित्र साम्यवाद भी कह सकते हैं और यहां पर आप जब भी संवैधानिक समताओं के अन्तर्गत कार्यरत रहे हैं, 32 साल के दौरान हमने समता की बात की । प्रस्तावना में यह मानकर चल रहा हूं कि हमारे मित्र ने निश्चित रूपे से उसका अध्ययन और अवलोकन किया । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हम बराबरी के धरातल में आगे जो हमने संकल्प दिया है, उससे हमारे कुछ मित्र सहमत होंगे । समता का मतलब यह बिलकुल नहीं कि जो छोटे-छोटे स्कूल चल रहे हैं, हम उनको गिरा कर सबको आजकल के प्राइमरी स्कूल्स जो एयर कंडीशन्ड बने हुए हैं, जो बबूल के नीचे लगते हैं, झोपड़ियों में लगते हैं, जो जाड़ों में जड़ाते हैं और गर्मियों में गर्माते हैं और एयर कंडीशन्ड जो हैं, उनको देख कर इस मुल्क की तस्वीर को समझ लीजिए । "आ अल्लाह, आ लिल्लाह," यह कोटेशन है, लेकिन मैं उसको यहां उद्धृत नहीं करूंगा । तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समान संरक्षण व्यवस्था के नाम पर, जनता पार्टी के घोषणापत्र में की गई इसकी घोषणा हमने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत की और वह मान्यवर क्या भूखें, टूठे, नंगे इन्सानों को देखते हैं तो लगता है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सीमाओं में नहीं, बल्कि देश की सीमाओं में परिवर्तन करने की जरूरत है । जब हमारी इनकम की पैरिटी की बात आती है, व्यय की समरूपता की बात आती है, तो मैं यह चाहता हूं कि आय की सीमा बांध दी जाये, जिसको कि हमारे मित्र बेहद पसंद करेंगे ।

उत्तर प्रदेश का अंचल जिसमें कि भिक्षावृत्ति से लेकर वैश्यावृत्ति तक है, जहां पर मां और बहनें जिस्म का सौदा करती हैं, इसको कहने में हमें संकोच नहीं, इस 32 साल की सम्पूर्ण क्रांति के परिप्रेक्ष में निश्चित रूप से एक इन्सान अपने भूखे, टूटे, बीमार बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हुआ है और उनकी नजीरें हमारे बहुत से मित्रगण पेश करेंगे । मैं यह जानता हूं कि आजकल जब इस व्यवस्था के अन्तर्गत यहां पर कुछ कहूंगा, तो उस पर भी हमारे मित्रगण कुछ न कुछ टीका-टिप्पणी करेंगे । मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक संकल्प को प्रस्तुत करने के साथ-साथ मैं यह संकल्प लाना चाहता हूं कि शतरुद्ध प्रकाश जी समतावादी दृष्टि से हम समतावादी आन्दोलन चलायें, पूंजीपतियों की व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, प्रतिक्रियावादी व्यवस्था, क्रियावादी व्यवस्था कहां-कहां से दिये गये, किन-किन विचारों का परिवेश किन भावनाओं में समान है और आज तक इस परिवेश का जन-मानस, सरकार के मंत्री और अपने दूसरे मंत्रियों से कहना चाहता हूं, दो आ गये हैं, तो हमें चाहिये नीति कुछ अपनाते रहें इसलिए मान्यवर, समता की दृष्टि के आधार पर अगर इस संकल्प को हमारे माननीय सदस्य उसी दृष्टि से लेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन । समय कम है । इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन साथ ही साथ सरकारी सेवाओं में समता का अर्थ लेंगे समान मानवाधिकार और संरक्षण । इसलिए प्रदेश में तमाम आयोगों को समाप्त

करके मानवाधिकारी आयोग की आवश्यकता है । निश्चित रूप से कुछ मलहम लगा सकेंगे ।

इन शब्दों के साथ समान नागरिक कानून, वह रह गया है, ज्यादा नहीं कहना, आप जानते हैं यूनियन सिविल कोर्ट नहीं हो सका तो डाक्टर लोहिया कहा करते थे और शतरुद्ध जो निश्चित् रूप से अपने भाषण में कहेंगे कि हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, जैन, पारसी, सबके लिए एक जैसा कानून बने । इसलिए मैं यह जरूर कह दूं कि जो यह संकल्प प्रस्तुत किया था, तो संकल्प के माध्यम से असमानता समाप्त करने के लिए कहा था और साथ ही साथ समता आन्दोलन जो मार्क्स, रुसी से लेकर अपने देश में कहां-कहां आन्दोलन चलाये हैं ? उसी सिद्धान्त को लेकर यहां पर संकल्प प्रस्तुत किया है और मैं चाहता हूं, हमारे माननीय सदस्य और सम्पूर्ण सदन इस को पास करेगा ताकि दिल्ली के मैदान में कुछ काम हम प्रारम्भ कर सकते और इस देश में, प्रदेश म समता आन्दोलन फैला सकते ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जल्दी-जल्दी न बोलें, डाक्टर राकेश बहुत जल्दी बोलते हैं, नोट्स लेने में असुविधा होती है । सुस्पष्ट बोलें, नोट्स लिय जा सकें जिससे शिकायत न हो कि उनके भाषण का कुछ अंश छूट गया है ।

श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, डाक्टर राकेश चतुर्वेदी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं । श्रीमन्, गुलाम देश में हमने सोचा था कि जब आजाद होंगे तो एक ऐसा राज बनेगा जिसमें समान अधिकार होंगे लेकिन श्रीमन् अगर हम गौर से देखें तो क्या ऐसा हुआ है, क्या गांधी जी की कल्पना को साकार किया जा सका । मैं जहां तक समझता हूं, ऐसा नहीं हुआ । श्रीमन्, कोई तो आसमान की बुलन्दियों को छूने लगा और कोई गटर में जिन्दगी बिताने के लिए मजबूर हो गया । श्रीमन्, समान वेतन नहीं, समान अधिकार नहीं । श्रीमन्, य कितनी बड़ी असमानता है कि कुछ बच्चे दूध की भरी कटोरियां अपने सामने से पैर मारकर के फेंक देते हैं और कुछ दाने-दाने को तरस जाते हैं । कारण क्या है, असमान वेतन । ये जो कुछ हड़तालें होती हैं, आये दिन विद्रोह की भावना पनपती रहती है इसका कारण क्या है, समान वेतन का न होना ।

श्रीमन्, एक कैदी जब जेल में सजा काटता रहता है तो जितनी भी उसको रहने, उठने, बैठने, लेटने के लिए जगह दी जाती है पुलिस के बैरिकों में एक कानेस्टिबिल को उतनी नहीं मिलती है । श्रीमन्, उस कानिस्टेबिल को बड़े अधिकार और बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं लेकिन वेतन कुछ नहीं । श्रीमन्, ब्लाक से लेकर डी० एम०, कमिश्नर और सचिवालय स्तर तक भिन्न-भिन्न व्यवस्था है, प्रक्रिया है । श्रीमन्, संविधान में दे दिया गया कि समस्त नागरिकों के मूल अधिकार होंगे । समान शिक्षा मिलेगी । कानून के समक्ष सब बराबर रहेंगे । लेकिन आज दिखाई समान शिक्षा कहां पर पड़ती है । अधिकांश लोगों को मजबूरी है अपने घर के बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए है जहां पर कोई भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं, श्रीमन्, प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए जहां आज सोर्स लगाया जाता है मंत्रियों से । हमारा लड़का लामार्टीनियर स्कूल में जगह पा जाये, लैरेटो में जगह पा जाय । क्या कारण है । फिर समान शिक्षा कहां है ? ब्राम्हण, ठाकुर, पठान के

[श्री अश्फाक अहमद खां]--,

लड़के जिन्दगी भर प्राइमरी स्कुल में पढ़ते रहेंग । वहां पर श्रीमन्, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती जितनी कि प्राइवेट स्कूलों में होती है । पिछड़ी जाति के या अमुक जाति के लड़कों को बढ़ावा दिया गया, क्या यही समानता का तरीका है । क्या इसी तरीके से शासन चल सकेगा । आज जो विद्रोह है मैं समझता हूं उसका कारण यही है ।

आज आफिसों में देखिये--एक से तीस तक प्रमोशन लिस्ट बनेगी । एक से पांच तक वेटिंग में होंगे, इन्तजार करेंगे कि हमारा नम्बर आने वाला है । लेकिन 28वें और 30वें का नम्बर आ जायेगा । इससे क्या होगा, विद्रोह की भावना पनपेगी । क्या ब्राह्मण का यह दोष है कि वह पंडित रहा है, क्या ठाकुर का यह दोष है कि वह बहादुर रहा है, क्या पठान का यह दोष है कि वह हुक्मरां रहा है इसके कारण इनके बच्चे नहीं पढ़ने पाते । श्रीमन् यह सरासर अनुचित है । श्रीमन्, आज देखिये कि समान शिक्षा के न होने के कारण बहुत से लोग आगे नहीं पढ़ पाते । क्या हमारा यही समानता का अधिकार है । हमारे आफिसों में यहां तक कि थानों पर यह आदेश हैं कि अमुक जाति का व्यक्ति जब आयें तो उसको कुर्सी दे दी जाये, चाहे दरोगा जी के लिए न हो । ऊंची जाति के लोग आयें तो दरोगा जी उन्हें खड़ा रखेंगे या फिर गाली दे कर भगा दें । अगर ऊंची जाति का कोई व्यक्ति कत्ल कर दिया गया तो उसे कोई पूंछने वाला नहीं उसकी स्त्रियों की इज्जत लुट जाये कोई सुनने वाला नहीं । अमुक जाति के साथ अगर ऐसा हो जाये तो हंगामा हो जायेगा; आसमान टूट पड़ेगा । क्या यही व्यवस्था है । यह सही है कि हमारी बातें कुछ माननीय सदस्यों को बुरी लग रही हैं । ऐसे समाज की व्यवस्था करें जो समानता पर आधारित हो । हम तो उस समाज के मानने वाले हैं । श्रीमन्, जहां आका पैदल और सवारी पर गुलाम चला करता था ।

एक ही शफ में खड़े हो गये महमूदो अयाज,
न कोई बन्दा रहा न कोई बन्दा नवाज ,

श्रीमन्, अपनी इन भावनाओं के साथ मैं चाहूंगा कि इस संकल्प के विषय में मंत्री जी अपनी राय दें और इसका समर्थन करें ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया । मैंने डा० केशव चतुर्वेदी जी को बहुत ध्यान से सुना । यद्यपि वह यहां पर नहीं हैं, मैं यह तो नहीं कहना चाहता हूं कि वह स्वयं कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन हम सबको कन्फ्यूज करने का प्रयास जरूर किया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन, समान मानवाधिकार, समान शिक्षण व्यवस्था, सरकारी सेवाओं में समानता आय-व्यय और कीमतों की समरूपता आदि की बात कही है । इसकी वकालत उन्होंने की । लेकिन खेद की बात है कि इस देश और प्रदेश में यह सब क्यों नहीं है, उनको इस पृष्ठभूमि में जाने का प्रयास करना चाहिए था । उन्होंने डाक्टर साहब, बाबा भीमराव अम्बेदकर का जिक्र किया जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया है । लेकिन संविधान के रचयिता को एक सामाजिक व्यवस्था के कारण कितनी वेदना सहनी पड़ी समाज में और देश में, इसकी पृष्टभूमि में जाने की आवश्यकता

है । इस देश में जहां यह कहा गया है—विद्यत्वंच, नृपत्वंच, नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते । मैं इसका हिन्दी रूपान्तर कर दूंगा । राजा और विद्वान में कोई समता नहीं की जा सकती । राजा तो सिर्फ अपनी रियासत में पूजा जाता है लेकिन विद्वान की पूजा सब जगह होती है । लेकिन बाबा साहब अम्बेदकर के साथ क्या व्यवहार किया गया उसे जानने की आवश्यकता है । विद्वान बनने के बाद जिस समाज में वह आये थे उनके कारण उस समय के विकृत समाज ने उनके साथ क्या किया ? उन्होंने जब सः तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैभ्यः पढ़ने का प्रयास किया । किन्तु जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें उनको अपमानित होना पड़ा और उन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए प्रवेश नहीं मिला ।

हमारी जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वह व्यवस्था ठीक नहीं थी । वह जर्मन गये और वहां संस्कृत पढ़ने के बाद संस्कृत के प्राध्यापक हो गये । उन्होंने एम० ए०, पी–एच० डी०, डी० लिट्०, डी० एस० सी०, बार० एट ला आदि किया । लेकिन हिन्दुस्तान की संस्कृति, मैं संस्कृति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि उस विकृत सामाजिक व्यवस्था को मानने वालों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया । जब वह देश को वापस आये 22 डिग्रियां लेकर के तो वापस आने के बाद जब उन्होंने अपने वतन के प्लेट–फार्म पर कदम रखा, आप इस बात को गासिप या कहानी न मानिये, तो वह प्लेटफार्म इसलिए धुलाया गया कि एक महार के बेटे ने वहां कदम रखा था । जब वह गांव जाने के लिए इक्के पर बैठने गये तो इक्के वाले ने इक्के पर नहीं बैठाया, कहा कि बैठने से अपवित्र हो जायगा । केवल इक्के को देकर स्वयं आगे पैदल चला तो वह और उनके भाई इक्के को स्वयं हांक कर ले गये । रास्ते में उनका इक्का गड्ढे में गिर गया । नतीजा यह हुआ कि उनके पैर हमेशा के लिए कमजोर हो गये। तो मैं राकेश जी से यह आशा करता था कि जब उन्होंने समता का जिक्र किया है तो उनको निश्चित रूप से देखना चाहिए था, इसको तह में जाने का प्रयास करना चाहिए था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है और इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है । मैं उनके संकल्प का समर्थन करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि जब तक सामाजिक विषमता की भावना रहेगी, सामाजिक विषमता की भावना के नाम पर लोग टुकड़ों में बटें रहेंगे तब तक समान, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समानता की बात सपना होगी ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

मैं समाप्त कर रहा हूं । आखिर यह किसका दोष है, आज प्रयास इस बात का करना चाहिए कि जो धन और धरती है, दुर्भाग्यवश जिनका बंटवारा उचित ढंग से नहीं हुआ है उसमें परिवर्तन लाया जाय और उसका बटवारा ठीक से हो । लेकिन सदियों से जिसका शोषण हुआ है जिसके लिए कहा गया है—शस्तेनायि च शूद्रेण न कार्यो धन संचय । शूद्र को धन कमाने की शक्ति रखते हुये भी धन नहीं कमाने देना चाहिए। यदि ऊंची जाति के कार्य करके वह धन कमा लेता है तो राजा को परामर्श दिया जाता है कि उसका धन छीन कर देश से बाहर निकाल दें । यदि ब्राह्मण उपदेश दे तो वह न सुने और यदि सुनता है तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाये । समाज में रहने वाले आज के लोग उस व्यवस्था को दोषी ठहरायेंगे । यही रण

[श्री गौरीशंकर एडवोकेट--]

था कि यदि एक गरीब चमार का बेटा चमार के घर में जन्म लेता है तो क्या उसका यही दोष कि उसने चमार के घर में जन्म लिया ? यह उसके वश की बात नहीं है । लेकिन जो हमारे वश में है वह करें कि जमीन का बंटवारा किया जाय । एक गरीब ब्राह्मण जिसका पेट पीठ से लग गया है, तन से जर्जर और भूख से पीड़ित है, वह अपने ही जैसे तन से जर्जर भूख से पीड़ित गरीब हरिजन के साथ पेट पालने के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता और अपने को कम से कम समाज में उच्च मानता रहेगा तब तक इस धरती पर समानता की बात करना कोरा सपना होगा ।

मान्यवर, इस देश की सुरक्षा के लिए क्या यह जरूरी है कि गरीब का बेटा ही मिलीटरी में जायेगा । मैं एयरफोर्स में रह चुका हूं इसलिए मेरा अनुभव है । इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि 21 साल के बाद में जैसे नौकरी के लिए योग्यता होना जरूरी होता है उसी प्रकार नौकरी में आने के लिए यह भी कम्पलसरी कर दिया जाय कि 21 साल के बाद 5 साल तक कम्पलसरी मिलटरी में रहना पड़ेगा । बैरक का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा और एक प्लेट तथा मग्गा लेकर खाना खाना पड़ेगा । मिलीटरी में कोई नहीं पूछता कि तुम किस जाति के हो या किस प्रदेश के हो । इस प्रकार जब वह व्यक्ति 5 साल मिलीटरी में रह आवेगा चाहे यूगांडा में ईदी अमीन की पाशुविक डिक्टेटरीशिप के खिलाफ हो, जिसको तंजानिया के मिलीटरी के ट्रेंड नागरिकों द्वारा यूगांडा के नागरिकों को मुक्ति दिलाई या ईरान में सावाक जैसे संगठन से ईरान की प्रशिक्षित जनता द्वारा ईरान को मुक्ति दिलाने का प्रश्न हो या उत्तरी वियतनाम की अमेरिका से लड़ाई का प्रश्न हो । उसी तरह मैं समझता हूं कि जब तक इस देश का एक-एक नागरिक मिलीटरी के प्रशिक्षण का अनुभव नहीं रखेगा तब तक इस देश की सीमा सुरक्षित नहीं है और देश की आजादी सुरक्षित नहीं है । इस मिलीटरी के अनुभव के बाद जब वह वापस आयेगा तो उसको कम से कम दो साल के लिए गांव के जीवन में कंपलसरी रूप से रखा जाय जोकि चौपालों में किसानों के बीच में बैठे और उसको यह अनुभव हो कि चैत और बैसाख की गर्मी में कितना कष्ट होता है, सावन और भादों की कड़कड़ाती रातें कैसे होती हैं, दिसम्बर और जनवरी की ठंडी रातों में क्या कष्ट होता है, जब इन सबका अनुभव हो जायेगा और वह नहीं पूछेगा कि चने का दरख्त कैसा होता है और जब वह अधिकारी बनेगा तो उसे गांव के जीवन को सुधार करने की दिशा में वह प्रभावी सिद्ध होगा । इसके साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए इसमें सामाजिक और आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए सामाजिक समानता और आर्थिक समानता की बात होनी चाहिये, इस संशोधन के साथ मैं राकेश जी के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैंने श्री राकेश जी के संकल्प को गौर से पढ़ा और सुना भी है । जिस तरह की भावना का उन्होंने जिक्र किया उससे लगता है कि श्री गौरी शंकर जी भी उसी में बह गये । भावना पवित्र है, जो मंशा उसकी है उसको लागू करने के लिए जो शिथिलतायें हुई हैं उनके चलते समाज में आर्थिक, सामाजिक विषमतायें पैदा हुई हैं और होती जा रही हैं जिससे समाज में अव्यवस्था होती जा रही है । मेरा निवेदन है कि जो जाति व्यवस्था है उसको समाप्त करने के लिए श्री राकेश चतुर्वेदी ने जो संकल्प पढ़ा है, उस पर ध्यान दिया जाय और गरीबी को आधार मानकर उनको राहत दी जाय । इसलिए मान्यवर, यदि शासन भी इन छोटी-छोटी

बातों में, जिससे जातिवाद की गंध आती है, जिससे विषमता पैदा होती है, पर ध्यान दे तो वह बातें समाप्त होंगी ।

मान्यवर, हमारा निवेदन था कि संविधान के निर्माता ऐसी बातें लोकतंत्र, समाजवादी देश में पैदा करे जिसम कोई अदमी खाता खाता न मरे और बिना खाता न मरे, तो अच्छा होगा । मान्यवर, धर्मनिरपेक्षता की जो बात कही गयी ह तो 32 साल तक यही कहा गया पर लागू न होने से इस देश का अहित हुआ है । मेरा तो निवेदन है कि हमारे मन में यह भावना जो हमेशा से बलवती बन गई थी जैसे छुआछूत की भावना थी, अनमेल वाला विचार था, ऊंच-नीच वाला विचार था, इन तमाम बातों को खत्म करने के लिए हमें ठोस कदम उठाना चाहिए । हमारी शिक्षा व्यवस्था बड़ी त्रुटिपूर्ण है । डा0 लोहिया ने बहुत पहले कहा था कि जब तक आप पब्लिक स्कूल समाप्त नहीं करगे जहां ऊंचे और सम्पन्न तबके के लोग पढ़ते हैं, तब तक आप शिक्षा व्यवस्था को कभी ठीक नहीं कर सकेंगे । हम आश्चर्य होता है कि आज बाल वर्ष मनाया जा रहा है और हमारे यहां प्राइमरी विद्यालयों में बालकों के पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है । विद्यालयों की छतें चू रही हैं, टाट-पट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है । अगर आप समता और समानता लाना चाहते हैं तो पब्लिक स्कूल्स को समाप्त करें और जो विद्यालय टूटे-फूटे हैं, खण्डहर हों नये हैं, जहा टाट-पट्टी की व्यवस्था नहीं है, अध्यापक के बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, वहां आप अच्छ विद्यालय बनाने की व्यवस्था करें । जब तक यह कार्य नहीं होगा तब-तक आप समाज में समानता नहीं स्थापित कर सकते । समाज में समानता लाने में जितनी देरी हो रही है उतनी ही विभिन्न वर्गों के बीच खाई बढ़ती जा रही है । आज भी गांवों में छुआछूत के नाम पर नाना प्रकार की यातनायें और उत्पीड़न दिये जा रहे हैं ।

हमारे देवरिया जिले में, अखबारों में पढ़ने को मिलता है, कि आज भी सवर्ण लोग हरिजनों को सार्वजनिक कुयें से पानी लेने से रोकते हैं । इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा । क्या वजह है कि आजादी मिलने के इतने साल बाद और इतने कार्यक्रम लागू करने के बाद भी आज हरिजन सार्वजनिक कुयें से पानी नहीं ले सकते । गांवों में डोम जाति के लोगों को पीने के पानी के लिए अलग से अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है । मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं लेकिन जो पिछड़े लोग ह, उनको आपको विशेष अवसर देना होगा और जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक आप गरीब और अमीर का भेदभाव खत्म नहीं कर सकते । शासन ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जिससे यह खाई पाटी जा सके और समाज म समानता आ सके । हमारे संस्कार आज भी वही चले आ रहे हैं । पर आज कोई शास्त्र हरिजन या शूद्र सुन ले तो कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए । ऐसा नहीं । अगर होगी इससे हमारे यहां वर्ण विद्वेष की भावना पैदा होगी । अभी इन्होंने सरकारी सेवाओं में समानता की बात की है, यह बहुत बड़ी बात ह क्योंकि हमारे घर के लोग सरकारी सेवाओं में हैं । जो गन्ना शोध परिषद् बना हुआ है, गन्ना शोध संगठन में जो लोग जितने वेतन पाते थे, उसके ड्योढ़े वेतन लेकर वे शोध परिषद् में काम कर रहे हैं । इसका क्या कारण है ? एक फाइनेंस आयोग की स्थापना होनी चाहिए और पूरे देश के स्तर पर सरकारी नौकरों का एक कडर बनना चाहिए कि कौन कर्मचारी कितना वेतन पायेगा और उसका कैडर क्या होगा ? जब तक आय और व्यय की सीमा पर आप कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा । अमीरों को खत्म करने के लिए समता और समानता लाने के लिए हिन्दुस्तान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता लाने के

[श्री राम नमेश पाण्डेय--]

लिए और जातिवाद को समाप्त करने के लिए डा० राकेश चतुर्वेदी के इस संकल्प से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं समझता हूं इस नौजवान विधायक में एक भावना है। वह हिन्दुस्तान में समाजवाद का साकार रूप देखना चाहते हैं।

मान्यवर, हम अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मना रहे हैं। समानता और समता की बुनियादी बात बच्चों पर निर्भर करती है। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, उनकी तालीम का आधार समता और समानता होना चाहिये। प्राथमिक स्तर से ही तालीम समानता पर आधारित होनी चाहिये। इस प्रकार की बुनियादी शिक्षा से हमारे बच्चे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, उनमें छुआछूत, अमीर-गरीब, इस प्रकार का भेद-भाव नहीं होगा। इन शब्दों के साथ में डा० राकेश चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत संकल्प से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैंने अपने मित्र राकेश चतुर्वेदी की बातों को बड़े ध्यान से सुना। मुझे ताज्जुब है कि राकेश जो इतने सदस्यों को विद्वान सदस्य और सत्ता पक्ष में बैठ कर बचकाने वाली जैसी समझ रखते हैं जैसे 32 होर्स पावर का घोड़ा दौड़ता हो और एक होर्स पावर की ताकत लेकर राकेश जी उसे पीछे घसीटते हों। आपने अजीब-अजीब बातें पेश की। हर शब्द में आपने पौराणिक काल, वैदिक काल की बात की बीसवीं सदी के अन्त में। आप अंग्रेजी पढ़े हैं, किसी कालेज के अध्यापक हैं। मान्यवर, आपने समता और समानता की बात की और अपने प्रमाण के तौर पर आप सिद्धान्त का भी हवाला देते हैं। राकेश जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैं आप लोगों से सबसे कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन मैं हाउस में बैठता हूं कोई बात कहता हूं तो जैसा हमारे कई दोस्त कहते हैं, मुख्य मंत्री जी ने कहा है, राष्ट्र की सीमा ध्वस्त होती जा रही है। तो हमारे विश्व के मुल्कों की जानकारी करें। समानता करें। राकेश चतुर्वेदी हमको ले जा रहे हैं वैदिक काल में और वेदों की याद दिलाते हैं। आप पौराणिक काल में चलते हैं, उपनिषद और मनु-स्मृति की बातें करते हैं, जिसमें इन्सान के गले में घण्टी बांध देते थे। मुझे मालूम है कि पौराणिक काल में भी असमानतायें थीं। पौराणिक और वैदिक व्यवस्था की वजह से असमानता बढ़ी जिसका परिणाम है कि आज आप जैसे ज्वालामुखी उठता है उस तरह इस सदन के 425 सदस्यों के सामने आप काम कर रहे हैं। जब से यह आरक्षण की बात शुरू हुई, माननीय राकेश जी आप भूल जाते हैं। अभी आरक्षण की बात हमारे दोस्त अश्फाक ने की जैसे मालूम हो कि अश्फाक जी एक कौम में पैदा नहीं हुये हैं। गोलियां चलाई जा रही हैं मुसलमानों पर। मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है।

आज हमारी यह सरकार जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है नेहरू जी के, इंदिरा के जमाने से मगर धर्मनिरपेक्षता पर अटल नहीं हैं। इसलिए अश्फाक जी आपकी कौम की लाखों नौनिहाल औरतों का सिन्दूर, चतुर्वेदी जैसे लोगों ने जो आर० एस० एस० का दिमाग रखते हैं, मिटा दिया है। मेरे दोस्त, राकेश जी तिल-मिलायें नहीं। आरक्षण पर बराबर गोलमाल संकल्प आप लाते रहे, डायरेक्टली आप नहीं कहते क्योंकि आप के क्षेत्र में भी वर्मा तथा यादव आदि लोग रहते होंगे, छिप कर कहते हैं ताकि क्षेत्र के लोग न समझ सकें। मैं कहता हूं कि भूतपूर्व कांग्रेस के जमाने में 15 फीसदी हरिजनों के लिए रिजर्वेशन की बात कही जाती थी लेकिन एक भी हरिजन को सर्विस नहीं दी गयी। जो सरकार हरिजनों को कोई भी नौकरी नहीं दे पाई वह अहीरों के लिए क्या व्यवस्था कर पायेगी।

माननीय राकेश जी आप पूंजीवादी व्यवस्था को पुनरावृत्ति न करें और अगर उसकी पुनरावृत्ति आप करेंगे तो इस देश तथा प्रदेश को नहीं बचा सकते । आपने कई लेखकों तथा विद्वानों की ओर ध्यान दिलाया है तो मैं राकेश जी से जानना चाहता हूं कि उन विद्वानों ने क्या लिखा है, समता कैसे आई है ? अन्य मुल्कों में समता आने का एक कारण है । जमीन के बटवारे की बात आप नहीं करेंगे ? आप टाटा, बिरला और पूंजीवादी व्यवस्था की बात नहीं करेंगे ? पूंजीवादी व्यवस्था के सहारे ही यहां की तथा दिल्ली की सरकार चल रही है । उन्हीं की छत्रछाया में यह सरकार चल रही है और पूंजीवादी व्यवस्था को आप बढ़ावा दे रहे हैं । जमीन के बटवारे का कोई समाधान आपके पास नहीं है । जब तक आप आर्थिक असमानता नहीं मिटायेंगे, सारे साधनों का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे और उसकी सीमा नहीं बांधेंगे तब तक वैदिककाल तथा पौराणिक काल तथा जाति विभेद की बात करना राकेश चतुर्वेदी जी बेकार है । मुझे उम्मीद है कि आप सही तस्वीर सदन में रखेंगे, आप सोशलिस्ट हैं लिहाजा भविष्य में ऐसी बातों को नहीं उभाड़ेंगे क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी ।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं उस जमाने का आदमी हूं जिस जमाने में फिरंगियों का राज था । तीस साल की आजादी के बाद क्या मिला ? इस आजादी में भिन्न-भिन्न पार्टियां बनीं । अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु इस देश की जनता को गुमराह किया गया, चाहे वह हरिजन के नाम पर, चाहे मुस्लिम के नाम पर हो । अब एक नया बिगुल बजा है पिछड़ी जाति के नाम पर । यही नहीं, उत्तर प्रदेश के कुछ महान नेता आज हमारे प्रदेश के बटवारे की बातें करने लगे हैं । आज हिन्दुस्तान में सारे प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश को लिया जाय और अगर सारे आंकड़े लेकर जोड़ा जाय कि कितना उसको केन्द्रीय धन दिया गया । उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में कम दिया गया । आज बड़े दुख के साथ अपने साथियों के बीच में कहना पड़ता है—कभी जब चुनाव हुआ था तो किसने बगावत की थी । अभी इन चन्द दिनों में मैंने देखा है कि व्यापारियों के बीच में जाकर लोगों ने जनता के साथ विश्वासघात किया है आज वही विधान सभा में समानता लाने की बात करते हैं । मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को भी साथ रहने के अवसर दें जो देश की आजादी के लिये फांसी के तख्ते पर चढ़े थे ।

अंग्रेजों ने हमसे जब पूछा था कि तुम क्या चाहते हो तो हमने कहा था अंग्रेजों, तुम भारत छोड़ो, हम यही चाहते हैं । हमने बन्दे मातरम का नारा दिया था । आज विधान सभा में जब हरिजनों की आवाज आती है तो जात-पांत और फिरका परस्ती की बात कही जाती है । मैं पूछता हूं कि क्या धोबी कोई जाति नहीं है, कोली जात नहीं है । आज एक ही जाति का राज रखना चाहते हैं । आज यह जनता पार्टी किसके बूते पर खड़ी है । आज वह इन्सान मृत्यु शैय्या पर पड़ा है जय प्रकाश नारायण—उसके लिये आपने क्या किया । हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों का कानून था कि ये क्लास-वन आफीसर हैं और ये क्लास-2 आफीसर हैं । हमारे देश के लिये ये बहुत बड़े जानवर हैं । चाहे गांव का मुखिया हो या अफसर हो गांव में हरिजनों को कुंवों में पानी नहीं भरने दिया जाता है और उनको अलग से कुंवां बनाने के लिये पैसा नहीं दिया जाता है । वोट के लिये तो विधान सभा में चालाकी से आ जायेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मान सिंह आजाद—]

और देश में समानता पैदा करने की जब बात आती है तो कुछ और कहने लगते हैं। यही नहीं, जो प्रतिक्रिया आज ये लोग चला रहे हैं और प्रदेशों में जो प्रतिक्रिया हो रही है, उस प्रतिक्रिया के बारे में मैं आज विधान सभा में यह ऐलान करना चाहता हूं कि वे लोग हमारे बीच में नहीं हैं जिन्होंने खुद को फांसी के तख्ते में झुला दिया और आपको विधान सभा में बिठाया है। मैं कहता हूं कि आप अपनी बात को अखबारों में लाना चाहते हैं। समझ लो कि जिस जनता ने आपको बिठाया है उसके लिये आपको समानता लाना है और जनता के साथ आपको सद्भावना रखनी होगी। जांत--पांत को छोड़ो। इन शब्दों क साथ में अपनी राय प्रकट करता हूं।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

अधिष्ठाता महोदय

जिन खतरों से इंसां को डराया या खुदा ने

उन सब में खतरनाक खुद इंसान हैं अभी तक

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह है यह कि माननीय सदस्य शेर बोल रहे थे और जब उन्होंने उसके आखिरी लफ्ज कहे तो उन्होंने 'राकेश' जी की तरफ इशारा किया।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। उन्हें बोलने दें, कृपया व्यवधान न करें।

*श्री खान मोहम्मद आतिफ खां—

तो मान्यवर, जिन खतरों से इंसान को डराया था खुदा ने, उन सब में खतरनाक खुद इंसान है अभी तक।

हमारे दोस्त राकेश चतुर्वेदी ने जो संकल्प पेश किया है इसमें लफ्ज शानदार हैं लेकिन कितना पैदा करते हैं। उन्होंने समरूप नागरिक कानून का जो जिक्र किया है उसका असर मुस्लिम परसनल ला पर भी पड़ सकता है। मैं इस बात पर फखर करता हूं कि मैं मुसलमान हूं और इस्लाम की 14 सौ साला तारीख हमें बिरासत में मिली है। जिस तरह से हिन्दू धर्म इस बात का दावा करता है कि वह 10 हजार वर्ष से इस जमीन में रहा है उसी तरह से इस्लाम भी एक हजार वर्ष से इस जमीन की खिदमत करता आया है। हमारा यहां बेहतरीन शासन रहा है बेहतरीन यहां का इंतजाम किया, बेहतरीन यहां इमारतें बनी, बेहतरीन यहां सड़कें बनी और बेहतरीन कुवें बने। इन सब पर हमें नाज है। इससे हम मुकर नहीं सकते है। आज सवाल यह है कि समानता कहां से आयेगी, आदमी को किस कानून के तहत समझाया जायेगा यह एक बुनियादी बात है। हमारा धर्म कहता है दुनियां के तमाम इंसान आदम से पैदा हुए और आदम मिट्टी से पैदा हुआ। इसलिये दुनिया के तमाम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंसान भाई-भाई हैं और हर इनसान का झूठा पाक है। यह बात 14 सौ साल पहले इस्लाम ने कही थी। इस्लाम ने यह कहा था कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। यह भी कहा था कि इंसान को मां ने आजाद पैदा किया था तुमने इसे गुलाम कब से बना लिया है। हुकूमत चलाने के लिए इंसाफ और अदल होना चाहिये। अगर अदल और इंसाफ नहीं है तो वह हुकूमत कायम नहीं रह सकती है, वह बरबाद हो जायेगी।

हमारे समाज का आर्थिक ढांचा इंसाफ की बुनियाद पर कायम नहीं है। हमने इससे समाज में इंसान को छोटा और बड़ा बना दिया है। आदमी को आदमी के रूप में रखने की कोशिश नहीं की। बुनियादी बात यह है कि यह समानता उस वक्त तक नहीं आ सकती है जब तक आदमी को आदमी न समझें। एक अधिकारी, एक कर्मचारी और एक चपरासी ये तीनों आदमी हैं। तीनों बराबर हैं, तीनों के काम अलग-अलग हैं लेकिन काम के आधार पर इनसान से नफरत नहीं की जा सकती है। 8 घन्टे वह भी काम करता है और आठ घन्टे दूसरा भी काम करता है सब की तनखा उस हिसाब से बराबर होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि एक आदमी 5 हजार, तीन हजार या दो हजार पाये और दूसरा आदमी 150 रु० माहवार तनखा पाये। इस से यह मुल्क तबाह हो जायेगा, कोई बचा नहीं सकेगा। असमानता बढ़ने से मुल्क में तबाही और बरबादी आयेगी जिसे हम बचा नहीं सकेंगे।

दूसरी बात हमारे राकेश चतुर्वेदी जी ने संस्कृति की कही है। हजूरेवाला जब आप संस्कृति की बात करते हैं उसका आन्दाजा आप गौरीशंकर जी ने जो बात कही उससे लगा सकते हैं। हमारे दोस्त भगवती सिंह जी ने भी वहीं संस्कृति की बात कही कि यहां शूद्रों के कान में शीशा डाल दिया जाता था तो क्या यही संस्कृति है। तो क्या आप इधर समाज को ले जाना चाहते हैं जिसमें इंसान के लिए रास्ते मुकर्रर कर दिये जाते थे। इसे कृष्ण, राम और बुद्ध की जमीन बरदाश्त नहीं कर सकती। इसलिये इन सब बातों से इनसान को नजात दिलाना है। समाज में इंसान की बिरादरी को इससे निजात दिलानी होगी और सब को बराबर तालीम करना होगा। मैं राकेश जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इसकी ताइद करेंगे अगर वह एक संकल्प से दो बातें निकाल दें एक तो संस्कृति की और दूसरी 'समरूप नागरिक कानून' की बात। आप इस तरह के कानून बनायेंगे तो समाज में फसाद पैदा होंगे और मुस्लिम समाज किसी भी कीमत में अपने पर्सनल ला में परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होगा। उनके जो कानून हैं, उनको उन्होंने नहीं बनाया है, वह खुदा की तरफ से आये हैं, उनको हम बदल नहीं सकते हैं और न किसी को बदलने दे सकते हैं। हम उनसे बंधे हुए हैं, हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। राकेश जी, यदि अपने संकल्प में से ये दो चीजें निकाल दें तो यकीनन यह ऐसा प्रस्ताव है कि इसका समर्थन किया जाना चाहिये और यदि यह अपने बदले रूप में समाज और देश में लागू हो जाय तो राम, कृष्ण और बुद्ध की जमीन ऐसी जमीन उभड़ेगी, जिस पर सभी फख्र करेंगे। अब तक हमने इसे जो भेड़ियों का मुल्क बनाकर दुनियां के सामने पेश किया है, वह इंसानों का मुल्क बन जाएगा।

*श्री गौरी शंकल भरथा (जिला बलिया)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं राकेश जी के इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैंने राकेश जी, भगवती प्रसाद सिंह जी और अपने नामधारी गौरी शंकर जी को बड़े ध्यान से सुना । एक चीज इसमें बार-बार दिखाई देती है, समानता की बात हम बार-बार करते हैं । हरिजन सड़क पर भीख मांगता है और एक ब्राह्मण आकाश की ऊंचाई छू रहा है, तो इनका कहना है कि उस ब्राह्मण को नीचे लाकर दिखा जये । यह नियम लागू करते आए हैं । उस व्यवस्था को बदलने वाले लोग जब बदलने की बात कहते हैं तो हम समझते हैं कि वही लोग उस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं और उसका नाम इसलिये लिया करते हैं कि यदि वह व्यवस्था का नाम लेंगे, तो उन्हें वोट मिलेंगे और यदि वास्तव में व्यवस्था बन जाएगी, तो उसके बाद उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा ।

सांस्कृतिक बराबरी की बात कही, हिन्दू संस्कृति की बात कही गई है । यह कोई ऐसा संविधान या अर्थशास्त्र नहीं रहा है, जिसमें आवश्यकता होने पर भी परिवर्तन न किया जा सके । उसमें देश और काल की आवश्यकताओं के अनुरूप सदैव परिवर्तन किये जाते रहे हैं । जब मनु आए तो उन्होंने समाज को एक आदर्श व्यवस्था दी, उसकी रूपरेखा दी, उसके बाद जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया और उन व्यवस्थाओं में विकृतियां आती गयीं तो भृगु ने उस व्यवस्था को बदलकर एक नई समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था दी । इसी प्रकार समय-समय पर हमारे देश के मनीषियों ने समाज की व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया और उन्होंने समाज की जर्जर व्यवस्थाओं को बदलकर उन्हें विकसित और समय के अनुरूप व्यवस्थायें दी । इस परम्परा में गौतम बुद्ध भी आए, उनके जमाने में समाज और संस्कृति को बदलने का काम जुझारू रूप से किया जाता रहा ।

लेकिन संकल्प में हम यह पाते हैं कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के जो चुनाव घोषणा-पत्र हैं, वह इसमें उठाकर रख दिये गये हैं । तो यह लोग, टाटा, बिड़ला को कहने वाले लोग बंगाल में, जहां इनका शासन चलता है, यह उनकी फक्टरियों के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करते हैं । टाटा, बिड़ला की गोली कभी किसी नक्सलाईट पर चलती नहीं दिखाई पड़ती है । जब कोई समानता की बात कही जाती है तो आरक्षण वाले लोग पहले सोचने लगते हैं कि कहीं हमारे मिले हुए हक छीने न जायें । तो इनका संकल्प कहता है कि जो बड़ा हो गया है, उसको काटकर छोटा कर दो । गौरीशंकर जी ने कहा है कि धन और धरती बट कर रहेगी । तो यह चीज इसमें कहीं नहीं कहा गई है । गौरी शंकर जी पिछड़े हुए हैं, उनके लड़के को भी एक भंगी लड़के के साथ उसके समान तमाम सुविधायें मिलेंगी । उसी प्रकार जगजीवनराम के लड़के को भी एक भंगी लड़के के साथ, उसके समान सुविधायें मिलेगी, लेकिन एक ब्राह्मण का लड़का जो नाच में नाचने वाला बनता है, उसको यह सुविधायें इसलिए नहीं मिलेगी कि वह गलती से एक ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया। और श्री गौरी शंकर को इस लिये सुविधा मिलनी चाहिये कि विधायक होने के बाद संयोग से वह हरिजन हैं ।

हम समानता की बात करते हैं । अभी माननीय सदस्य ने मुस्लिम संस्कृति की बात की । आज मुस्लिम नारियां विदेशों में बराबर आन्दोलन कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रही है कि मुस्लिम पुरुषों को चार शादियां करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिये । पुरुष नारियों को आगे आने का मौका नहीं देना चाहते हैं । इसलिए मुस्लिम कानून म परिवर्तन नहीं होने देना चाहते हैं, जब समानता की बात की जाती है, चाहे हिन्दू नारी हो, मुस्लिम नारी हो, पारसी नारी हो, या ईसाई नारी हो, सब पुरुषों को एक नारी रखने की इजाजत देने की बात की जाती है । जब जमीन के सम्बन्ध म और राजनीतिक विवादों के सम्बन्ध में समानता की बात की जाती है, तो जमीन के सम्बन्ध में बटवारे की बात की जाती है जब राजनीति में समानता की बात की जाती है तो सोशलिज्म का नारा दिया जाता है । इस समय शासन में बहुत से लोग डाक्टर लोहिया को मानने वाले हैं, हालांकि जब माननीय बनारसीदास जी ने माननीय मुख्य मन्त्री के पद की शपथ ली तो उन्होंने कहा था कि राजनारायण जी के लड़के को भी सुविधा मिलनी चाहिये, जो एक गरीब हरवाहे को सुविधा मिलती है । जब समता की बात कहते हैं, और कहीं हो तो उस समता की बात करते हैं जो हिन्दुस्तान के संविधान में निहित है । हममें से बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बराबर इस बात की कोशिश की है कि हिन्दुस्तान का समाज समानता के आधार पर बने । जय प्रकाश जी के नेतृत्व में, आचार्य नरेन्द्र देव की नीतियों से प्रेरित हो कर, डाक्टर लोहिया के सिद्धांतों से प्रभावित हो कर, देहातों के गलियरों से हो कर, जब सड़कों पर आते हैं, और विधान सभा तक पहुंचते हैं, और समानता की बात आती है, तो समाजवाद का नारा लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में, और देश में इस समानता को ला सकें । इससे देश और प्रदेश का बहुत बड़ा फायदा होगा ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, समान शिक्षा की बात आती है । टाटा एक लोहार है, उसको भी सुविधा मिलनी चाहियें, पिछड़ी जाति में पैदा हो गये बाबू साहब को सुविधा मिलनी चाहिये, एक रिक्शा खींचने वाले को इसलिए सुविधा नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि वह गलती से पृथ्वीराज के खानदान में पैदा हो गया ।

(व्यवधान)

दो तरह की शिक्षण पद्धति चल रही है । एक मांटेसरी स्कूल की पद्धति है और दूसरी प्राइमरी पाठशालाओं की पद्धति है । प्राइमरी स्कूलों में जो लड़के जाते हैं वह बोरे बिछा कर पढ़ते हैं, और बाद में बोरे ढोने वाले बन जाते हैं । दूसरी पद्धति में कुर्सी मेज पर बैठ कर पढ़ते हैं यह पद्धति कुर्सी मेज पर काम करने वाले बाबू और अधिकारी पैदा करती है । एक तरफ मजदूर, गुंडे, लफंगे पैदा होते हैं और समानता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं । माननीय राकेश चतुर्वेदी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं । मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसकी मूल भावना को समझें । इसमें समाज को समानता के आधार पर आगे बढ़ने की भावना मिलती है । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य का समर्थन करेंगे ।

*श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, मुझे आपने बड़ी कृपा की, जो बुद्धि की वरजिश के अन्दर उस जंगल के अन्दर, अपना समय दिया जो कल्पना करने के बाद, समाज को समान बनाने के लिए आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से संकल्प लाये हैं, माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अजीत सिंह सेठी—]

सदस्य चतुर्वेदी जी निःसंदेह कभी-कभी कल्पना बहुत सुन्दर करते हैं भले ही वह दुनियां की चीजों में फंसे हों, फिर भी उड़ान ऊंची करते हैं, सोचते हैं समाज के लिए, चतुर्वेदी जी ने उसको सोच कर अपना संकल्प पेश किया ।

लेकिन सवाल यह है कि जो इंसान एक दाना लेकर बोते हैं तो उससे पौधा उगता है, लेकिन अगल उस बीज की दो दालें कर दी जाती हैं और तब बोता है तो पौधा नहीं उगता है । यह संकल्प पौधा इसी आधार पर है । साबूत दाना नहीं है, दाल हैं, इससे कुछ बनेगा ही नहीं ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि प्रथम तो विचारों में समानता होनी चाहिये । अमल विचार एक समान नहीं हो पाते हैं तो कुछ बन नहीं पायेगा । जिस संकल्प को पेश किया है उसके बारे में एक विचार होना पड़ेगा तभी एक चीज हमारे सामने आ सकेगी । अगर हमारे सभी विचार एक समान नहीं होंगे तो समाज बदलेगा नहीं और उसमें समानता नहीं आ सकती है । मैं कहना चाहता हूं कि समाज की रचना एक मानव के लिए होनी चाहिये । मान्यवर, जब ऐसी व्यवस्था है तो समान विचारों का होना जरूरी है । जब एक विचार के व्यक्ति बैठें तभी समाज के अन्दर एक चेन्ज और तबदीली ला सकते हैं ।

श्रीमन्, अब मैं शिक्षा की बात कहना चाहता हूं । शिक्षा आपकी समान नहीं है । जब तक शिक्षा समान नहीं होगी तब तक इंसान फले और फूलेगा नहीं । जो भी मन्त्री आया उसने यही कहा कि शिक्षा समान होनी चाहिये, लेकिन कोई शिक्षा को समान कर नहीं पाया । किसी ने यह नहीं सोचा कि शिक्षा समान किस प्रकार से हो सकती है । हम असेम्बली में आ गये लोगों का रिप्रजेन्टेशन करने के लिए । आप किसी समान शिक्षा पद्धति की घोषणा करें । आज तक हमारे सामने शिक्षा के बजट आते रहे परन्तु शिक्षा में कोई तबदीली नहीं आयी । और हम उसी प्रकार से चलते आ रहे हैं जैसा कि पहले चलते थे । अगर आप समाज को समान बनाना चाहते हैं तो शिक्षा को समान बनावें । एक बात यह कही गई कि एक किस्म की पे सबको मिले, समान वेतन सभी को मिले । इस सम्बन्ध में मैं कहना यह चाहता हूं कि पे जैसी जिसकी बुद्धि है उसी के हिसाब से उसको मिले । एक डाक्टर जिसके पास बुद्धि है और ज्ञान है उसके सामने जब मरीज स्ट्रेचर पर आपरेशन के लिए जाता है तो वह अपनी बुद्धि के द्वारा उसका आपरेशन करता है और जीवन उसका बचाना है और एक दूसरा डाक्टर जो यह कार्य नहीं कर सकता है, तो उसको समान पे कैसे मिल सकती है । यह जो संकल्प माननीय चतुर्वेदी जी ने प्रस्तुत किया है, उसकी भावनाओं का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं । इसको इस समय तो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सवाल तो तब आयेगा जब इसको पास करें । आज इस समाज के अन्दर हर एक की कल्पना है कि वह सुन्दर बने और समान बने ।

यहां पर एक मंत्रिपरिषद् है और समाज को चलाने के लिए उसके पास एक प्रणाली है । उसके द्वारा उसे समाज को समान बनाना चाहिए । हम तो समाज को समान बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं लेकिन जिसके द्वारा समाज को चलाया जा रहा है अगर वह इनको समान बनाता है तभी हम समान समाज की कल्पना कर सकते हैं ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राकेश चतुर्वेदी जी ने जो संकल्प रखा है, उसका एक-एक शब्द समर्थन के लायक है। मैंने माननीय भगवती सिंह जी को सुना लेकिन समझ नहीं पाया कि वे "समान कार्य के लिए समान वेतन" का विरोध कर रहे थे, समता का विरोध कर रहे थे ? जब वे इस संकल्प का बिरोध करने के खड़े हुए तो वे अपने हृदय पर हाथ रख कर देखें वे अपने सिद्धान्त से कहीं और जा रहे थे। माननीय आरिफ साहब ने कहा कि वेतन की भारी असमानता को बर्दास्त नहीं किया जा सकता है। यह न हो कि एक व्यक्ति को 10 हजार या 5 हजार रुपया मिले और एक साधारण मजदूर केवल 100, 150 रुपये में ही अपना गुजर करे। अगर इजराइल का एक मोटर ट्रक ड्राइवर और एक प्रोफेसर एक वेतन पा सकता है तो कोई कारण नही है कि यहां पर भी एसा न हो। श्रम का उतना ही महत्व हो जितना श्रम के द्वारा उत्पाद करके हम लाभ उठाते हैं। सरकारी सेवाओं में समानता की बात कही गयी है कि एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने जाति भेद और व्यक्तिगत स्वार्थ को जगाकर वोट लेने की राजनीति पैदा की उन्होंने प्रतिभाओं को भारत से पलायनवादी बनाने का प्रयास किया हो। थोड़े दिनों पहले समाचार पत्रों में एक विशद रिपोर्ट प्रकाशित हुयी है भारत वर्ष से ब्रेन ड्रेन की, यहां की प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, विद्वान लोग बाहर जा रहे हैं, बड़े-बड़े डाक्टर और इन्जीनियर बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी प्रतिभा के अनकूल सेवा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि सेवाओं में एक सी सुविधायें, और एक सी परिस्थितियों में काम करने के अवसर उन्हें मिलने चाहिए। जिन लोगों ने जातिवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ प्रकट करके आरक्षण और संरक्षण की बात कही है, उनके हृदय को इस सुझाव से ठेस पहुंच रही है।

जहां तक आरक्षण की बात है मेरे भाई शायद इस संकल्प को समझ नहीं पाये हैं। अगर वे इसको समझ लेते तो इसका विरोध न करते। समाज मे व्याप्त विरोधाभास और असमानता को ही समाप्त करने के लिए यह संकल्प लाया गया है। अगर इसको ठीक ढंग से समझ लेते तो कदापि इसका विरोध न करते और मेरी बात में आपको टोकने की आवश्यकता न होती। माननीय गौरीशंकर जी बड़े विद्वान हैं, मैं उनका आदर करता हूं, आरक्षण के सम्बन्ध में उन्होंने एक बात यह कही कि प्राचीनकाल में एक ऐसा भी समय था जब अगर हरिजन वेदों का श्रवण कर लेता था तो उसके कान में शीशा डाल दिया जाता था। मैं कहता हूं कि वह आज गई गुजरी बात हो गयी, आज तो पुरानी रुढ़ियों को बदलने की आवश्यकता है, आज आवश्यकता इस बात को विचार करने की है कि हम समाज को कैसे बदलें। अस्पृश्यता निवारण की बात जहां तक है, संरक्षण की बात जहां तक है, आज एक प्रकार का भेदभाव पैदा कर दिया गया है। एक ओर जहां आज एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के पास दो ट्रैक्टर हैं, 100-100 बीघा जमीन है, आरक्षण के नाम पर उसका लड़का भी वजीफे के लिये एप्लाई कर रहा है, किन्तु एक वह व्यक्ति जो इस आरक्षण में नहीं आता, वास्तव में गरीब है उसका बच्चा वजीफे के लिये एप्लायी नहीं कर सकता। मैं भाई गौरीशंकर जी से जोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो वे अस्पृश्यता निवारण की बात करते हैं, हरिजनों को बराबर लाने की बात करते हैं, क्या आज एक धोबी का बच्चा चमार के या बाल्मीकी के साथ बैठ कर खाना खा सकता है ? क्या वह अपने बेटे की शादी किसी बाल्मीकी के बेटी से कर सकता है ? अगर नहीं, तो आज

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त--]

इस रूढ़ी को पहले बदलने की जरूरत है । आज कितने ऐसे संगठन हैं, संस्थायें हैं या सामाजिक संस्थायें हैं जिनमें बराबरी की बात की जाती है ।

माननीय गौरीशंकर जी ने एक बात यह कही कि हर नौजवान के लिये यह जरूरी हो कि वह ५ साल तक मिलीटरी में काम करे, एक लाइन में बैठकर खाना खाये भले ही किसी भी जाति का खाना परोसे आदि ।

(व्यवधान)

(इस बीच व्यवधान में माननीय सदस्य ने कुछ शब्द कहे जो सुनायी नहीं दिये ।)

मैं उनके इस सुझाव का समर्थन करता हूं । देश के हर बालिग नौजवान के लिये सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिए । सैनिक अनुशासन जातिवाद के उन्मूलन में सहायक सिद्ध होगा और देश भी शक्तिशाली बनेगा । सब नागरिकों को समानता का भी अनुभव होगा ।

इस देश में एक ऐसा भी सामाजिक संगठन है जिसने कुछ छुआ छूत, ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है लेकिन हमारे साम्यवादी भाइयों को उसमें साम्प्रदायिकता नजर आती है ।

मान्यवर, यह जो संकल्प है इसमें सभी के बराबरी की बात कही गयी है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान के बीच)

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, जो अपने लिये विशेषाधिकार की बात करते हैं उनके लिये भी इस संकल्प में संकेत है । चाहे इन्दिरा गांधी हों, चाहे कोई और हो, कानून सभी के लिये बराबर होना चाहिये । एक जमाना था जब यह कानून बना दिया गया था कि प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति के खिलाफ कोई फौजदारी या माल का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यह संकल्प उनको भी एक समान धरातल पर लाने का प्रयास करेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को इस सदन को स्वीकार कर लेना चाहिये, यह एक अच्छा संकल्प है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

आप केवल लिस्ट ही देख कर बुला रहे हैं या अपने विवेक से भी बुलाते हैं...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मेरे सामने कोई सूची नहीं है । आपको समय मिलेगा ।

श्री अवधेश प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आज माननीय राकेश जी बधाई और धन्यवाद के पात्र होते अगर इस आदरणीय सदन में यह प्रस्ताव लाये होते कि गरीबी और अमीरी की जो इतनी बड़ी खाई है, समाज में वह खाई पाट दी जाय, तो मैं समझता हूं कि वह आज बधाई और धन्यवाद के पात्र होते। आज इस आदरणीय सदन में यह प्रस्ताव लाये होते कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भारतीय संविधान जो 18 प्रतिशत का प्रिविलेज है, उसका कड़ाई से पालन करे, मैं समझता हूं कि आज प्रदेश के हरिजन भाइयों की तरफ से बधाई और धन्यवाद के पात्र होते, लेकिन इन्होंने जैसा मैंने समझा शब्दों के मेल और मिलाप में इनका जो संकल्प है, लगता है इसमें इनका कंट्राडिक्टरी मामला है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य को अपना भाषण देने [दीजिए।]

श्री अवधेश प्रसाद--

बहुत से ऐसे कानून बनाये गये हैं, जिसका आज भी प्रैक्टिकली शेप नहीं दिया जा रहा है जिसको आज भी असली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। जैसे अनटचेबिलिटी ऐक्ट, बाल विवाह वर्जित अधिनियम ये सारे कानून पास हो गये, लेकिन जैसा कि माननीय राकेश जी भी जानते हैं, आज भी अगर गावों में चले जायं, तो छुआछूत का अभिशाप अपने देश और प्रदेश में व्याप्त है। इस दिशा में तो माननीय राकेश जी चिन्तन और मनन किये होते, सेमीनार गांवों में और न गांवों में अपने चुनाव क्षेत्र में ही इस तरह की सेमीनार लगा कर कि समाज में चाहे हरिजन हो, चाहे पिछड़े वर्ग का कोई हो, सब बराबर हैं अगर इस तरह का यह किये होते कि जो समाज में अनटचेबिलिटी का या छुआछूत की जो बीमारी है, इस दिशा में कुछ काम किये होते, तो वाकई में आप बधाई और धन्यवाद के पात्र होते। लेकिन मान्यवर, मुझे तकलीफ होती है उन दिनों को याद करते हुए कि जिस समय आरक्षण का तमाम आंदोलन चल रहा था, अगर माननीय राकेश जी समाज में या जगह-जगह दौड़ा करके ये अपना संदेश आन्दोलन के विरुद्ध दिये होते, तो मैं समझता हूं कि वह बहुत ही अच्छा काम हुआ होता। लेकिन उस दिशा में काम नहीं किया। तो मान्यवर, जैसा मैं यकीन करता हूं कि बहुत से ऐसे कानून हैं, कानून आज प्रभावी नही है, इस दिशा में अगर इस आदरणीय सदन में संकल्प लाये होते कि ऐसे कानून जो समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये हैं प्रभावी बनाया जाय मैं समझता हूं यह बड़ा अच्छा काम किये होते, लेकिन ये नहीं किये। जैसा कि मुझ इस संकल्प को देखर आभास होताहै, इसमें लगता है कि एक हथियार से दो शिकार करना चाहते हैं। आज मान्यवर, समाज की जो स्थिति है, समाज में ऐसे भी लोग हैं, जिनको शाम तक खाना नहीं मिलता. दिन भर काम करते हैं, उनको खाना नहीं मिलता मान्यवर, शिक्षा की कौन कहे,इस दिशा में भारतीय संविधान में बहुत पहले व्यवस्था की गयी है और भारतीय संविधान में इसीलिए व्यवस्था की गयी है कि समाज में ऐसे लोग जो पिछड़े हैं, दबे हैं, उनको उठाने के लिए पहले ही डा० अम्बेदकर साहब ने इस पर व्यवस्था कर दिया है, ये माननीय राकेश जी बधाई के पात्र होते अगर वह इस तरह का संकल्प लाये होते कि भारतीय संविधान में गरीब और हरिजन को उठाने की जो व्यवस्था पहले ही भारत स्वतंत्र होने के बाद,

[श्री अवधेश प्रसाद---]

जो व्यवस्था कर दी गयी थी, उस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कर दिया जाय, तो आज ये बधाई के पात्र होते, लेकिन ऐसा नहीं किया । उन सब बातों से माननीय, जरूरी होता है कि कहें । जहां तक समानता की बात है सेवाओं में, इस दिशा में मैं बताना चाहता हूं जब तक किसी व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलेगा तब तक वह समान तरक्की नहीं कर सकता । ऐसी दशा में मैं माननीय राकेश जी से निवेदन करता हूं कि जो प्रस्ताव रखा है, जो शब्दों का जाल है, अपना संकल्प वापस कर लें और समझ बूझ कर अगर कोई दूसरा संकल्प लावें तो बधाई के पात्र होंगे और मुझे उम्मीद है कि वे इसे वापस ले लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

सभी को समय मिलेगा । माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं संकल्प पर आप सब बोलेंगे इसीलिए व्यवधान हों ।

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संकल्प आज नजर से गुजरा और इसको पढ़ने के बाद यह मालूम हुआ कि एक पंडित ने अपनी ब्राह्मणी जबान में एक ऐसी बात कहने की कोशिश की है जिससे इस देश में जमहूरियत के पनपने में रुकावट पड़े और इनके हजारों साल के बने-बनाये जो राज हैं, बाकी रहें । बहरहाल इतन हसीन लफ्ज इसमें हैं कि उससे मालूम होता है कि इस देश को ऊपर उठने का मौका नहीं देना चाहते । जमहूरियत में हर इंसान को बराबरी का स्थान मिलना चाहिए । देखा गया है कि हरिजन जो हैं, समय-समय हजारों साल से पीड़ित वर्ग के लोग कहलाते हैं, उन पर जो जुल्म और ज्यादती होती रही है, लोग आराम पसन्द हैं, आराम तलब हैं इसलिए चाहते हैं कि हरिजनहरिजन ही रहे ताकि उनके कदम बचाने के लिए हज्जाम-हज्जाम ही रहे इसलिए वे लोग हमेशा आरक्षण का विरोध करते हैं । मैं यह गुजारिश करूंगा । माननीय चतुर्वेदी जी से, अपने धड़कते दिल पर हाथ रखें कि क्या इंसान को इस जमीन पर बराबरी का मौका मिलना चाहिए या नहीं । मैं समझता हूं कि पढ़े-लिखे और इन्साफ पसन्द आदमी हैं । वे यह फैसला करेंगे कि जब तक हर वर्ग को बराबरी का मोका नहीं दिया जायेगा इस मुल्क के अन्दर जमहूरियत नहीं पनप सकती । वोट कल भी खरीदे जाते थे और आज भी और उसके ठेकेदार माननीय चतुर्वेदी जी के कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं । इसलिए जो आरक्षण की नीति सरकार ने अपनायी है वह जमहूरियत को बढ़ावा देने वाली है । हमें इस चीज को मजबूत करना चाहिए लेकिन इस नीति को चलाने वाले लोग हैं वे सब के सब माननीय राकेश के कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ।

(व्यवधान)

(किसी सदस्य के कुछकहने पर)

मैं वकील हूं दूसरे कबीले का ।

श्री अधिष्ठाता---

आप इधर बात करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री फजलुलबारी—

हमारे गौरी भैय्या को औरतों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसका बहुत दर्द है। मान्यवर, मैं कह रहा था कि उनकी औरतों से बड़ी मुहब्बत है और खासकर मुसलमान औरतों से चार शादियों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि यहाँ पर 49 के लगभग इस हाउस में मेंबर हैं। उनमें से किसके पास एक के बजाये दो बीबियां होंगी। उन्हें चार की इजाजत तो जरूर हैं जिससे कि समाज में ऐसे लोग न हों जो यहां से जाकर हजरतगंज या दूसरी जगह जकर लगायें। इसलिये 4 शादियों की व्यवस्था है, उन लोगों को मौका दे दिया गया। बहरहाल, मैं इस संकल्प का जो मा० राकेश चतुर्वेदी जी नें पेश किया है, विरोध करता हूं और चाहता हूं कि सिर्फ एक लब्ज का संकल्प बनायें— भारतवर्ष के इस महान प्रदेश में समाज के अन्दर के लोगों को जिन्हें हम हरिजन कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, को पूरा आरक्षण देकर, मौका देकर, ऊपर उटाया जाये ताकि इनका स्तर ऊंचा हो और यह देश तरक्की कर सके।

श्रीमती कुदशिया बेगम (जिला हरदोई)—

जनाबेवाला, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपने इस तकरीर में हिस्सा लेने का मौका दिया। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह संकल्प जो इस वक्त हमारे सदन में पेश किया गया है और जिस पर इतनी जोरशोर से और सरगर्मी से बहस हो रही है इसकी बिना क्या है और किस वजह से यह पेश हुआ है। अगर मजहबी बहस थी इसका फोरम दूसरा होना चाहिए था जनाबेवाला का कहना है कि हमारे संविधान की हमारे दस्तोअमल की यह दलील है कि उसमें सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है लेकिन उसमें एक बात यह है कि जब हम लोग संविधान बना रहे थे तो हमें इस बात का दुख था कि एक वर्ग ऐसा है जोकि कि सैकड़ों सालों से पीछे पड़ा हुआ है। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तो इस बात की कोशिश थी कि जो वर्ग हजारों सालों से पीछे डाल दिया गया था उसके लिये किस तरह से अवशर मुहैया किये जायं ताकि वह बराबरी पर आ सके इसीलिए हरिजनों के लिए रिजर्वेशन रखा गया इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसका कोई वर्ग कमजोर हो, वह हरिजनों का वर्ग है। इस्लाम में सबसे पहले मसावात, बराबरी, टाईम्स, इक्वालटी, टालरेन्स का सबक दिया था। किसी वर्ग का सवाल नहीं था। इस्लाम ने सबसे पहले समाजवादी वसूल रखा कि बड़े छोटे में कोई फर्क न हो अमीर गरीब म कोई फर्क न हो और सम्पत्ति जमा न की जाय। लड़कों को बराबर हिस्सा मिले। दौलत का 40वां हिस्सा किसी गरीब को दिया जाय। इस्लाम में ऊंच नीच और कास्ट का कोई सवाल नहीं है। तो यह तमाम चीजें थीं जिनसे मजहबी मसावात कायम हुय। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि इसमें दो सवाल ह। एक तो मजहबी सवाल है और दूसरा आर्थिक सवाल है। मैं आर्थिक सवाल को लेकर पूछना चाहती हूं कि इस वक्त जब मुल्क की आजादी को 32 साल हो चुके हैं इसके बावजूद भी क्या हमारे यहां आर्थिक मसावात हैं। हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा और बहुत गौर से सोचना पड़ेगा कि हमने जो तरीका अपनाया अपने मुल्क के लिये क्या वह वाकई में सही है। क्या हमने सोचा है कि हम ऐसी सोसायटी या ऐसा समाज बनायें जो हमको ज्यादा से ज्यादा बराबरी की तरफ ले जाय ? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मुसलमानों के लिये महिलाओं के लिये रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन क्या यह वाकई नहीं है कि

[श्रीमती कुदसिया बेगम--]

बहुत सी मुलाजमात में मुसलमानों को रोका गया और उसमें वह शामिल नहीं किये गय । क्या इसमे कोई अंतर नहीं रखा गया ? इसीलिये मैं पूछना चाहती हूं कि औरतें जो मर्दों की तादाद के बराबर हैं हिंदुस्तान की आबादी में क्या उनको बराबरी का दर्जा मिला है ? मैं एक सेमिनार में दिल्ली गयी थी वहां बताया गया कि हिंदुस्तान में 51 प्रतिशत फीसदी मर्द हैं और 49 फीसदी औरतें हैं । मतलब यह है कि दोनों की तादाद बराबर है । लेकिन औरतों का क्या दर्जा है हमारे मुल्क में मैं यह आप सबसे पूछना चाहती हूं । क्या यह मसावात है, क्या यह बराबरी है, क्या अन्तर नहीं है । यह वह चीजें हैं जिनको हम सोचना पड़ेगा कि अभी भी मसावात कायम नहीं हुय हैं । इस सिलसिले में मैं इकबाल साहब का एक शेर कहना चाहती हूं :—

सच कह दूं ऐ बरहमन, गर तू बुरा न माने ।
तेरे सनमकदों के बुत हो गये पुराने ।
पत्थर की मूरतों में, समझा है तू खुदा है,
मेरे लिये वतन का हर जर्रा देवता है ।

(वाह-वाह की आवाजें तथा मेजों की थपथपाहट)

इसलिए अब वक्त आ गया है कि देश की उन्नति का ख्याल किया जाय और तमाम कास्ट और मजहब को खत्म किया जाय । तो जनाबेवाला मुल्क का हर रहने वाला बराबर है । उसको बराबरी का दर्जा हमारे कांस्ट्यूशन में मिला हुआ है लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वह दर्जा वाकई में मिला है । यह चीज भाई राकेश अगर वाकई में चाहते हैं तो जो हमारी 30 सालों से हालत चली आ रही है उसको बदलना पड़ेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आगे भी महत्वपूर्ण संकल्प हैं कुछ ऐसा सिलसिला बनाया जाय जिससे आगे के संकल्प आ जायं ।

*डाक्टर मोअज्जिज अली बेग (जिला अलीगढ़)--

अधिष्ठाता महोदय, डाक्टर राकेश जी ने जो विषय उठाया है मैं यह समझता हूं कि एक दृष्टि से वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक है । इस गम्भीर प्रश्न पर पूरी तरह से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता । इसलिये यह आवश्यकता है कि, हालांकि समय नहीं है कि इस पर इन तमाम दृष्टियों से गंभीरता से विचार किया जाय । मेरी जानकारी में जितने देशों के अन्दर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी मशीनी इंकलाब आया वहां रुरल और अरबन समाज के अन्दर महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ-साथ एक और चीज भी आयी यानी 'संघर्ष' । यह संघर्ष उस सोसायटी के दरम्यान आया जिसकी रवायतें कंट्राडिक्शन के ऊपर हैं और उस उभरते हुये समाज के अन्दर यह संघर्ष आया जिसकी बुनियाद टेक्नालाजी पर हुयी । इसके साथ-साथ हमारे समाज में जहां इंडस्ट्रियल रेव्योल्यूशन आया वहां उसके साथ अलग-अलग चीजों में अलग-अलग संस्थायें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पैदा हुयीं। हिंदुस्तान के अन्दर इस जमतों इन्कलाब के सा-साथ जो केन्द्रों का इंकबाल आया बल्यूज की क्रीसिस आयी उसका यह रूप बन चुका है कि हम ज्यादातर जो बात करते हैं। जिनका सम्बन्ध अपनी संस्कृति और ट्रेडीशन से है। हमारी बुद्धि का एक हिस्सा वह है जिसको थ्योटिकल विजडम कहते हैं और कुछ बातें उन दबावों से करते हैं जो परिवर्तन के माध्यम से हम तक आ रही हैं। दुर्भाग्य यह है कि इस प्रेक्टिकल विजडम और थ्योरिटिकल विजडम के बीच एक खाई है जिसमें हम यह न सोच सके कि शिक्षा कैसे इस खाई को पाट सकती है। जिन देशों में यह खाई आयी वहां शिक्षा के माध्यम से इसको पाटा और उन्होंने कोशिश किया कि जिन्दगी में जो परिवर्तन की समस्याय आ रही है उनका साथ ही साथ समाधान होता चले। यहां भी मैं समझता हूं कि इसी तरह संभव है। यदि इस खाई को पाटने की कोशिश करें तो संभव होगा कि जो समस्यायें तेजी के साथ आ रही हैं उनका भी समाधान साथ ही साथ कर सकें। इसलिये जो प्रस्ताव डा० चतुर्वेदी जी ने रखा है मैं समझता हूं इस दृष्टि से उस पर विचार करने की आवश्यकता है और संस्कृत में यह बात मौजूद है कि ऐसा होना चाहिये और ऐसा होना चाहिये कि इंसान-इंसान के बीच में दरार न रहे, एक इंसान दूसरे इंसान को इक्सप्लाइट न कर सके, यह बात ट्रेडीशन में है। तो जब ऐसा है तो क्या कारण है कि इस देश के साथ, टेक्नालोजी के साथ, जो परिवर्तन हो रहा है वह शहरी जिन्दगी में न हो। अंत में मैं समझता हूं कि आपको यह विचार करना होगा कि शिक्षा में किस तरह का ऐसा परिवर्तन लायें जिससे हम वह रास्ता निकाल सकें जिसकी कल्पना हम इस समय अल्फाज में करते हैं। शायद यह शिक्षा से संभव हो, इसलिये यह विचार करने का प्रश्न है। धन्यवाद।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, जिसमें यह विचार हो रहा है उस शब्दावली के भ्रमजाल में फंसकर हमारे मित्र चतुर्वेदी जी ने जो यह संकल्प रखा है जिसमें इस समय सदन में चर्चा हो रही है। उस संबंध में मान्यवर, मुझे कहना है कि काश चतुर्वेदी जी का आशय भी वही होता जो शब्दों में भ्रमजाल रचा है, तो मेरा जैसा आदमी उनको बधाई देता।

मान्यवर, संविधान की भी कई जगह दोहाई चतुर्वेदी जी ने दी। लेकिन संविधान के निर्माताओं का क्या आशय रहा था किस मार्ग या कास्ट को कुछ सुविधायें देने में ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्वेदी जी उन्हें बरदाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, काफी शब्द स्तेमाल किये किन्तु या तो उन्होंने जानबूझकर या इतिफाक से एक शब्द उन्होंने स्तेमाल नहीं किया है वह अवसर की समानता आप आर्थिक समानता की दोहाई देते हैं, नौकरियों की दोहाई देते हैं, आरक्षण का विरोध भी करते हैं, लेकिन कहीं यह जिक्र नहीं किया कि अवसर की समानता मिलनी चाहिये। इस देश में जो भी छोटे बड़े का बंटवारा हुआ, वर्ग बना वह चाहे आर्थिक आधार पर बना हो या सामाजिक आधार पर, उनका एक मात्र कारण है कि इस देश के नागरिकों को अवसर की समानता नहीं मिली। अगर अवसर की समानता मिली होती तो समाज का बटवारा भिन्न-भिन्न वर्गों में न होता। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की रचना की थी तो जहां हमने देखा कि समाज में असमानता का आधार सामाजिक है, उन्होंने शिड्यूल तैयार किया जिसमें शिड्यूल कास्ट और अनुसूचित जाति शामिल की। संविधान निर्माताओं ने शब्द प्रयोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीराम]

किया जाति शिड्यूल कास्ट–कास्ट का आधार हमेशा सामाजिक होता है। शिड्यूल कास्ट जिस समय तैयार किया गया उसमें वह जातियां शामिल की गयीं जो सामाजिक दृष्टि से पीड़ित थीं और अनटचेबिलिटी से पीड़ित थीं। इसी तरह से आज जहां विशेष सुविधाओं की बात की तो संविधान निर्माताओं ने एक शब्द प्रयोग किया है 'क्लास', जिसका मतलब वर्ग होता है। वर्ग का आधार हमेशा आर्थिक होगा। मैं चतुर्वेदी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप तब शायद बच्चे रहे होंगे और मैं भी बच्चा रहा हूंगा, इस देश में तूफान आ गया था जब भीम राव अम्बेदकर जी हिन्दू कोड बिल लाये थे। हिन्दू कोड बिल और हिन्दू मेरिज ऐक्ट जैसे बिल इस देश में पारित किये गये। अगर इनकी बात को मान लिया जाए तो इस देश के जितन वीकर सेक्शन के लोग है और जितने दूसरे लोग हैं, उनको खत्म करना होगा। बच्चों को सुविधायें देने वाले महिलाओं को प्रोटेक्शन देने वाले जितने कानून हैं, उनको समाप्त करना होगा। इसके अलावा जितने वीकर सेक्शंस से संबंधित लोग हैं वे समाप्त करने होंगे। यह सही है कि मानव मानवता के बराबर है लेकिन कम से कम इस देश का मनुष्य तो पीरियाडिकल स्ट्रक्चर आफ सोसायटी की रचना करता है और कभी उस शंकु को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें बाटम में बैठे हुए लोगों को सहारा देना होगा। अगर मनुष्य के शरीर में कोई अंग कमजोर हो जाता है तो पुरानी कहावत है कि टूटी हुई बाजू को गले से लगाना पड़ता है। तभी उस बाजू का कोई इलाज हो पाता है और वह आगे चलकर हमारा साथ दे पाता है।

आज अगर इस देश में समानता लानी है तो जिस तरह टूटे बाजू को प्यार से गले से लगाया जाता है उसी प्रकार हमें वीकर सेक्शस, महिलाओं, बच्चों और शोषितों को सहारा देना होगा। आज लड़ाई हिन्दू–मुसलमान, सवर्ण–शिड्यूल कास्ट की नहीं है बल्कि लड़ाई शोषित और शोषक की है। एक तरफ जालिम है और एक तरफ मजलूम है और जब तक जालिम को नहीं खत्म किया जायगा शोषक को जब तक खत्म नहीं किया जायगा शोषित को अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं तो यह चाहता था कि चतुर्वेदी जी इसमें रखते कि एक समान समाज की रचना करना वह चाहते हैं। उनको फिर यह कहना चाहिये था कि जो लोग इस धरती के धन का उपयोग कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं उनके लिये ला आफ स्टेशनरी बनाया जाय, उनको वहां रोक दिया जाय और जो पिछड़ गये हैं उनके लिये ला आफ मोशनरी बना दिया जाय और जब तक दोनों में समानता न आ जाय तब तक उनको आगे बढ़ने न दिया जाय। जब समानता आ जाय तो सारे आरक्षण खत्म कर दिये जायं। जब तक कोई कमजोर है, कोई पिछड़ा हुआ है और वह आगे की लाइन म नहीं आ जाता तब तक उसे आरक्षण देना होगा वर्ना समानता समाज में नहीं आ सकती।

श्री राम आसरे वर्मा––

इस संकल्प पर अब काफी चर्चा हो चुकी है और सभी पक्ष के विचार आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति म मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संकल्प पर अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)––

हम लोगों को भी अभी कुछ कहना है। जो पक्षधर थे उनके भाषण तो हो गये लेकिन जो इसकी मुखालिफत करने वाले हैं उनके भाषण नहीं हुए हैं। इसलिये अभी इस पर कुछ समय और दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अभी कुछ समय इसमें और दिया जायगा ।

*श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

माननीय चतुर्वेदी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । कुछ सदस्यों के भाषण सुनने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे विधायक महानुभाव ने इस संकल्प को पढ़ा नहीं, देखा नहीं या पढ़ा और देखा है तो उनकी समझ में संकल्प आया नहीं क्योंकि वह विषयान्तर बोल ह । जैसे हमारे भगवती जी के बारे में मैं यह कह सकता हूं शराफत को सरे आफत दुवा को बद दुवा समझें । मेरे यार भगवती जी समझे तो क्या समझे यानी कुछ नहीं समझे इस प्रकार का प्रतिपादन इस पर कुछ सदस्यों ने किया है । कौन ऐसा विधायक है, कौन इस देश तथा प्रदेश में ऐसा व्यक्ति ह जो यश नहीं चाहेंगा कि देश के अन्दर समता हो, नाबराबरी कम हो । कोई धर्म, मिल्लत या राजनीतिक दल हो सब यह चाहते ह कि समान कार्य के लिये समान वेतन हो, मानवाधिकारों का प्रयोग हो, उनको कुंठित किया जाय, खंडित न किया जाय । पिछले दिनों इमरजेंसी में जब मानवाधिकारों का खंडन किया गया, तो उसके लिये हमने लड़ाइयां लड़ी और मानवाधिकार हम को वापस मिले । कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह नहीं चाहता कि क्लर्क चाहें जिला परिषद् का हो, नगरपालिका का हो, राज्य सरकार का हो या केन्द्रीय सरकार का हो उसका वेतन समान न हो । कौन यह नहीं चाहता कि राज्य सरकार का चपरासी हो या केन्द्र सरकार का उसे समान वेतन न मिले । लेकिन जिन लोगों ने संकल्प का विरोध किया है उन्होंने संकल्प को समझा नहीं ।

दूसरी ओर यह बात कही जाती है कि संकल्प में आरक्षण का विरोध किया गया ह लेकिन ऐसी बात नहीं है । इसके पूर्व भी राकेश जी ने जाति प्रथा उन्मूलन विधेयक रखा था । उसमें भी उन्होंने कहीं आरक्षण का विरोध नहीं किया था ।

जो व्यक्ति धन सम्पन्न हैं, जिसे सरकारी सुविधा प्राप्त हुई हैं, सम्पन्न हो गया ह उसे आरक्षण की सुविधा नही मिलनी चाहिए । बिना जाति, बिना धर्म, बिना मजहब के हर उस आदमी को जो गरीब ह, जिसको दो जून पेट भर कर रोटी नहीं मिलतीं है, गरीबी के कारण दवा का मोहताज है, शिक्षा का मोहताज है, आरक्षण मिलना चाहिए भले ही बदकिस्मती से वह ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो या हरिजन के घर मे पैदा हुआ हो । एक तरफ तो यह कहते हैं कि जातिवाद नष्ट होना चाहिए । आधुनिक युग से, मध्य युग से राजा राम मोहन राय, देवेन्द्र नाथ ठाकुर, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और डा० अम्बेदकर जैसे लोगों ने जातिवाद का विरोध किया लेकिन वे इसलिए सफल नहीं हो सके क्योंकि जातिवाद के नाम पर हमारे मन में चोर था । उनके उपदेशों को सुनते थे तो तालियां बजाते थे लेकिन गली, मोहल्लों में आ कर जातिवाद का प्रचार करते थें । दुःख का घड़ा फूटा तो उस दिन जिस दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जाति को आधार मान कर संविधान में उसको स्थान दिया । इससे भी जातिवाद और मजबूत हुआ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुवर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज कुमार शर्मा--]

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि संस्कृति की बात कही जाती है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का परम्परा मानव की समानता के खिलाफ नहीं रही। हमारे तीर्थ हैं, मंदिर हैं, ये धर्म संस्कृति के मंदिर हैं। तीर्थों में, मंदिरों में जाने वाले लोगों की जाति, उप जाति नहीं पूछी जाती। हरिद्वार का जहां तक सम्बन्ध है हर की पैड़ी पर पवित्र गंगा में चाहें ब्राह्मण हो चाहे हरिजन ही सब एक स्थान पर स्नान करते हैं और पूजा करते हैं तथा गंगा जी की आराधना करते हैं।

इस प्रकार हमारे भाई गौरी शंकर जी जो एक एडवोकेट हैं, उम्र में मुझ से छोटे है परन्तु विद्वता में मुझसे ज्यादा हैं, उनका मैं सम्मान करता हू, उन्होंने अम्बेदकर साहब के बारे में कहा, मैं महाराष्ट्र दौरे में गया पिछले विधान सभा के चुनाव में 10-12 दिन वहाँ के गली-गली, नगर-नगर, डगर-डगर, घूमा। डा0 अम्बेदकर की मैं पहले भी श्रद्धा करता था और आज भी करता हूं। किसी नालायक ने उनकी आलोचना की हो मगर जितनी पूजा उनकी इस देश में होनी चाहिए थी उतनी पूजा इस देश में हुई। वह हमारे फेडरल कोर्ट के जस्टिश रहें, वह हमारे बड़ौदा स्टेट के प्रधान मंत्री रहें, भारत सरकार में विधि मंत्री रहें हैं, ऊंचे से ऊंचे पदों में रहें। उन्होंने देश की असली सेवा की। उनको ऊंचा दर्जा दिया। आलोचना तो भगवान की भी करते हैं, महात्मा गांधी की करते हैं। नालायक नासमझीवश आलोचना किया करते हैं।

इतना कह कर मैं राकेश जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जो डा0 राकेश चतुर्वेदी ने संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

मान्यवर, इस वैज्ञानिक युग में जब तक देश और प्रदेश में समानतावादी व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारे देश की पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति नहीं होगी। मान्वर, आपको ध्यान होगा कि हमारे देश की यह परम्परा प्राचीनकाल से चली आ रही है कि चाहें वह छोटा ही चाहे बड़ा हो हर मानव सुखी हो, चाहें वह जिस जगह रहें अच्छे ढंग से रहें, देश सेवा की भावना उसके मन में हो, एकता की भावना उसमें हो। देश तभी एक हो सकता है जब सब में एकता की भावना आ जायेगी। मान्यवर, महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक सब को देश की एकता के लिए प्रयास चला आया और एकता का ही फल है कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ और एकता ही के कारण हम आज जनता पार्टी बना सके और एक बहुत बड़े दुशमन को हम लोगों ने उखाड़ फेंका जब तक इस देश में समतावादी व्यवस्था नहीं होगी तब तक एकता नहीं हो सकती है।

मान्यवर, जब तक देश की सारी जनता को एकता के सूत्र में नहीं बांधेंगे तब तक हमारे देश की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित नहीं होगी। जो हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने वह आक्षेप लगाया है कि चतुर्वेदी ने शब्दों का आडम्बर करके दूसरी ओर खींच-तान की है वह मेरे ख्याल से निरर्थक है। उन्होंने एक शुद्ध भावना से समता की भावना से सदन में इस संकल्प को लाये हैं। जब हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश में एक छुटऊ का लड़का और पूंजीपति का लड़का एक ही स्कूल में एक ही टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ेगा तभी समता की व्यवस्था होगी। इसी लिए वे ऐसा संकल्प लाये हैं जो कि आज की परिस्थितियों में बहुत ही अवश्यक है। एक बात यह अवश्य है कि हमारे देश में प्रकृति ने समता को एक नहीं बनाया है। हमारे देश में जहां आमोद है वहां प्रमोद भी है, जहां विरोध है वहां समता भी है और जहां विषत है अमृत भी है। ये अलग-अलग व्यवस्थायें बनी है। यह हो सकता है कि जिस समतावादी प्रस्ताव को वे लाये हैं उनमें कहीं कुछ घातक भी हो सकता है लेकिन वह शुद्ध भावना से लाया गया है। इसका हम लोगों को हृदय से स्वागत करना चाहिए, समर्थम करना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस समतावादी भावना का समर्थन करें।

श्री अधिष्ठाता—

अब इस पर काफी विवाद हो चुका है। पक्ष में और विपक्ष में, दोनों में सदस्य बोल चुके हैं.....

(व्यवधान)

(श्री रेवती रमण रस्तोगी का नाम पुकारे जाने पर)

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

आप हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैं जा रहा हूं.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप तो बहुत देर से आये हैं। यह शोभनीय नहीं है।

(बाबा राम अधार यादव सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प आपके सामने प्रस्तुत है। वह साहित्य एवं अलंकार से परिपूर्ण जो शुद्ध भावना व्यक्त की गई है समान कार्य-समान वेतन, समान शिक्षा समान मानवाधिकार आदि उसको देखने से ऐसा लगता है कि इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए माननीय राकेश जी ने देवत्व से पूर्ण अवतार लेकर इस धरती पर पदार्पण किया है।

जले विष्णुः स्थले विष्णुः

विष्णुः पर्वत मस्तके,

ज्वाला माला कुले विष्णुः

सर्वं विष्णुम् मयम् जगत।

सारा जगत विष्णुमय है। आध्यात्म को दृष्टि से देखें। सारा जगत नारायणमय है, ब्रह्ममय है, खुदामय है, गाडमय है। हम सब एक हैं

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य धीरे बोलें ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

सब समान हों, आचार समान हो, विचार समान हों, सौंदर्भ समान हो । स्वरूप समान हो हमरे यहां क्या यह सब है और क्या यह सम्भव है ? आत्मा शुद्ध हो भावना शुद्ध हो तो एकात्मकता के दर्शन होते हैं । अनेकत्व में एकत्व की अनुभूति होती है । वाह्य रूप में पूर्व एकता असंभव है । महामानव पं० दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि जितके पैर बेवाइयों सें फटे हैं, नंगे हैं, घुटने तक फटे चीथड़े कपड़े पहने हैं, पेड़ों को छाया हो जिनका धर ह, ऐसे भूखे नंगे भारतवासी हमारे दरिद्र नारायण हैं । इनकी सेवा ही महान पूजा है । पहले इन्हें ऊपर उठाना पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका भाषण लिखा नहीं जा सकेगा । आप माइक पर बोलें और धीरे बोलें ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

मैं कह रहा था कि हम सब इसको दिल से चाहते हैं कि समानता आये और जो समाज में नीचे गिरे हुए हैं उनको आगे लाना होगा और उनमें समानता लानी होगी । इसमें जो

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीत हूए ।)

शब्दाडंवर है उसमें संशोधन होना चाहिये । समानता लगाने के लिए हमें एक आर्थिक सीमा बांधनी होगी कि कम से कम 5 सौ रुपए तक हम नीचे से सबको ऊपर ले आयें और उसको आधार बनायें फिर ऊपर वालों को घटायें । समाज में इस प्रकार समानता आये इसका सब समर्थन करेंगे । इसकी संकल्प की जो भावना है वह प्रशांसनीय है लेकिन जो शब्दाडंवर है उसको आप ठीक कर दें । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हू—हर शरीर उसी का मंदिर है, वही अणु अणु के अंदर है, वहीं हमारा नारायण हैं, वहीं हमारा परमात्मा है । वही सब में समान है ।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात चल रही है यह बहुत ही सामयिक है । आज जो त्रुटियां रह गई हैं उन पर शीघ्रता से उत्तर प्रदेश और देश की सरकार को विचार करना चाहिये और उन असमानताओं को दूर करना चाहिये, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिये थी । हमारे कुछ भाइयों ने सुझाव दिया कि यह संकल्प कुछ छोटा और संकीण दिखाई देता है लेकिन यह छोटा नहीं है अगर आपको और संकल्प लाना है तो बाद में लेआइय । आज हमारे देश और प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा वेतन भोगी समुदाय है जो कि सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं वह हमारे देश की गाड़ी खीच रहे हैं इसलिए इस पर विचार करना न्यायसंगत है । हमारा जोरदार समर्थन राकेश भाई के इस संकल्प पर है । असमानता हर तरह से दूर होनी चाहिये । हम सभी लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज देहातों में देखते हैं कि शिक्षा जगत में हमारे प्राईमरी स्कूल के बच्चों के लिए भवन नहीं हैं। नंगे पैर, चिथड़े पहने दावात लिए हुए वह स्कूल जाते हैं जो वहां अध्यापक पढ़ाने वाला होता है वह आराम से घर में खाना खा पीकर आता है और दूसरी तरफ यहां ऐसी शिक्षा मिल रही है जहां विद्यार्थियों को सारी सुविधायें उपलब्ध हैं मान्टेसरी स्कूल में जाते हैं जहां उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है अच्छी शिक्षा दी जाती है कितनी बड़ी असमानता है। इसे दूर करना जरूरी है।

जैसा सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में सुबह एक प्रश्न आया था सहकारी साधन समिति के सचिवों में वेतन में कितनी असमानता है। जो गांव-गांव जाते हैं और उनकी बहुत सी समस्यायें हैं उनकी एक भी समस्या नहीं सुनी गई। देवरिया जिले के कोई यादव हैं उन्होंने इस बात को आगे रखा तो उनसे कहा गया कि नेंता गिरी करते हो जिसका 14 महीने का वेतन बकाया है। उन्होंने कहा है कि वह कल आत्म दाह करने जा रहे हैं। तो आज यह समस्या हमारे देश और प्रदेश में है। समानता के नाम पर हम किसानों और मजदूरों का सम्मेलन करते हैं जिनके बच्चे चिथड़े पहन कर और नंगे पैर स्कूल जाते हैं हम भाषण करते हैं कि सबको समानता से देखना चाहिय तो उन बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिये इसलिए म आपसे कहूंगा कि हमारे देश में जो असमानता है उसको दूर करना जरूरी है। इस असमानता को दूर करने के लिए एक आरक्षण का कानून बनाया गया है। मैं कहता हूं कि इससे अमीर और गरीब एक नहीं होने वाले हैं। यह तो महज चुनाव का मैनिफैस्टो है चुनाव जीतने के नाम पर इसके मुकाबले में विरोध करने के लिए देश की तुनता तैयार ही गई है। देश में और प्रदेश में बहुत से चुनाव हुए उनमें बहुत से पर्चे आरक्षण के सम्बन्ध में वोट पाने के लिए बांटे गए, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। जौनपुर में उसका कोई असर नहीं पड़ा, इलाहाबाद में कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए आप ईमानदारी के साथ कोई कदम अमीरी-गरीबी को दूर करने के लिए उठावें, तो ज्यादा अच्छा होगा और इसी से समाज में आर्थिक विषमता मिटेगी और शोषण समाप्त होगा। इसलिए जितने कानून बनें, सच्चाई से और देश व प्रदेश की जनता के हित की दृष्टि से बनने चाहिए। इन शब्दों के साथ में राकेश जी के संकल्प का समर्थन करता हूं। इस पर समर्थन करने की आवश्यकता हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस पर बहस दूसरे दिन जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

अब नियम 51 की सूचनायें लेता हूं। नियम 51 के अन्तर्गत आज चार सूचनायें प्राप्त हुई थी। इनमें से मैंने सर्वश्री रामदत्त जोशी, कमलकिशन पाण्डे और रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना जो जनपद नैनीताल में पुलिस छात्र संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया था। किन्तु आज सवेरे जब मैं नियम 56 की सूचनाएं ले रहा था, उस समय नेता विरोधी दल के आग्रह पर इसी विषय पर मुख्य मन्त्री जी ने इसका जवाब दे दिया था और पूरक प्रश्न भी पूछ लिए गए थे। इसलिए यह समाप्त हुआ। शेष सूचनाएं--सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, पूरन चन्द्र व श्री नारायण--तीन सदस्यों की सूचनाएं भी इसी पर हैं। सर्वश्री गनेशी लाल चौधरी और लाल बाबू की सूचना भी इसी विषय पर है। एक सूचना श्री गुलाब सेहरा की जनपद सीतापुर में स्थित बहोरनपुर चौकी,

[श्री उपाध्यक्ष]

मछरेहटा थाना रामकोट के एक हरिजन को पुलिस द्वारा मारे जाने के सम्बन्ध में थी। इसको मैंने अस्वीकार किया है।

लखनऊ में परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

कल मैंने नियम 56 में हड़ताल के सम्बन्ध में दिया था। मैं परिवहन मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह उस पर वक्तव्य दे दें।

*परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, जो सूचना प्राप्त हुई है, उसमें जानकारी हुई है कि 4 तारीख को सायंकाल 6 बजे एक घटना हुई, जिसमें बस के चालक और परिचालक के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उसके कारण कुछ कर्मचारियों ने रोक टोक किया और हड़ताल पर चले गये, और कल शाम को सारा मामला तय हुआ और आज सुबह साढ़े 6 बजे से बसों का संचालन नियमित रूप से चालू हो गया है। लखनऊ में जहां प्रातः साढ़े पांच बजे से संचालन शुरू होता है, आज साढ़े 6 बजे शुरू हुआ है और अब बस चलने में कहीं भी कोई व्यवधान नहीं है। सीतापुर डिपो से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर साढ़े दस बजे से नियमित रूप से चलना शुरू हो गया है, कोई व्यवधान नहीं है।

बड़े दुख का विषय है कि बहुत थोड़े से कर्मचारियों की हठवादिता के कारण लखनऊ और सीतापुर के नागरिकों-यात्रियों को कष्ट हुआ। इसका मुझे खेद है और आशा करता हूं कि भविष्य में कर्मचारी इस प्रकार की हठवादिता का रुख नहीं अपनायेंगे, अन्यथा उनके साथ कड़ा व्यवहार किया जायेगा।

श्री देव कुमार—

मन्त्री जी ने बताया कि कर्मचारियों की हठवादिता से लोगों को कष्ट हुआ। किन्तु कर्मचारियों की मांग यह थी कि हमारे ऊपर जो हमले होते हैं, उनके सम्बन्ध मे हमारे लिए सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो। तो क्या ऐसे तत्वों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई है या ऐसी घटनायें भविष्य में न हों, उसकी वह कोई व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

इस सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखाई गई है और लोग गिरफ्तार किये गए। किसी स्थिति में कोई दुर्घटना हो जावे, तो किसी को अधिकार नहीं है कि वह हजारों आदमियों के आने-जाने के साधन को ठप कर दें।

प्रदेश में हथकरघा उद्योग पर तथा कथित भारी संकट आ जाने से बुनकर परिवारों में बेरोजगारी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

उप मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

हथकरघा उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है तथा इससे बड़े पैमाने पर बुनकरों को जो पिछड़ वर्ग के अन्तर्गत हैं, नियमित रोजगार के अवसर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यह उद्योग प्रदेश के ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्र में फैला हुआ है। सामाजिक न्याय के साथ ही आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षत्र के विकास एवं प्रगति को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

बुनकरों की सबसे बड़ी २ आवश्यकताओं में एक तो उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता है तथा दूसरी तैयार माल की नियमित निकासी की व्यवस्था है।

धागे के मूल्य कच्चे माल (रुई, स्टेपिल फाइबर एवं रेशम) की उपलब्धता एवं मूल्य तथा तैयार धागे की मांग से प्रभावित होते हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर इनके मूल्यों में स्थिरता नहीं रह पाती। 1 जुलाई, 1977 से अप्रैल, 1979 तक सूता धागे के मद के अन्तर्गत मोटे काउन्ट्स की कीमतें तो कम हुईं पर महान काउन्ट्स में कुछ वृद्धि हुई है। स्टेपुल धागों में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेशम के कतान के मूल्यों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु फिलिएचर धागे के मूल्यों में सामान्यतः 5 प्रतिशत की कमी हुई है।

बुनकरों को उचित मूल्य पर सूत उपलब्ध कराने हेतु इस राज्य में 8 नई कताई मिलें सार्वजनिक क्षत्र में (रायबरेली, मऊनाथ भंजन, अकबरपुर, बाराबंकी, झांसी, मेरठ, कांशीपुर, संडीला) तथा एक नई मिल सहकारी क्षेत्र में (मगहर जिला बस्ती) स्थापित की गई है। सहकारी क्षत्र में एक और नई मिल नगीना जिला बिजनौर में लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में एक मिल इटावा में और एक बुलन्दशहर में पहले से ही कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्येक कताई मिल में 25,000 तकुवे लगे हैं और प्रत्येक में 12,500 अतिरिक्त तकुये अर्थात कुल एक लाख अतिरिक्त तकुये लगाने की योजना बनाई गई है जिसके कार्यान्वयन से लगभग 166 लाख किलोग्राम अतिरिक्त सूती धागे का उत्पादन प्रति वर्ष होने लगेगा।

इस राज्य में बुनकरों के लिए स्टेपुल फाइबर सूत की लगभग 10 हजार बेल्स की प्रति माह आवश्यकता है, जिसमें से इस राज्य में स्थित स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी (जो इस समय नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के प्रबंधाधीन हैं) में औसत 3,800 बेल्स का उत्पादन प्रति माह होता है। इस प्रकार हथकरघे तथा शक्तिचालित करघों के कच्चे माल की आवश्यकता की आपूर्ति अधिकतर प्रदेश के बाहर स्थित मिलों से होती है। इन बाहरी मिलों द्वारा समय-समय पर स्टेपुल सूत की कृत्रिम तरीके से कमी की स्थिति उत्पादन करके स्टेपुल धागे के मूल्यों में वृद्धि कर दी जाती है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य कताई मिल, अकबरपुर में, जहां तक संभव हो, सूती धागे के स्थान पर स्टेपुल धागे का उत्पादन किया जाये। देश में निर्मित स्टेपुल फाइबर की कमी के कारण इस मिल के लिए इस कच्चे माल की अभी तक आपूर्ति नहीं हो सकी है। राज्य सरकार द्वारा इस मिल को 6 हजार टन देशी निर्मित स्टेपुल फाइबर प्रति वर्ष उपलब्ध कराने हेतु कुछ समय पूर्व उद्योग मन्त्री, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। यदि इस कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाती है तो इस मिल में स्टेपुल सूत का उत्पादन करना संभव हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य वस्त्र निगम द्वारा एक इण्टीग्रेटेड रेयान ग्रेड पल्प एवं स्टेपुल फाइबर यूनिट की स्थापना की संभावनाओं पर भी बिचार किया जा रहा है।

[श्री राम नरेश यादव—]

यह राज्य अपने "रा सिल्क" की आवश्यकता के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर है। राज्य हथकरघा निगम द्वारा 7 जिलों (नैनीताल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती एवं गोरखपुर) में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से सघन रेशम विकास परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 87·42 लाख रुपया प्रथम दो वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना के कार्यान्वयन से सातवें वर्ष म रेशम कोया उत्पादन 15·6 लाख किलो ग्राम होने लगेगा जिससे 1·56 लाख किलोग्राम "रा सिल्क" उत्पादित होगा।

राज्य वस्त्र निगम तथा उसकी सहायक कम्पनी, यू०पी० स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नम्बर 1), द्वारा अपनी मिलों में उत्पादित सूती धागे को बुनकरों को "एक्स मिल रेट" पर उपलब्ध कराने हेतु मिल के "गेट" पर "रिटेल डिपो" खोलने की योजना बनाई गई है। रायबरेली और झांसी, जहां बुनकरों की संख्या कम है, को छोड़कर अन्य छः स्थानों (संडीला, मेरठ, काशीपुर, अकबरपुर, बाराबंकी और मऊनाथ भंजन) में एक-एक सेल डिपो खोले जाने हैं। संडीला तथा मेरठ में मई, 1979 में सेल डिपो खुल गये हैं। अकबरपुर, बाराबंकी और मऊनाथ भंजन में इस माह में और काशीपुर में जुलाई, 1979 में सेल डिपो खुल जाने की आशा है।

राज्य हथकरघा निगम विभिन्न जनपदों में स्थापित अपने 61 सूत वितरण केन्द्रों से बुनकरों को सूत उपलब्ध करा रहा है। यूपिका द्वारा भी अपने वितरण केन्द्रों से बुनकरों को सूत उपलब्ध कराया जा रहा है। निगम तथा यूपिका ने वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में क्रमशः 175·04 लाख रुपया तथा 219·16 लाख रुपये के मूल्य का कच्चा माल बुनकरों को उपलब्ध कराया।

सहकारी कताई मिल, इटावा द्वारा भी इटावा में एक विक्रय केन्द्र खोलकर बुनकरों को सूत उपलब्ध कराया जा रहा है। मिल ने एक विक्रय केन्द्र फर्रुखाबाद में भी स्थापित किया है।

बुनकरों को अधिक मूल्य पर स्थानीय रूप से रेशमी धागा उपलब्ध कराने हेतु वाराणसी में एक विक्रय केन्द्र खोला गया है जिसके माध्यम से वर्ष 1977-78 तथा वर्ष 1978-79 (माह फरवरी तक) क्रमशः 2·70 लाख रुपया एवं 4·72 लाख के मूल्य का रेशमी धागा उपलब्ध कराया गया।

कुछ समय से कपास के दामों में कमी हो जाने के बावजूद भी सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि हो रही थी। उद्योग मन्त्री, भारत सरकार के सुझाव पर देश के कपड़ा मिल मालिकों ने स्वेच्छा से 59 नम्बर तक सूती धागे के मूल्य घटाकर अक्टूबर, 1978 के स्तर पर मूल्य लाने की सहमति दे दी है। उन्होंने 60 नम्बर से लेकर 89 नम्बर तक के सूती धागों के मूल्यों में वर्ष 1979 के इनवायसों में जितना मूल्य लगाया जाता था उसमें 5 प्रतिशत कमी करना भी स्वीकार कर लिया है।

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर, 1978 से फरवरी, 1979 तक की अवधि में स्टेपुल फाइवर के मूल्यों में 14 % वृद्धि हुई है जबकि उक्त अवधि में धागे के मूल्य में कुल 7 से 8 % वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा भारत

सरकार से अनुरोध किया गया है कि स्टेपुल धागे के बढ़ते हुए दामों को कम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करें ।

जनवरी, 1979 में शासन की जानकारी में यह बात लाई गई कि 24, 30 और 40 नम्बरों का लच्छी धागा कम उत्पादित हो रहा है । इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर 11 जनवरी, 1979 को एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राज्य वस्त्र निगम तथा उसकी सहायक कम्पनी के प्रबंधाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कताई मिलों में 24, 30 और 40 नम्बरों का लच्छी धागा कुल लच्छी धागे के उत्पादन का 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक बनाया जाय । निगम द्वारा उक्त निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है ।

हथकरघा क्षेत्र के अन्तर्गत बढ़ते हुये उत्पादन को अधिकाधिक संस्थागत माध्यमों से बेचने के कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर प्रमुख स्थानों पर बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गयी हैं । इस समय कुल 67 बिक्री केन्द्र राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर कार्यरत हैं । इनमें से 46 केन्द्र राज्य हथ-करघा निगम द्वारा तथा 21 यूपिका द्वारा संचालित किए जा रहे हैं । वर्ष 1977-78 में बिक्री केन्द्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा 642.76 लाख रुपये के मूल्य के हथकरघा वस्त्रों की बिक्री की गई । बर्ष 1978-79 में यह बिक्री बढ़कर 15.42 करोड़ रुपया हो गयी ।

वर्ष 1978-79 के अन्त में दुबई में एक क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें राज्य हथकरघा निगम द्वारा भी भाग लिया गया था । इस सम्मेलन में 20 हजार रु0 के मूल्य के हथकरघा वस्त्र नमूने के तौर पर बेचे गये थे । इस सम्मेलन में वाराणसी की जरी एवं सिल्क साड़ियों के नमूने देखे गए थे और आशा हैं कि उनके निर्यात का अच्छे आर्डर मिल सकेंगे जिससे बुनकरों के तैयार माल को आकर्षक मूल्य पर निकासी में सहायता मिलेगी ।

हथकरघा बुनकर समितियों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए 5 और 10 प्रतिशत की सामान्य रिबेट योजनायें तथा 20 प्रतिशत की विशेष रिबेट योजना कार्यान्वित की जा रही है । वर्ष 1978-79 में पहली बार 20 प्रतिशत विशेष रिबेट योजना के अन्तर्गत रेशमी वस्त्रों की बिक्री पर भी रिबेट दिया गया । इससे सिल्क की बिक्री बढ़ेगी ।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1978-79 में गोरखपुर, मेरठ, जबलपुर और पटना में हथकरघा निदेशालय द्वारा प्रर्दशनियां आयोजित की गई थी जिनमें 1.51 करोड़ रुपये के हथकरघा वस्त्रों की बिक्री हुई ।

बुनकरों को 4 बुनकर बाहुल्य क्षेत्र (इटावा, नहटौर, गोरखपुर एवं मेरठ) में भंडार गृहों की सुविधा उपलब्ध करायी गई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनकर अपने माल को मंदी की अवधि में इन भंडार गृहो में रख सकते हैं और अपने उत्पादन का 75 प्रतिशत तक एडवांस प्राप्त कर सकते हैं । वह सुविधा वाराणसी के सिल्क बुनकरों को भी उपलब्ध कराई जा रही हे । इन 4 भंडार गृहों में बर्ष 1978-79 में 122.29 लाख रु0 मूल्य के हथकरघा वस्त्र बुनकरों द्वारा जमा किए गए थे और उन्हें 85.60 लाख रु0 उसके विपक्ष में एडवांस किया गया था ।

रिजर्व बैंक योजना के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी के रूप में वर्ष 1977-78 में 713 बुनकर सहकारी समितियों को 170.03 लाख रु0 एवं वर्ष 1978-79

[श्री राम नरेश यादव--]

में 885 समितियों को 217.56 लाख रु0 की धनराशि आर0 बी0 आई0 गारन्टी के रूप में जारी की गयी ।

बुनकर सहकारी समितियों के आर्थिक ढ़ाचे को सुदृढ़ बनाने हेतु हिस्सा पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1977-78 में 412 सहकारी समितियों को 40.127 लाख रुपया तथा वर्ष 1978-79 में 608 समितियों को 63.35 लाख रु0 स्वीकृत किया गया ।

एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत अब घरेलू एवं कुटीर उद्योगों को भी सहायता पहुंचाने का प्राविधान किया गया है । यह सहायता बुनकरों को भी उपलब्ध होगी । उन्हें बैंक से अधिकतम 5 हजार रु0 ऋण हथकरघा उद्योग स्थापित करने हेतु मिल सकता है । इस ऋण में अधिकतम 1,500 रूपया अनुदान होगा जो ऋण का 33/1/3 प्रतिशत होगा

यह आरोप सर्वथा निराधार है कि बुनकरों की स्थिति में सुधार लाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कोई योजना नहीं है शासन द्वारा गरीबी, बेकारी एवं आय विभिन्नता के निदान हेतु जो प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं, उनमें विकेन्द्रित हथकरघा उद्योग के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है उपरोक्त नीति के अनुपालन में हथकरघा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्धि एवं गुणात्मक सुधार तथा बुनकरों को पूर्ण कालिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं और इनके क्रियान्वयन से अपेक्षाकृत सुधार भी परिलक्षित होने लग गये हैं हथकरघा वस्त्र के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ वर्तमान मांग पर आधारित नवीन एवं परिष्कृत वस्तुओं के उत्पादन का कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है, फलस्वरूप जनता में हथकरघा वस्त्रों की लोकप्रियता बढ़ रही है तथा उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षाकृत अधिक हथकरघा वस्त्रों का उपयोग किया जाने लगा है यही नहीं बुनकर समुदाय से हथकरघा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में योगदान प्राप्त हो रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में बुनाई कार्य को वर्तमान सामाजिक, आर्थिक परिपेक्ष्य में एक गरीबी का प्रतीक न मानकर लाभप्रद स्वावलम्बी व्यवसाय के रूप में माना जा सकेगा

बुनकरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा उन्हें लगातार काम दिलाने के उद्देश्य से जनता वस्त्र उत्पादन का कार्य बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया गया है इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन से प्रदेश ने जनता वस्त्र उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय रूप से उत्पादन एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोरखपुर-बस्ती, बिजनौर, मऊ तथा मेरठ में हथकरघा सघन विकास परियोजनायें प्रारम्भ की गयी हैं बुनकर सहकारी समितियो के सदस्यों को करघो के आधुनिकीकरण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित वस्त्रों के स्तर को ऊंचा करने हेतु नवीन डिजाइनो, पक्के रंगों तथा प्रोसेसिंग की सुविधाय उपलब्ध कराई जा रही हैं

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार बुनकरों की समस्या को समाधान करने हेतु सतत प्रयास कर रही है और उन्हें अधिकाधिक सुविधायें प्रदान कर रही है ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में इस माननीय सदन में उद्योग विभाग के बजट के दौरान काफी चर्चा हुई थी और नियम 51 की सूचना हमने उस वक्त दी थी जब विधान सभा के सामने हथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों ने अनशन शुरू कर दिया और हजारों की तादाद में यहां आकर पड़ गए थे वैसे माननीय उप-मुख्य मंत्री ने बहुत विस्तृत वक्तव्य दिया है, बहुत सी चीजों का उल्लेख किया है लेकिन इस वक्तव्य में उल्लिखित समाधानों का इतने बड़े वर्ग का, जो कि 50 लाख के लगभग हैं और जो देश और प्रदेश में फैले हुए हैं नहीं होने वाला है इसको देखते हुए, मैं महसूस करता हूं कि इसके व्यापक अध्ययन के लिए माननीय उप-मुख्य मंत्री जी एक समिति गठित कर दें तो मैं स्पष्ट रूप से माननीय उप-मुख्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि क्या वे तत्काल इन समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति गठित करने पर विचार करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

अभी तो किसी समिति के गठन करने का विचार नहीं है क्योंकि जो कदम उठाये जा सकते थे, सरकार उठा रही है और बुनकरों के सामने जो परेशानी है उसको पूरा करने के सारे आवश्यक कदम उठाये गए हैं ।

*श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

इस रिपोर्ट को पढ़ने से यह अन्दाज होता है कि माननीय उद्योग मन्त्री जो आजमगढ़ के सूत और करघा के बीच पले हैं उनको इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये नियम 51 में आप कोई प्रश्न या स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, भाषण करने का मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

यह 50 लाख बुनकरों का मामला है और जो यह रिपोर्ट आयी है उसको देख कर ऐसा लगता है कि जैसे जो रजवाड़े होते थे उनकी डोली कहार लोग ले जाया करते थे, उसी तरह यह डोली (रिपोर्ट) जो इनके अधिकारी इनको दे देते हैं उनको यह मंत्री लेकर चलने लगते हैं बुनकरों की जो असली रकम है वह तक वापस नहीं की गयी है एक कहानी इस रिपोर्ट में बता दी गयी है पर यह नहीं बताया गया है कि किन बातों को लेकर बुनकरों ने हड़ताल की थी सूत की, 30 और 40 नम्बर वाले, जब कमी थी तो उद्योग मंत्री जो पहले थे श्री राम प्रकाश जी, उन्होंने एक आस्वासन दिया था, उस पर अमल क्यों नहीं किया गया ? जो व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था वह व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, आतिफ साहब अभी थोड़े दिन पहले तक हैंडलूम बोर्ड के चेयरमेन रहे हैं और उनको सारी बातें मालूम हैं कि क्या क्या कदम उठाये गए हैं इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम नरेश यादव--]

तरह के आदेश दे दिए गए हैं कि जो रिबेट नहीं दिया गया है वह दे दिया जाये और उनके खाते में जमा कर दिया जाये ब्याज सहित । (व्यवधान)

श्री खान मोहम्मद आतिक खां--

कौन करेगा ऐसे ?

श्री रामनरेश यादव--

इस वक्तव्य में जो जो कदम उठाए गए हैं उनका विस्तार से उल्लेख किया गया है और उसकी चर्चा इसमें है ऐसा लगता है कि जानबूझ कर माननीय सदस्य ने इसे पढ़ा नहीं है गेट पर माल देने की व्यवस्था भी की गई है ऐसे कदम उठाये गये हैं जिससे असुविधा न हो ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

बुनकरों को जो पक्का माल है उसकी लूट न हो सके उसके लिए आपने कौन सा बुनियादी ठोस कदम उठाया है ? दूसरी बात आपने कुछ मिलों की चर्चा किय, इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि योजना कब बनी और जितनी भी धागे की मिलें हैं, इनकी योजना कब बनी, किसने बनाई और यह कब तक बन जायगी ? कच्चे माल में धागे की बढ़ोतरी न हो, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाया ? जो माल है आगे पदा करें, उसके लिए क्या गारंटी है जो सही दामों पर बिक जाय ?

श्री राम नरेश यादव--

यह जो माननीय सदस्य का अंतिम सवाल है, उसका तो बजट में भी प्रावि-धान हमने कर दिया है कि उनका जो माल बिक्री होता है, जो अपने प्रदेश में और दूसरे प्रदेश में भी बिक्री केन्द्र ऐसे खोले गए हैं, इस बात का ध्यान रखें कि उनका शोषण न हो सके ।

*श्री मसूदुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)--

एक रुपया पर मीटर जनता धोती, और जनता साड़ी में सरकार छूट देती है, जो प्रोडक्शन के लिए इस तरह के माल पर अनुमति दे दी गयी है और उस पर छूट 1 रु0 90 पैसे पर मीटर सरकार देने जा रही है, इससे जनता धोती, जनता साड़ी यानि हथकरघा, इस हाथ की बनी हुई चीजों पर बुरा असर पड़ रहा है, इसको बरबाद होने का खतरा है पता चला है कि केन्द्रीय सरकार 1 रु0 90 पैसे की छूट कुछ मिलों को दिया है इससे जनता धोती और जनता साड़ी के प्रोडक्शन और सेल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है क्या यह सही है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको रोकने का कोई इन्तजाम किया है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह माननीय सदश्य ने बहुत ही उचित प्रश्न किया है इनका ऐसा प्रश्न है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान बहुत पहले ही गया है, केन्द्रीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार ने जो निर्णय लिया, पिछली बार जो सब्सीडी दी जाती थी, एन० डी० सी० को 120 से 140 पसे के हिसाब से उनको मिलती थी और यहां पर बुनकरों को 1 ₹ 0 के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब एन० डी० सी० को 1.90 पैसे की घोषणा हुई है, जिससे कि हमारे बुनकरों को अब कोई कठिनाई नहीं होगी, जैसा कि इस वक्तव्य के पृष्ठ 6, पैरा 23 में इस बात का उल्लख कर दिया गया है उस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार से और उद्योग मंत्री से और वहां के वित्त मंत्री से बहुत विचार-विमर्श और पत्राचार हो रहा है ताकि यह कठिनाई कम से कम हल हो सके और यह जो बुनकरों के सामने जो समस्या जनता धोती, जनता साड़ी के सम्बन्ध में है, उसको हल करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी फिलहाल मई में एक प्रदर्शनी लगाई गयी थी माल बेचने के लिए, जिसमें क़रीब 20 हजार रुपये का माल बिका, जो उस प्रदर्शनी में कर्मचारी और अधिकारी गए, उनके ऊपर कितनी लागत लगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें प्रदर्शनी के बारे में तो नहीं है माननीय उप मुख्य मंत्री जी आपके पास सूचना है, यह ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, इसकी सूचना तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता ।

श्री नारायण दत तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, ये सारे जो प्रश्न हैं जो यह डिमांड, क्रडिट, सप्लाई और रा-मैटेरियल और मार्केटिंग, इस संबन्ध में सरकार की कई नीतियां, बुनकरों के कपड़े के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, सही नम्बर के बारे में, कई नीतिमां घोषित होती रही हैं, राज्य सरकार की नीतियां भी घोषित होती रही हैं, लेकिन जो बुनियादी ढ़ांचा है, सोसायटी का, क्रेडिट का, बैंकिंग का और जो डिमांड जिस प्रकार से क्रियेट की गयी है, उसी आधार पर सही सप्लाई का इसमें ताल-मेल बैठाना, यह बुनियादी सवाल है, क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी ऐसा प्रयास करेंगे कि जिससे यह जो ताल-मेल नहीं हो पा रहा है नीचे के स्तर पर, जहां पर प्रोडक्शन होता है, उनके लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो यह कहा प्रयास करने का और ताल मेल करने का, सचमुच में जो रिक्वायरमेंट है, हमारी उसके आधार पर जो फैक्ट्रियां बनीं, जो अभी बन रही ह, वह इतनी जो हमारी आवश्यकता है, उसको नहीं मीट कर पा रही है लेकिन इतना जरूर है कि जो माल है, वह बिक सके, मार्केटिंग हो सके और कैसा हम शो-रूम के जरिये से इस बात को कर सकें कि बुनकरों का शोषण न हो, उनके माल का खपत हो जाय और माल भी उन्हें उपलब्ध हो सके, इस बात को ध्यान में रख कर जो मैंने कहा है शुरू भी मैंने कर दिया है । अधिकारियों को बुला कर के इस बात को

[श्री राम नरेश यादव--]

देखेंगे कि उनका सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं दूसरा जितना माल मिल रहा है उसकी सही वितरण हो रही है और तीसरे मार्किटिंग की व्यवस्था हो उसमें कहीं गड़बड़ी न हो । इसके लिए मानिटरिंग की जा रही है ताकि सीमित साधनों के आधार पर कोई विशेष दिक्कत न आने पाये ।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी जो फैक्ट्रियां चल रही हैं गाजीपुर या पूर्वांचल के बुनकरों को अपनी मन्डी के जरिये से माल उपलब्ध कराते हैं या अहमदाबाद बम्बई या कानपुर से । सरकारी मन्डी दुकान खोलकर बुनकरों को सस्ता माल उपलब्ध करायेंगे दूसरे जिस कारण बुनकरों को कठिनाई और गरीबी का सामना करना पड़ता है तामिलनाडु की तरफ से अपने प्रदेश में भी बुनकरों के बनें हुए माल की गारन्टी लेते हैं स्वयं के क्रय केन्द्रों की तरफ से खरीदवायेंगे इसकी गारन्टी देंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह 6 फैक्ट्रियां हैं उन पर मिल रेट पर सूत उपलब्ध हो गया है बिक्री के लिए सेन्टर्स खोले गए हैं, कारपोरेशन की तरफ से भी सेन्टर खोले गए हैं और 75% जो माल रखेंगे उनका 75 प्रतिशत दाम पहले ही दे दिया जायेगा । हम आगे बिस्तार करने का विचार कर रहे हैं और जो कठिनाई दिखाई पड़ती है वह सचमुच है और उसके लिए आवश्यकीय प्रयास किए जायेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

2 साल पहले जितने बुनकर सोसाइटीज थी, जो हथकरघे से माल तैयार करते थे, बेचते थे, उनकी जांच शुरू हो गयी है, तो जांच होने की वजह से उसमें से अधिकांश समितियां बन्द हो गई, तो अब उनकी स्थिति क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

कोई समिति बन्द नहीं हुई केवल जो समितियां प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए गयी थीं कुछ उनके द्वारा अनियमितता की बात सरकार के सामने आयी जिसके लिए और इस बात को ध्यान में रखकर संदेह और आशंका समय-समय पर उत्पन्न होती रही है जिसके लिए जो रिबेट का पैसा मिलता है उसका दुरुपयोग होता रहा है, यह स्थिति सामने न आने पाये इसलिए जांच बठायी गयी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि इन समितियों ने काम करना बन्द कर दिया हो यह केवल रिबेट का मामला है ।

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बड़े व्यापारी से जो सूत खरीदते हैं, तो उनको शोषण से मुक्त करने के लिए बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा जो क्रय-केन्द्रों पर खरीदते हैं तो क्या कर्ज के रूप में सूत दिये जायें और बदले में कपड़ा वह दें, ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे ताकि बुनकर शोषण से मुक्त हो सकें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह तो हमने अपने वक्तव्य के पैरा 3 में ही अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि यह व्यवस्था की जा रही है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। इस सिलसिले में कठिनाई पूरी पूरी समाप्त हो जाये, इसकी तरफ सरकार ध्यान दे रही है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि बाराबंकी, फैजाबाद या प्रदेश की जो अन्य सूती मिलें हैं उनमें ऐसा सूत तैयार होता है जो कि जिले के बुनकर इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनको बाहर से सूत लेना पड़ता है। तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ऐसा सूत तैयार करवायें जिसे उस जिले के बुनकर इस्तेमाल कर सकें ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह सही है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का मतलब फाइवर स्टेपल से होगा। उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में वैसे दो बड़ी-बड़ी मिलें हैं। एक तो ग्वालियर में है, यह मध्य प्रदेश में है। दूसरी साउथ इन्डियन टेक्सटाइल मिल जो बाम्बे में हैं। यह दोनों मिलें इतना फाइवर नहीं बना पातीं जो सप्लाई किया जा सके, अकबरपुर में। यह समस्या आई कि फाइवर नहीं मिल पाता है। इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता कि इस प्रदेश की अकबरपुर मिल म देने के लिए पर्याप्त हो सके। इसलिय यह फैसला किया गया कि सूती धागे ही वहां पर बनें। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन नैनी में है जहां पर कि 10 हजार बेल्स की प्रतिमाह आवश्यकता है। हमने अपन पैरा दो में इसको स्पष्ट रूप से दे दिया है। जो आपका टेक्सटाइल कारपोरेशन है इसमें 3,800 बेल्स का उत्पादन प्रतिमाह होता है। अभी इतना धागा नहीं बना पाते कि वह धागा जिस बात को लेकर मिल की स्थापना हुई है, उसको पूरा किया जा सके। जब तक वह नहीं होता, तब तक धागे बन रहे हैं। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मैं उप मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारी जो आठों मिलें हैं उनमें मुख्तलिफ कर्मचारियों का वेतन है जिसकी वजह से मिल बन्द रहती है, उत्पादन कम होता है, सूत कम पैदा हो पाता है। क्या यह सही है कि सरकार सारी मिलों के कर्मचारियों को एक ही वेतन-मान देने के लिए विचार कर रही है।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, इस तरह का तो कोई मामला सामने नहीं है। न तो अभी यह करने पर कोई विचार है। अभी तक न सदस्यों न ही कोई सुझाव दिया। इसमें जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के वेतन के बारे में कोई बात हो रही है ऐसी बात नहीं है। जगह-जगह जैसी मिले हैं उस आधार पर पेमेंट और वेतन है। अगर आप सुझाव देंगे कि कठिनाई आ रही ह तो देख लेंगे।

श्री देव कुमार--

तीन चीजें पूंछना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने वक्तव्य में कहा कि जो सरकारी मिलें हैं उनमें झांसी को छोड़कर बाकी हर में सेल डिपो होंगे। चूंकि झांसी डिवीजन में बुनकरों की संख्या कम है इसलिये झांसी में सेल डिपो नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जिले में और शहर में जो बुनकर रहते हैं उनकी संख्या काफी है, झांसी को भी लिस्ट में जोड़ लें। वहां जो खरीद होगी वह होगी। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार के आने के पहले यह बड़ी चर्चा थी कि सूत बनाने के लिये कोई कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाने जा रहे हैं तो इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई बात चल रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, मैंने पैरा 7 में इस सम्बन्ध में बता दिया है कि दो स्थानों पर जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने भी की है, वहां पर बुनकरों की संख्या कम है इसलिए दो स्थानों पर अभी नहीं रखा गया है। वहां अगर इसकी कई बहुत कठिनाई आयेगी तो इसमें विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी जो वस्तु-स्थिति है वह केवल 6 मिलों के लिये है। जहां तक सोवियत यूनियन से मिल करके कारखाना लगाने का सवाल है यह मामला हमारे सामने या सरकार के सामने नहीं है।

जौनपुर जनपद में गश्त कर रहे दो कानिस्टेबिलों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-5-1979 को कानिस्टेबिल केशरी सिंह, कानिस्टेबिल विक्रमा दूबे, थाना मछली शहर जिला जौनपुर से राइफलों व कारतूसों सहित रात के गश्त के लिये रवाना किये गये। अगले दिन दिनांक 29-5-1979 को प्रातः 6-30 बजे ग्राम भिखारीपुर के चौकीदार राजबली ने थाना मछली शहर पर उक्त दोनों कानिस्टेबिलों को गोली लगने तथा उनकी लाश के ग्राम भिखारीपुर के निकट नहर की पटरी पर पड़ी होने की सूचना दी। इस सूचना पर अपराध धारा 302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। थाना मछली शहर से जिले के मुख्यालय पर वायरलैस द्वारा सूचना प्राप्त होते ही क्षेत्राधिकारी तत्काल मौके पर गये और तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे।

घटनास्थल थाना मछली शहर से करीब 9 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम, ग्राम भिखारी के निकट है। घटनास्थल पर कानिस्टेबिल केशरी सिंह का शव शारदा सहायक निर्माणाधीन नहर के उत्तरी पटरी पर पड़ा हुआ पाया गया। कानिस्टेबिल विक्रमा दूबे की लाश भी कानिस्टेबिल केशरी सिंह की लाश से लगभग बीस कदम की दूरी पर खेत की एक नाली पर पड़ी पायी गयी। शव के पास एक खोली कारतूस 12 बोर का और मार्च के चार सेल पड़े पाये गये। लाश के करीब 7 कदम की दूरी पर कानिस्टेबिल बिक्रमा दूबे की साइकिल जमीन पर गिरी पायी गयी। कानिस्टेबिल केशरी सिंह की साइकिल 35 कदम दूर नहर की पटरी पर पायी गयी तथा पास में ही तीन अन्य साइकिल भी पायी गयीं। एक कानिस्टेबिल के हाथ में घड़ी बंधी पायी गयी।

उक्त दोनों कानिस्टेबिलों को थाने से गश्त पर जाते समय दो गयी 303
का दो राइफलें व 20-20 कारतूस गायब पाये गये। अतः मुकदमा धारा 302/394 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किया गया तथा थानाध्यक्ष मछली शहर द्वारा तत्परता से विवेचना की जा रही है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, यह जो दो कांस्टेबिलों की हत्या हुयी है वह 29 की बात है आज 8 तारीख हो गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को क्या इस बात की जानकारी मिली है कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है और उनकी गिरफ्तारी के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, अभी तक कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आये जिनके आधार पर कहा जा सके कि इसके पीछे कौन लोग हैं।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, यह बड़ी जघन्य घटना है। जो इस वक्त वातावरण देश के अंदर है पुलिस कर्मचारियों के सम्बन्ध में है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके परिवारों को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है ? अगर नहीं दी गयी है, तो क्या सरकार आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, आर्थिक सहायता दी गयी है। 5 हजार रुपये की सहायता शासन की ओर से सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत 12 हजार रुपये, उत्तर प्रदेश असाधारण पेन्शन नियमावली 1961 के अन्तर्गत असाधारण पेंशन, जो मृत्यु के दिन आहरित वेतन तथा महंगाई भत्ते के बराबर है, यह सहायता दी गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, अब तो 12 हजार का 25 हजार कर दिया है आपने पुलिस वालों के लिए। तो आप 25 हजार दीजिए न।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि 12 हजार का 25 हजार कर दिया है।

श्री रमाशंकर कौशिक--

इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जांच कौन एजेंसी कर रही है ? अब तक 9 दिन हो गये, आज तक यह पता ही नहीं लगा, राइफल भी गायब हो गई। मारने वाले कौन हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य ने बयान को ध्यान से सुन लिया होता तो इनको पता चल जाता। इसकी विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है।

श्री देब कुमार--

मेरा निवेदन यह है कि यह घटना इतनी लोमहर्षक है, निश्चित रूप से इससे क्षेत्र में असंतोष होगा और 9 दिन बाद भी इस घटना का कोई क्लू नहीं मिला ? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके महत्व को देखते हुये कम से कम इसकी जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द करने पर विचार करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तत्परता के साथ जांच करने के आदेश दे दिये हैं और थानाध्यक्ष जांच कर रहे हैं। सी० आई० डी० जांच की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है।

लाल बहादुर शास्त्री जन प्रशासन संस्थान को मंसूरी से न हटाये जाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम 103 के अन्तर्गत लोकहित में यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन इस बात पर चिन्ता प्रकट करते हुये कि भारत सरकार लाल बहादुर शास्त्री जन-प्रशासन संस्थान (लाल बहादुर शास्त्री इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) को मंसूरी से हटाकर माउन्ट आबू, राजस्थान में स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, यह संस्तुति करता है कि केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय कि इस संस्थान को मंसूरी से किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरित न करें।" मान्यवर, इस संस्थान की स्थापना मंसूरी में 1959 में हुई थी और यह कोई पहली दफा नहीं है कि इस तरह का षड़यंत्र दिल्ली के स्तर से हुआ है इस संस्थान को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए, बल्कि यह तीसरी बार षड़यंत्र किया गया है। इसको स्थानान्तरण करते समय यह कहा जाता है कि मंसूरी ऐशो-आराम की जगह है और इसलिए इस एकेडमी को दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया जाए। मैं माननीय सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि मंसूरी केवल 3-4 महीने ही पर्यटकों के आकर्षक का केन्द्र रहता है, इसके बावजूद मसूरी के आसपास जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वे आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुये हैं, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मंसूरी से लगे हुए पांच जनजाति विकास खंड है, अगर यह जन प्रशासन संस्थान न होती तो निश्चित रूप से इस जनजाति क्षेत्र की ओर भारत सरकार और हमारी सरकार को ध्यान न गया होता और जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से उन्नति करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयत्न किये जा रहे हैं, वह प्रयत्न न होते। इस संस्थान में अब तक 5 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से खर्च किया जा चुका है और मुझे ताज्जुब होता है कि 5 करोड़ रुपया खर्च किये जाने के बाद भी क्यों इस संस्थान को मसूरी से माउन्ट आबू में, जो पर्यटकों के लिये 8 महीने आकर्षण का केन्द्र रहता है, वहां इसको स्थापित किया जा रहा है। 50 लाख रुपया वार्षिक बजट से यह संस्थान मसूरी में चलता है और मसूरी के जो गरीब, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, त्रितीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में करीब 300 लोगों को संस्थान में रोजगार मिलता है। अभी 136 कमरों के

एक होटल का निर्माण इस संस्थान में हो रहा है और इसके बावजूद भी इसको वहां से स्थानान्तरित करने की साजिश चल रही है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह केवल मसूरी का प्रश्न नहीं है, यह पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस संस्थान को दूसरे प्रदेश में स्थानान्तरित किया जाता है, जैसा कि प्रयास किया जा रहा है राजस्थान में स्थानान्तरित करने का तो पूरे प्रदेश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। मसूरी व देहरादून की जितनी संस्थायें हैं और जितने राजनैतिक कार्यकर्ता हैं उन सब में घोर असंतोष इसके कारण व्याप्त है। यदि यह संस्थान दूसरी जगह हस्तान्तरित किया गया तो वहां एक आन्दोलन जन-जन में हो सकता है।

मान्यवर, यदि इस संस्थान को अन्यत्र हस्तान्तरित किया गया तो मसूरी की आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, 1947 के बाद मसूरी की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हुई है। जिसके कारण मसूरी का आकर्षण कम हुआ है पिछले दो सालों से पर्यटन विकास हेतु डेढ़-पौने दो करोड़ रुपया जो वहां खर्च किया जा रहा है वह संस्थान को अन्यत्र ट्रान्सफर करने से बेकार हो जायेगा। इसलिये मेरा सदन के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से अनुरोध किया जाय कि इस संस्थान को वहां से हस्तांतरित न किया जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का हृदयतम समर्थन करता हूं। यह प्रश्न केवल मसूरी का क्या सारे उत्तर प्रदेश का है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इतने महत्वपूर्ण आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और अखिल भारतीय सेवाओं का एडमिनिस्ट्रेटिव अधिष्ठान है जिसको बहुत सोच विचार कर मंसूरी में स्थापित किया उसको यहां से हटा करके माउन्ट आबू ले जाया जाय यह किसी भी माने में, मैं समझता हूं प्रशासनिक जो शिक्षा है उसके हित में भी नहीं है। मसूरी में यह संस्थान इसलिए नहीं रखा गया था कि वह कोई सौन्दर्य का केन्द्र है बल्कि इस बात को सोचकर वहां रखा गया था, मैंने भी सोचा था और शासन ने भी सोचा था, कि इस प्रकार के संस्थान के लिए शांतिपूर्ण वातावरण चाहिये, कोलाहल से दूर वह हो और ऐसी जगह हो जो दिल्ली से भी दूर न हो क्योंकि जो आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और अखिल भारतीय सेवाओं के जो लोग हैं उनका सबसे अधिक सम्बन्ध दिल्ली से रहता है। इसके अलावा वह सबसे घनी आबादी वाला जो हिस्सा है उसके भी नजदीक हो ताकि मदानों और फील्ड में, पहाड़ों में क्या समस्यायें आती हैं उनका भी अध्ययन करने का मौका उन लोगों को मिल जाय। मसूरी, देहरादून ऐसी जगह पर है जहां से पंजाब, हरियाणा नजदीक है, उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा उससे नजदीक है और दिल्ली से 4-5 घंटे का रास्ता है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख आदि पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां अखिल भारतीय सेवाओं को काम करना पड़ता है, अरुणाचल से लेकर मिजोरम तक जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिनकी क्लाइमेट के बारे में इन लोगों को जानकारी हो जाती है क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं को मिजोरम से लेकर अरुणाचल तक जाना पड़ता है। इसलिए मसूरी ही ऐसा केन्द्र संस्थान के लिए हो सकता है जहां बर्फ महीने न इतनी ठंडक रहती है और न गर्मी बल्कि वह समशीतोष्ण स्थान है। अब श्रीमन्, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस संस्थान को माउन्ट आबू ले जाने पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी--]

विचार हो रहा है। तो माननीय, माउन्ट आबू में कोई नया संस्थान खोला जाय तो अच्छा है करीब में वहां दो बार गया हूं। वहां कोई ऐसी जगह नहीं है जो मसूरी की स्थिति को देखते हुये अच्छी कही जाय। वैसे माउन्ट आबू राजस्थान और गुजरात के दृष्टिकोण से अच्छा है लेकिन श्रीमन् वहां आबहवा समशीत तोषण नहीं है जैसी कि मसूरी की। कोई भी निष्पक्ष कमेटी अगर यह कहे कि माउण्ट आबू की आबहवा अच्छी है या मसूरी की तो वह मसूरी आबहवा को ही अच्छा बतावेगी। फिर श्रीमन् नई चीज, इन्स्टीट्यूट खोलने की बात होती माउण्ट आबू में तब भी बात समझ में आती।

श्रीमन् पांच करोड़ रुपया इस सरकार का लगा है मसूरी में। वित मंत्री रहने के नाते मुझे याद है कि यू० पी० सरकार ने भी वहां पर रुपया लगाया है। उत्तर प्रदेश का भी इस में इन्टरेस्ट है। हमारा धन वहां लगा है।

अब श्रीमन्, साथ ही साथ देहरादून में आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन का हेडक्वार्टर है। सारे देश के आयल तथा नेचुरल गैस का वहा रिसर्च होता है। बम्बई से लिंक है। और ज्योलोजिकल सर्वे हिमालय के गर्भ में क्या-क्या है उसकी सर्वे होती है। वहां का श्रीमन् इसलिए भी सर्वाधिक महत्व है। इनरजी पालिसी के बारे में अमेरिका लड़खड़ा रहा है, जर्मनी इसके बारे में नहीं तय कर पा रहा है। तो आज के चाहे राजनीतिक प्रशासक को चाहे प्रशासनिक प्रशासक को इन समस्याओं की जानकारी जरूरी है। विरोधी दल का प्रशासन से सम्बन्ध है। उसकी आलोचना करने का अधिकार है। बहुमत दल का सम्बन्ध तो प्रशासन से होता ही है। तो श्रीमन् परमानेन्ट केडर के लोगों के लिए, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० के लोगों के लिए आयल एण्ट नेचुरल गैस कमीशन की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है कि क्या-क्या समस्यायें हैं।

दूसरा श्रीमन्, नेशनल डिफेन्स ऐकेडमी। डिफेन्स की समस्यायें हैं। किसी भी आधुनिक प्रशासक के लिए लाजिमी है कि डिफेन्स के मामलों में जानकारी हो। डिफेन्स ऐकेडेमी में जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वे देहरादून में मौजूद है। आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन के लोग वहां मौजूद हैं। नेशनल डिफेन्स के लोग वहां मौजूद हैं। नेशनल डिफेन्स ऐकेडमी जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। विश्व विख्यात लेक्चर देने वाले लोग वहां देहरादून में हैं।

इसी प्रकार श्रीमन् जो नेशनल फोरेस्ट इन्सटीट्यूट है वह भी देहरादून में है। बड़ा महत्व पेड़ों के लगाने में दिया जा रहा है। आने वाले वर्षों में अगर पेड़ नहीं लगायेंगे, इकालोजिकल बैलेन्स नहीं रखेगें, खेती की भूमि, वन की भूमि, पानी की भूमि, उद्योग की भूमि, सब में कोई ताल में नहीं रखगें तो विश्व का सारा जो मानव समाज ह उसे अपने जीवन के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि मौसम का रुख बदल सकता है, गरमी अधिक बढ़ सकती है, ठंडक अधिक पड़ सकती ह। तो इनवायर्नमेंट के अध्ययन करने के लिए हमारा फोरेस्ट इन्स्टीट्यूट देहरादून में है। इसके बारे में देश के प्रख्यात लेक्चर देने वाले वहां मौजूद हैं।

इसी तरह से श्रीमन्, अंग्रेजों के जमाने में भी और आज भी प्रशासक को नक्शों का ज्ञान होना चाहिए कि नक्शे क्या हैं, किस तरह बना रहे हैं, क्या उनमें सुधार होना चाहिए। वे डिफेन्स के प्वाइन्ट आफ व्यू से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हैं। सायल कन्डीशन्ज क्या हैं, सारे देश का नेशनल सर्वे देहरादून में होता है, जिस नक्शे को छपवायें। प्रत्येक प्रशासन के

लिए जरूरी है कि वह इसकी जानकारी रखे । और नया जो स्पेस सेन्टर है उसकी भी ट्रेनिंग का वही पर प्रबन्ध है । हम अखबार में पढ़ते है आर्य भट्ट पहले छोड़ा था अब भास्कर छोड़ा है जिसके लिये हमें गर्व है । इस राके और स्पेस के जमाने में आधुनिक जानकारी से प्रशासक दूर नहीं रखा जा सकता । यह भी देहरादून में है । इसी तरह से हेवी इलेक्ट्रिकल की फैक्टरी हरद्वार में है जहां से बिजली की जानकारी हो सकती है । इसी तरह से दवाओं के विशेषज्ञों का तथा रेशम के कामकाज का हेडक्वार्टर है जो दिल्ली से नजदीक है । माउण्ट आबू से दिल्ली जाने में कितनी कठिनाई होगी ? अब देहरादून के पास हवाई अड्डा भी बन गया है और देहरादून से हेलीकाप्टर द्वारा मसूरी जाया जा सकता है । प्रधान मंत्री को अगर लेक्चर देना हो ईस्टीट्यूट और एक दम लौटाना हो तो देहरादून हवाई अड्डे पर पहुंच कर हेलीकाप्टर से मसूरी चले जायेंगे और 4 घंटे में दिल्ली लौट आयेंगे । इसमें पार्टी का प्रश्न नहीं है । फिर आज उत्तर प्रदेश के 85 मेम्बर एक दल के लोक सभा म हैं । हमारी तो केवल मोहसिना किदवाई हैं । 85 मेम्बर एक पार्टी के हों, इतना बहुमत जिस प्रदेश ने दिया हो और सरकार का यह साहस हो कि इतनी बड़ी इन्स्टीट्यूट को ट्रान्सफर करने की बात सोचे यह ताज्जुब की बात है । मैं यह कहूंगा कि सब दलों के लोग मिलकर इन लोक सभा के सदस्यों से कहें यह कितना अन्याय हो रहा है ? सर्वदलीय डेपुटेशन की आवश्यकता पड़े तो वह भी भेजा जाय और यह कहे कि यह क्या गजब हो रहा है, माउण्ट आबू किस हिसाब से छांटा गया है ? और इंस्टीट्यूट वहां दे दी जायं, नई खोल दी जायं और माउण्ट आबू भी तरक्की करे लेकिन इसके शिफ्ट करने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता । पहले भी जवाहर लाल जी, लाल बहादुर शास्त्री तथा इन्द्रा गांधी के समय भी यह सवाल उठा था तो यही पता चला था कि यह बात गलत है । मेरा सरकार से आग्रह है कि इसका विरोध न करके इसको सर्वसम्मति से पास होने दे और पास ही न होने दे बल्कि इसकी जिम्मेदारी ले इसको ध्वस्थ करे, फालो अप करे । जैसा रणजीत सिंह ने कहा कि आन्दोलन होगा, वहां पर जनमत आन्दोलित है और एक आन्दोलन की बात कही जा रही है । मैं इसको अभी एक आन्दोलन का विषय नहीं बनाना चाहता । एक बात और भी है । इस प्रदेश में बहुत से लोग इस प्रदेश को एक इकाई के रूप में रखना चाहते है, जो विभाजन नहीं चाहते लेकिन उस तरह से अगर इंस्टीट्यूट हटाई गयी तो वे लोग कमजोर पड़ेंगे और जो विभाजन कराना चाहते हैं वे बलवती होंगे । यह चेतवनी मैं देना चाहता हूं । इसलिये भी यह आवश्यक है कि यह इन्स्टीट्यूट जहां है वहां बनी रहे और तरक्की करे यह हमारी आकांक्षा है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जिन तर्कों को पेश किया है कि भारत सरकार लाल बहादुर शास्त्री जन-प्रशासन संस्थान को मंसूरी से न हटाया जाय, मैं उनसे सहमत नहीं हूं । हालांकि तर्क अपनी जगह पर महत्वपूर्ण हैं, वजनदार भी हैं लेकिन मैं इसको भौगोलिक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं । हमेशा से इस गंगा जमुना के मैदानी इलाके में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमेशा उन बुनियादी सवालों को उठाया है जिसने हमेशा केन्द्रीय सरकारों को चोटें पहुचती रही हैं । यह एक राजनीतिक षडयंत्र है और पूरी तरह से राजनीतिक षडयंत्र है जो कि 1857 से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्र प्रकाश---]

होता चला आया है। सन् 1857 की लड़ाई में इस इलाके ने अंग्रेजों की मुखालफत की थी, 1942 में इसी इलाके ने अंग्रजों की मुखालिफत की और विजयी हुये थे। उत्तर प्रदेश के साथ अंग्रेजों ने हमेशा ऐतराज किये हैं चाहे वह कोई कारखाना लगाने का मामला हो, विकास का मामला हो या कोई पसा देने का मामला हो।

मान्यवर, मंसूरी की एक भौगोलिक स्थिति है। इसके अनन्य कारण रहे हैं जिसके कारण अंग्रेजों ने मंसूरी और नैनीताल में इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले हैं और कोठियां लगाई हैं। उन्होंने इन इलाकों को प्राथमिकता दी है लेकिन इन इलाकों को आगे बढ़ाने की मन्शा नहीं रही है। मैं समझता हूं माननीय तिवारी जी ने जो तर्क पेश किये हैं उन तर्कों से मंसूरी अपर्याप्त नहीं है लेकिन जिन राजनीतिक द्वेषों और राजनीतिक सौतेलेपन का व्यवहार इस इलाके के साथ होता रहा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चहता हूं कि सन् 47 से सन् 77 तक के चुनाव में देखा जाय तो चाहे वह राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना या बुनियादी सवालों को उठाने का मसला हो, किसी कारखाने को लगाने की बात हो यह कोई हिस्सा लेने की बात हो, इन चुनावों में उत्तर प्रदेश के लोगों को मौका नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो इस प्रकार के प्रशासनिक ढांचे में जिसमें अंग्रेजियत की बू है, जो पुराना ढांचा लार्ड-मेकाले के जमाने से चला आ रहा है उसको तोड़ना है ताकि यहां का जो प्रशासन का ढांचा है, यहां पर जो संस्थान है, उसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश से होकर राजस्थान और राजस्थान से दक्षिण भारत में न चला जाय। इस संस्थान का इन इलाकों में रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आज की परिस्थितियां बदल रही हैं, सामाजिक और आर्थिक ढांचा बदल रहा है उसके अनुसार इस तरह से उसको परिवर्तित होना बहुत जरूरी है। इसको उत्तर भारत से जुड़ा रखना, वहां के लोगों के साथ इसे जुड़ा रखना, भौगोलिक वातावरण से जुड़ा रखना बहुत जरूरी है। वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शिक्षा दी जाती है, बड़े अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिये कि वहां की जलवायु गरमी में भी बहुत गरम नहीं रहती है, न लू चलती है हवाई अड्डे की सुविधा वहां पर है। मैं इन तर्कों को समझा नहीं क्योंकि जिस आई० ए० एस० अफसर को वहां पर नहीं रहना चाहिए इसलिये कि जहां पर कि लू न चले हवाई अड्डे की सुविधा हो तो मैं समझता हूं कि उस आदमी का एक साधारण आदमी से भी कटा हुआ दिमाग होगा।

आज के हिन्दुस्तान में रहकर जितना वैज्ञानिक विकास हमने कर लिया है और यहां पर बैठकर ही हम यह पता कर सकते हैं कि डैट्रोइट और शिकागो में क्या हो रहा है, सुदूर पूर्व देशों में क्या हो रहा है इसको हम टेलेक्स, टेलीप्रिन्टर तथा टेलीफोन से जान सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो सौतेलापन हो रहा है जो उसका हिस्सा काटा जा रहा है और यहां से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है मैं उसका विरोधी हूं। 30 सालों में कांग्रेसी हुकूमत रही है। नेहरू की नीति छुई-मुई की रही है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से वे प्रधान मन्त्री रहे हैं और सब समझते थे कि कारखानों आदि में इलाहाबाद को हिस्सा मिल जायेगा लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री जरूर इस इलाके से आये प्रशासन और कारखानों के मामलों में, आर्थिक विकास के मामलों में यह इलाका हमेशा अविकसित रहा। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा स्पष्टतौर पर इस प्रस्ताव को पारित करे और एक प्रतिनिधि मंडल, मैं उनकी भावना से सहमत हूं,

सदन को जाना चाहिये और केन्द्र सरकार को यहां की भावना से अवगत कराये कि किसी भी कीमत पर लाल बहादुर शास्त्री सामान्य संस्थान प्रशासन मंसूरी से राजस्थान नहीं ले जाना चाहिये । यहां के जो संसद सदस्य हैं उनको और इस सदन की एक कमेटी बने फिर दिल्ली में बैठे उनका एक प्रतिनिधि मंडल केन्द्र सरकार से मिले और कहे कि लाल बहादुर सामान्य प्रशासन संस्थान किसी तरह भी उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिये । अगर यह फैसला ले लिया गया है तो भी केन्द्र सरकार इस फैसले को तत्काल स्थगित करे, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की अगुवाई के लिए इस फैसले को रद्द करे और यह संस्थान मंसूरी में ही बना रहे ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने माननीय सदस्यों की जिन भावनाओं पर प्रकाश डाला है उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं और उत्तर प्रदेश का शासन इस बात को बड़ी गम्भीरता से लेता है । यह संस्थान उत्तर प्रदेश के लिए गौरव भी है । यह उत्तर प्रदेश के एक अच्छे स्थान मंसूरी जैसे स्थान में स्थित है जिसके आर्थिक ढांचे पर भी इसके जाने से असर पड़ेगा । यह बात उत्तर प्रदेश के साथ बहुत अन्यायपूर्ण हो रहा है । स्व० पंत जी के जमाने से जब इस आई० ए० एस० ट्रेनिंग स्कूल को एकेडेमी का रूप दिया गया 1959 से यह मंसूरी में लगातार चल रहा है । इसमें कोई सन्देह नही कि लगभग 8–10 करोड़ रु० इस संस्थान पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार का ही या एक माने में भारत की जनता का खर्च हो चुका है और लगातार खर्च होता भी रहता है । आज से तीन वर्ष पूर्व ही इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख रु० खर्च किया था आडिटोरियम बनने के लिए तब सरकार ने कहा भी था कि इस संस्थान को किसी दूसरी जगह नहीं ले जाना पड़ेगा और न ऐसा फैसला लिया जाना चाहिये । इसी आधार पर 10 लाख रु० देने की शर्त निहित थी और उस वक्त भारत सरकार ने माना भी था । यद्यपि यह प्रस्ताव जैसा माननीय नेता विरोधी ने कहा कोई नया नहीं है पिछले अनेकों वर्षों में यह प्रस्ताव आता रहा और मामला स्थगित होता भी रहा । सन् 1976 में एक प्रस्ताव जब श्रीमती इन्दिरा गांधी थी और भी उससे पहले प्रस्ताव आया था और उस समय भी इस प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया गया और मामला टल गया । 1978 में जब इस बात की चर्चा अखबारों में हुई तो तत्कालीन मुख्य मंत्री की तरफ से विरोध पत्र के रूप में पूरी स्थिति को अवगत कराते हुए भारत सरकार को लिखा गया तो उस वक्त हमारे सौभाग्य से दिल्ली सरकार में केन्द्रीय गृह मंत्री के पद पर चौधरी चरण सिंह जी थे और उस समय वह प्रस्ताव टल गया । लेकिन इस समय का जो समाचार है, अब तक की जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने कैसा फैसला ले लिया है । किन्तु उसकी सूचना हम लोगों को विधिवत नहीं दी गई और जब सूचना हमको मिली, मुख्य मंत्री जी ने 11 मई को भारत सरकार को पत्र लिखा और उसका उत्तर भी प्राप्त हुआ कि ऐसा निर्णय ले लिया गया है । लेकिन जैसा आप सब लोग जानते हैं 8–10 करोड़ रुपया प्रदेश की जनता का उस पर खर्च हो चुका है और अब जहां स्थापित किया जाएगा, वहां पर भी 8–10 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा । इस तरह से यह रुपयों का स्पष्ट अपव्यय होगा और उत्तर प्रदेश का गौरव भी उससे छीना जा रहा है और जिस दृष्टि से इसे यहां लगाया गया था, वह भी प्राप्त नहीं होगा । उस समय जो परिस्थितियां थी, उससे विचार था कि मंसूरी जैसे स्थान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रमाशंकर कौशिक --]

में ट्रेनिंग देने में सहूलियत होगी और लोगों का शान्तपूर्ण वातावरण में अध्ययन करने में सुविधा होगी । इस विचार के नाते इसको वहां लाया गया था । साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि और भी वहां कुछ सुविधाएं हैं, डिफेन्स एकेडमी है, पर्यावरण है ।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

मंत्री जी यह तो बता द कि भारत सरकार ने क्यों उसे हटाने का निर्णय लिया है । इसकी जानकारी शासन को हो, तो बतावें ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मैंने तो स्वयं कहा है ऐसी कोई जानकारी नहीं है । लेकिन जो पता चला है, हमारे अपने ही सूत्रों से जिसे व्यक्तिगत सूत्र कह सकते हैं, उसके आधार पर बता सकता हूं कि माउन्ट आबू में जो पुलिस संस्थान था उसको शायद हैदराबाद भेजा जा रहा है और उसकी पूर्ति करने के लिए इसको राजस्थान को दिया जा रहा है । तो इस प्रस्ताव के हम पक्ष में हैं, शासन पक्ष में ह और हम सब इस मामले में एक साथ हैं । जो हमारे संसद सदस्य हैं, सर्वाधिक संख्या में हैं, उनसे भी हमें कहना चाहिए और उनकी मीटिंग भी होनी चाहिए और लिखा भी जाना चाहिए कि वह इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार का साथ दें और इस लड़ाई को वह भी हमारे साथ लड़ें । अभी मुख्य मंत्री की ओर से बराबर लिखा पढ़ी हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उत्तर नहीं आया है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, पुनर्विचार करेंगे । शासन की ओर से मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री, चौधरी चरण सिंह, हेमवती नन्दन बहुगुणा को भी स्थिति से अवगत करा दिया है और उन्हें आप लोगों की भावना से भी अवगत करा दिया है और अनुरोध किया गया है कि इस मामले में वह निश्चित रूप से जो मदद कर सकते हैं, करें । एक यह जो सुझाव आया, उसको भी हम मानते हैं कि दिल्ली में हमारे संसद सदस्यों की एक मीटिंग होनी चाहिए और उसमें इस पर विचार होना चाहिए । इस प्रकार पूरे प्रदेश की जनता का विरोध भारत सरकार के पास जाना चाहिए कि इसको हम बुरा समझते हैं, अन्याय समझते हैं । इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, शासन का समर्थन करता है ।

अन्त में मैं एक संशोधन चाहता हूं, इनमें जो माउन्ट-आबू स्थान का नाम आया है, उसको कृपा करके निकाल दिया जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

'मंसूरी से हटाने का विचार कर रही है' यह कर दिया जाय ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

यह ठीक रहेगी ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, यह लालबहादुर शास्त्री प्रशासन संस्थान मसूरी में श्रद्धेय गोविन्द बल्लभ पन्त की कृपा से लाया गया था और उसको वहां लाने का एक विशेष कारण भी था कि देश की आजादी के बाद आई० ए० एस० या जो अखिल भारतीय सेवा हो

उसके नये वातावरण में प्रशिक्षित किया जाय । पहले दिल्ली में लगाने की बात थी । लेकिन दिल्ली में पुरानी नौकरशाही की बू से बचाने के लिए इस संस्थान की स्थापना मसूरी में हुई । जब से मसूरी में संस्थान लगा उसके बाद ही प्रयास जारी हो गया कि उसको हटाने के लिए । कभी मैसोर, कभी हैदराबाद, कभी चंडीगढ़, कभी फरीदाबाद हटाने की बात हुई । दिल्ली में भवन का निर्माण भी हो गया । एक बार ऐसा हो गया कि दिल्ली में भेज दिया जायगा । फिर तय हुआ कि दिल्ली में नहीं भेजा जायगा । जो भवन करोड़ों रुपया खर्च करके बनवाया गया था उसी भवन में जवाहरलाल विश्वविद्यालय खोल दिया गया । उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार बड़ा भारी जोर लगाया तब जाकर वह संस्थान रुका । इसमें केवल यही नहीं है कि पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाय, सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है । वह संस्थान लग जाने के बाद जो वहां के निवासी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में यह संस्थान बहुत सहायक है । यह बहुत खेद प्रकट करने की बात है । यह बड़ा भारी निन्दनीय काम है, भारत सरकार का । हम लोगों को संगठित होकर पूरा सदन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा इसमें एकमत है, इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह हठधर्मी छोड़ कर इस संस्थान को मसूरी में रहने दे ।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं ज्यादा वक्त सदन का नहीं लेना चाहता । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के दौरान इस बात की भी जानकारी मिली, न केवल जनता सरकार के समय में बल्कि कांग्रेस सरकार के समय में भी और इसके पहले भी इस संस्थान को बाहर हटाने के लिए चर्चा चलती रही । यह जानकर बड़ी हैरत होती है, कौन सी ताकते हैं, कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी एजेंसी है, जो इस संस्थान को हटाना चाहती हैं । अब भी कौन से लोग हैं, जो यहां के जनमत और यहां की सरकार को बिना जानकारी दिये हुए, जिन्होंने ऐसा किया है । यह केवल हमारी सरकार, सारी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति उपेक्षा की भावना है । अगर इसी तरह से परम्परा डाल गयी तो आज हमारे इस संस्थान को हटाने का सवाल है, कल केन्द्रीय सरकार हमारे किसी हिस्से को, किसी दूसरे सूबे से लगा देगी या कोई चीज हस्तांतरित कर देगी । यह जो प्रक्रिया शुरू हुई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा यह बहुत चिन्ता का विषय है । इसमें खुशी की बात है कि पूरा सदन एकमत है । इस प्रस्ताव द्वारा पूरे प्रदेश की भावना, पूरे सदन की भावना को, जितनी मजबूती के साथ केन्द्रीय सरकार के पास भेजी जा सके, भेजी जानी चाहिये । हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसको भेजने के बाद भारत सरकार के इस निर्णय का विरोध होना चाहिए । जैसा नेता विरोधी दल ने कहा, अभी सोचा नहीं है, आन्दोलन छेड़ दिया जाय, लेकिन यह प्रक्रिया यदि बन्द नहीं की गयी, न भी आन्दोलन करें लेकिन आन्दोलन करने वाली ताकतें यहां मौजूद हैं । आन्दोलन हो सकता है ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, श्री लाल बहादुर संस्थान, जो मंसूरी में प्रशिक्षण देता है उसको भारत सरकार ने जो दूसरी जगह परिवर्तित करने का निर्णय लिया है अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण एवं निन्दनीय है । यह माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव किया है, उसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

सम्पर्क स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया, नेता विरोधी दल ने, देव बहादुर जी ने और भाई शतरुद्र प्रकाश जी ने भी किया । माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार को नेता सदन के माध्यम से पत्र भी लिखा गया कि यह न हटाया जाय । माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जो केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं बहुगुणा जी यहां पर रह चुके हैं । वर्तमान उप प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी लिखा गया । आप सब लोग उनके निकट हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि इस काम के लिये दिल्ली जायें और भारत सरकार का जो निर्णय है उसको रद्द करावें और इस संस्थान को यहीं पर रखा जाये ।

श्री रणजीत सिंह--

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री देव बहादुर सिंह, श्री सुन्दर लाल दीक्षित और श्री देव कुमार यादव जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने मेरे संकल्प के पक्ष में अपनी राय दी और भारत सरकार से आग्रह किया है कि यह संस्थान मंसूरी से स्थानान्तरित न किया जाय । मेरे प्रस्ताव में जो मंसूरी से हटाकर माउन्ट आबू, राजस्थान में है उसके स्थान पर "मंसूरी से हटाकर अन्यत्र" रख कर स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "यह सदन इस बात पर चिन्ता प्रकट करते हुए कि भारत सरकार लाल बहादुर शास्त्री जन प्रशासन संस्थान (लाल बहादुर शास्त्री इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) को मंसूरी से हटाकर अन्यत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, यह संस्तुति करता है कि केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय कि इस संस्थान को मंसूरी से किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरित न करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

आज्ञा से,

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :

8 जून, 1979 ।

पी०एस०यू०पी०--3 विधान सभा--6-7-79--835--(पी०डी०)